

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए**



**संघ सरकार
वैज्ञानिक एवं पर्यावरण
मंत्रालय/विभाग
2016 का प्रतिवेदन संख्या 12
(अनुपालन लेखापरीक्षा)**

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

**संघ सरकार
वैज्ञानिक एवं पर्यावरण
मंत्रालय/विभाग
2016 का प्रतिवेदन संख्या 12
(अनुपालन लेखापरीक्षा)**

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय I - प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	1
लेखापरीक्षा क्षेत्र	1.2	2
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.3	2
बजट और व्यय नियंत्रण	1.4	3
स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा	1.5	6
बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	1.6	12
विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम - प्रोफॉर्मा लेखों की स्थिति	1.7	13
हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं को अपलिखित/माफ करना	1.8	14
प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का प्रत्युत्तर	1.9	14
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.10	15
अध्याय II - परमाणु ऊर्जा विभाग		
भण्डार की खरीद एवं मालसूची प्रबन्धन की निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा	2.1	17
स्टीम टर्बाइन जेनरेटर का प्रतिष्ठापन न होना	2.2	48
अध्याय III - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
अनियमित प्रशासनिक तथा हकदारी प्रचालन	3.1	51
अध्याय IV - वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग		
बी.एस.एल.-3 सुविधा की खरीद पर निष्फल व्यय	4.1	59

	पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
अध्याय V - अंतरिक्ष विभाग		
प्रशासन, वित्त और संबन्धित क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण	5.1	63
टेलीमेडिसिन कार्यक्रम का कार्यान्वयन	5.2	84
प्रोपेलेंट टैंकों हेतु सामग्री पर अपव्यय	5.3	96
उपकरण के विलंबित अधिष्ठापन के कारण हुई हानि	5.4	98
परामर्शी सेवाओं पर निष्फल व्यय	5.5	102
निर्माण कार्य के भुगतान पर श्रम कल्याण उपकर की गैर वसूली	5.6	105
अध्याय VI - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		
विलवणीकरण संयंत्र की गैर-स्थापना और अपव्यय	6.1	107
परिशिष्ट	115-124	

प्राक्कथन

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह रिपोर्ट संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट केन्द्र सरकार के वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों को शामिल करता है।

इस रिपोर्ट में वे प्रमाण वर्णित हैं जो 2014-15 की अवधि में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गये थे तथा वे भी, जो पिछले वर्षों में देखे गये थे, किन्तु पिछली रिपोर्टों में शामिल नहीं किए जा सके, 2014-15 के बाद के मामले भी, जहां उचित थे, शामिल किये गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट भारत सरकार के सात वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के लेन-देन के अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले मामलों से संबंधित है। रिपोर्ट में ₹ 32.49 करोड़ से संबंधित 11 पैराग्राफ है जो कि खरीद और अनुबंध प्रबंधन में कमजोरियां, अक्षम परियोजना प्रबंधन, आवश्यक मंजूरी के बिना कर्मचारियों को वित्तीय लाभ बढ़ाना तथा आंतरिक नियंत्रण में कमी से संबंधित हैं।

इस रिपोर्ट में शामिल विशिष्ट लेखापरीक्षा निष्कर्षों का अवलोकन नीचे दिया गया है:

भण्डार की खरीद एवं मालसूची प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2010-11 के प्रतिवेदन संख्या 13 (निष्पादन लेखापरीक्षा) में बताए गए 32 सिफारिशों के आधार पर, परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) ने लेखापरीक्षा सिफारिशों को लागू करने के लिए मापे जाने लायक समयावधि के साथ विस्तृत कार्य योजना पेश की। डी.ए.ई. द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना के लागू होने की जांच के लिए एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि 32 सिफारिशों में से केवल छः का पूरी तरह कार्यान्वयन हुआ। जबकि सात सिफारिशों में आंशिक कार्यान्वयन पाया गया, 16 सिफारिशों में प्रगति महत्वहीन थी। तीन सिफारिशों के प्रति बताए गए कार्यवाही में कोई प्रगति नहीं हुई थी।

क्रय के योजना, समय सारणी के पालन तथा अनुबंध प्रबंधन में कमियां कायम थी। सामग्री प्रबंधन कार्य के कम्प्यूटीकरण का कार्यान्वयन महत्वहीन था।

अतः कुल मिलाकर, डी.ए.ई. द्वारा खुद के बताए योजना के प्रति कार्यान्वयन अपर्याप्त था।

(पैराग्राफ 2.1)

स्टीम टर्बाइन जेनरेटर का प्रतिष्ठापन न होना

भारी जल बोर्ड तथा क्रय एवं भण्डार निदेशालय, मुम्बई द्वारा अक्षम ठेका प्रबंधन के कारण एक स्टीम टर्बाइन जेनरेटर 10 वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद भी प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 40 करोड़ की अनुमानित विद्युत उत्पादन का अवसर खोने के साथ इसकी खरीद पर किए गए ₹ 2.06 करोड़ अवरुद्ध हो गए।

(पैराग्राफ 2.2)

अनियमित प्रशासनिक तथा हकदारी प्रचालन

स्टेम कोशिका जीव विज्ञान एवं पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बेंगलूरु ने अपने प्रशासन तथा हकदारी मामलों में सरकारी नियमों तथा विनियमों का पालन नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप अपात्र अभ्यर्थियों की भर्ती पदों के सृजन हेतु संस्वीकृति बिना स्टाफ की भर्ती, अपने स्टाफ को ₹ 2.86 करोड़ के उच्च हकदारियों का भुगतान, आदि जैसी अनियमितताएं हुईं।

(पैराग्राफ 3.1)

बी.एस.एल.-3 सुविधा की खरीद पर निष्फल व्यय

कोशिकीय एवं आण्विक जीवविज्ञान केन्द्र, हैदराबाद ने जैव सुरक्षा स्तर-3 सुविधा का समुचित अधिष्ठापन सुनिश्चित किए बगैर 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान द्वारा खरीदा। उस सुविधा में समस्याएँ थी, जिसे दूर नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप इसके खरीद पर किया गया ₹ 1.90 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(पैराग्राफ 4.1)

प्रशासन, वित्त और संबंधित क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण

अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) ने आंतरिक रूप से प्रशासनिक क्षेत्र में कम्प्यूटरीकृत कार्यचालन (सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए.) का विकास किया। सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. को सभी केन्द्रों पर लागू किया गया था। प्रणाली में उचित अंतर्निहित वैधीकरण जाँचों और अनुप्रयोग नियंत्रणों की कमी थी। कुछ कारोबार नियम शामिल नहीं किए गए थे। प्रणाली में डाटा एंट्री नियमित नहीं थी। परिणामस्वरूप, प्रणाली से ली गई सूचना अपूर्ण, गलत तथा

असंगत थी जिसके कारण अल्प डाटा सत्यनिष्ठा और मानवीय प्रचालनों पर महत्वपूर्ण निर्भरता हुई, जिसके कम्प्यूटरीकृत परिवेश में कार्यचालन का उद्देश्य विफल कर दिया।

(पैराग्राफ 5.1)

टेलीमेडिसिन कार्यक्रम का कार्यान्वयन

अंतरिक्ष विभाग ₹ 30.18 करोड़ व्यय करने के बाद भी ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में रोगियों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपग्रह संचार का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित नहीं कर सका। 389 स्थापित नेटवर्कों में केवल 150 कार्यरत थे। इसके अलावा, लाभार्थी अस्पतालों का चयन अनियमित था, देश के सुदूर एवं आंतरिक क्षेत्रों हेतु उपग्रह क्षमता अपर्याप्त थी और ₹ 14.12 करोड़ मूल्य के के.ए. बैंड भू टर्मिनल उपयोग में नहीं लाए जा सके।

(पैराग्राफ 5.2)

प्रोपेलेंट टैंकों हेतु सामग्री पर अपव्यय

अंतरिक्ष विभाग ने प्रक्षेपण यान के प्रोपेलेंट टैंक में विफलता का कारण पाई गई सामग्री को चरणबद्ध तरीके से निकालने हेतु कोई निर्धारित समयबद्ध कार्य योजना नहीं बनाई जिसका परिणाम हुआ कि एक प्रोपेलेंट टैंक की लागत और 65 टन सामग्री जो भण्डार में रही और जो कि अंत में निषिद्ध करना पड़ा में ₹ 3.49 करोड़ का अपव्यय हुआ।

(पैराग्राफ 5.3)

उपकरण के विलम्बित अधिष्ठापन के कारण हुई हानि

सीमित क्रियाशील आयु वाले उपग्रह में एक आरूढ़ प्रणाली की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन में विलम्ब के लिए अंतरिक्ष विभाग ने परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति को माफ कर दिया और उसके कारण ठेकेदार को ₹ 1.16 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया। इसके अतिरिक्त, विलम्ब के परिणामस्वरूप इसकी क्रियाशील आयु का आनुपातिक रूप से कम उपयोग हुआ।

(पैराग्राफ 5.4)

परामर्शी सेवाओं पर निष्फल व्यय

अंतरिक्ष विभाग ने फर्म के चयन में यथोचित परिश्रम किए बिना नई दिल्ली में भवन निर्माण के लिए स्थापत्य संबंधी एवं अन्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक फर्म की नियुक्ति की। जब फर्म वैधानिक प्राधिकरण के प्रारंभिक डिजाइन अपेक्षाओं को पूरा ने

कर सका, तब अंतरिक्ष विभाग ने संविदा रद्द कर दी एवं आंतरिक रूप से कार्य करने का निर्णय लिया। फलस्वरूप, फर्म को भुगतान किया गया ₹ 1.04 करोड़ निष्फल साबित हुआ।

(पैराग्राफ 5.5)

विलवणीकरण संयंत्र की गैर-स्थापना और अपव्यय

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई ने लक्षद्वीप के छः द्वीपों के तकनीकी-आर्थिक स्थिति का विस्तारपूर्वक सर्वेक्षण किए बिना और साथ ही इतने बड़े पैमाने पर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वहां के संसाधनों का मूल्यांकन किए बिना विलवणीकरण संयंत्र की स्थापना पर परियोजना का दायित्व लिया। जिसका परिणामस्वरूप यह हुआ कि छः द्वीपों में से सिर्फ दो द्वीपों पर ही संयंत्रों की स्थापना हुई। शेष अन्य चार संयंत्र साइटों में से ₹ 4.32 करोड़ की लागत से स्थापित एक संयंत्र साइट संबंधित समस्याओं के कारण क्रियाशील नहीं रहे, परिणामतः अपव्यय हुआ। एन.आई.ओ.टी. ने परियोजना पर ₹ 37.54 करोड़ व्यय किए। ₹ 69.28 करोड़ की राशि एन.आई.ओ.टी. के पास व्यर्थ रही।

(पैराग्राफ 6.1)

अध्याय-1

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में

अनुपालन लेखापरीक्षा सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसंपत्तियों एवं दायित्वों से संबंधित लेन-देनों की परीक्षा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या भारत के संविधान तथा लागू विधि, नियमों-विनियमों के प्रावधानों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है, का उल्लेख करता है। अनुपालन लेखापरीक्षा में उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक तथा अभीष्ट उद्देश्यों को पाने के संदर्भ में उनकी प्रभावशीलता को निर्धारित करने हेतु नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों की परीक्षा भी शामिल है।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को संसद के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों की आवश्यकता है कि रिपोर्टिंग की अहमियत का स्तर लेन-देनों की प्रकृति, मात्रा और आकार के अनुरूप हो। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यकारिणी को सुधार कार्यों को लागू करने के साथ-साथ ऐसी नीतियाँ व निर्देशों को बनाने में सक्षम करे जिससे संगठनों का वित्तीय प्रबंधन सुधरे, इस प्रकार बेहतर सुशासन में योगदान दे।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा के योजना और विस्तार को स्पष्ट करने के अतिरिक्त, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ-साथ वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के व्यय का संक्षिप्त विश्लेषण, बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति, विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति, अपलिखित/माफ की गई हानियाँ व न वसूल होने वाली देयताओं तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। अध्याय-II से VI, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीन अनुसंधान केन्द्रों, संस्थाओं एवं स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा से निकले निष्कर्षों/टिप्पणियों को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रतिवेदन में विभिन्न वैज्ञानिक तथा पर्यावरण संस्थानों में परियोजना प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रणों इत्यादि की प्रणाली में निहित कमियों को भी दर्शाया गया है।

1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग, भारत सरकार के निम्नलिखित वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अंतर्गत इकाइयों की लेखापरीक्षा हेतु उत्तरदायी है:

- 1) परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.)
- 2) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसमें शामिल है:
 - क) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.);
 - ख) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.); एवं
 - ग) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.)
- 3) अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)
- 4) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.)
- 5) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.)
- 6) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.)
- 7) जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय (एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.)

यह प्रतिवेदन उपरोक्त वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों के अधीन उनके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों तथा स्वायत्त निकायों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाविष्ट करता है।

1.3 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

अनुपालन लेखापरीक्षा सी. एंड ए.जी. द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों में शामिल सिद्धांतों एवं प्रथाओं के अनुरूप की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया समग्र रूप से मंत्रालय/विभाग और प्रत्येक इकाई में किए गए व्यय, कार्रवाइयों की नाजुकता/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रण के निर्धारण एवं हितधारकों की चिंताओं पर आधारित जोखिम के मूल्यांकन के साथ प्रारंभ होती है। इस प्रक्रिया में पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी विचार किया जाता है। जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा की बारम्बारता एवं सीमा निश्चित की जाती है। इस प्रकार के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अंतर्विष्ट करके निरीक्षण प्रतिवेदनों को इकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के भीतर इकाइयों से लेखापरीक्षा निष्कर्षों

पर उत्तर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है तो लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान कर दिया जाता है या अनुपालन हेतु आगे की कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से निकलने वाली प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, में सम्मिलित करने हेतु तैयार किया जाता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के 434 इकाइयों में से 175 का अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया।

1.4 बजट और व्यय नियंत्रण

वर्ष 2014-15 के दौरान तथा पूर्ववर्ती दो वर्षों में वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के व्यय की तुलनात्मक स्थिति तालिका 1 में दी गई है।

तालिका 1 : वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/विभाग	2012-13	2013-14	2014-15
1) डी.ए.ई.	11,981.76	13,437.26	14,281.21
2) डी.बी.टी.	1,282.84	1,291.32	1,346.97
3) डी.एस.टी.	2,524.22	2,610.22	2,906.18
4) डी.एस.आई.आर.	2,945.66	3,159.54	3,393.52
5) डी.ओ.एस.	4,856.28	5,168.95	5,821.37
6) एम.ओ.ई.एस.	1,177.14	1,248.15	1,301.35
7) एम.ओ.ई.एफसी.सी.	1,996.69	2,158.80	1,862.17
8) एम.एन.आर.ई.	1,243.72	1,633.52	2,518.10
9) एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.	1,055.59	1,094.71	5,524.47
कुल	29,063.90	31,802.47	38,955.34
प्रतिशत बढ़ती(+)/घटती(-)	(-)14.84¹	(+)9.42	(+)22.49


स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

¹ 2011-12 में किए गए ₹ 34,127.84 करोड़ के व्यय के आधार पर की गई गणना

वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार के उपरोक्त मंत्रालयों/विभागों पर कुल व्यय ₹ 38,955.34 करोड़ था। इसमें से, कुल व्यय का 37 प्रतिशत का व्यय परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया गया था, उसके बाद अंतरिक्ष विभाग (15 प्रतिशत) एवं जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय (14 प्रतिशत) आते हैं।

जहां वर्ष 2011-12 के मुकाबले 2012-13 के दौरान वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के कुल व्यय में 14.84 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी हुई थी, वहीं 2012-13 के मुकाबले 2013-14 के दौरान कुल व्यय में 9.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर. द्वारा किए गए व्यय में 405 प्रतिशत की वृद्धि के कारण वर्ष 2014-15 के दौरान कुल व्यय में 22.49 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।

चार्ट 1 : वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए व्यय



वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के संबंध में वर्ष 2014-15 के लिए विनियोग लेखों का सारांश तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका 2 : वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालय/विभागों द्वारा प्राप्त अनुदान एवं किए गए व्यय का विवरण


(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/विभाग	अनुदान/विनियोग (अनुपूरक अनुदान सहित)	व्यय	(-) बचत/ (+) अधिकता	अव्ययित अनुदान का प्रतिशत
1) डी.ए.ई.	16,147.00	14,281.21	1,865.79	12
2) डी.बी.टी.	1,517.24	1,346.97	170.27	11
3) डी.एस.टी.	3,567.13	2,906.18	660.95	19
4) डी.एस.आई.आर.	3,707.17	3,393.52	313.65	8
5) डी.ओ.एस.	7,241.06	5,821.37	1,419.69	20
6) एम.ओ.ई.एस.	1,702.23	1,301.35	400.88	24
7) एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	2,594.52	1,862.17	732.35	28
8) एम.एन.आर.ई.	3,057.39	2,518.10	539.29	18
9) एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर. डी.जी.आर.	15,389.06	5,524.47	9,864.59	64
कुल	54,922.80	38,955.34	15,967.46	29

स्रोत: वर्ष 2014-15 के लिए विनियोग लेखे

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि ₹ 54,922.80 करोड़ के कुल बजट आवंटन के संदर्भ में वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों की कुल बचत ₹ 15,967.46 करोड़ थी जो कुल अनुदान/विनियोग का 29 प्रतिशत है। ₹ 15,967.46 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 9,864.59 करोड़ (62 प्रतिशत) का बचत योगदान अकेले एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर. द्वारा किया गया था।

चार्ट 2 : मंत्रालय/विभागवार बचत का प्रतिशत



डी.एस.आई.आर. के अपवाद के साथ, सभी अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के पास 11 प्रतिशत से लेकर 64 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण बचत थी। वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों को जारी अनुदानों के अनुपात के तौर पर एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर. की बचत सबसे अधिक (64 प्रतिशत) थी, इसके बाद एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. (28 प्रतिशत) था।

1.5 स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग 14 स्वायत्त निकायों का एकमात्र लेखापरीक्षक है जिनके लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआरएस) सी. एण्ड ए.जी. के (डीपीसी अधिनियम), 1971 की धारा 19(2) एवं 20(1) के अंतर्गत तैयार की जाती है। इन 14 स्वायत्त निकायों को 2014-15 के दौरान जारी किया गया कुल अनुदान ₹ 4,489.96 करोड़ था, जैसा कि विस्तार से तालिका 3 में दिया गया है।

तालिका 3 : केंद्रीय स्वायत्त निकायों को जारी अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स्वायत्त निकायों के नाम	मंत्रालय/विभाग	2014-15 के दौरान जारी की गई अनुदान की राशि
1) विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	535.00
2) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम	डी.एस.टी.	90.84
3) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	6.75
4) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	डी.एस.आई.आर.	3,334.88
5) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	16.87
6) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	29.50
7) राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	19.06
8) स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	254.88
9) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	10.00
10) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	22.30
11) बेतवा नदी बोर्ड, झाँसी	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.	17.00
12) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.	80.00
13) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.	10.88
14) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.	62.00
कुल		4,489.96

स्रोत: स्वायत्त निकायों के वर्ष 2014-15 हेतु पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वार्षिक लेखा

इसके अतिरिक्त, सी. एण्ड ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत 68 अन्य स्वायत्त निकायों की पूरक/अध्यारोपित लेखापरीक्षा भी की जाती है। 2014-15 के दौरान 44² स्वायत्त निकायों को जारी किया गया कुल अनुदान ₹ 3,353.23 करोड़ था।

² डीबीटी के अधीन 16 स्वायत्त निकायों तथा एमओईएफसीसी के अधीन आठ स्वायत्त निकायों से संबंधित सूचना विभाग/मंत्रालय द्वारा नहीं दी गई थी।

1.5.1 लेखों की प्रस्तुति में विलंब

सदन के पटल पर रखे गए पत्रों संबंधित समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (पाँचवीं लोकसभा) 1975-76 में सिफारिश किया था कि वित्तीय वर्ष की समाप्ती के पश्चात, प्रत्येक स्वायत्त निकाय को अपने लेखों को तीन महीने की अवधि के अंदर पूर्ण कर लेना चाहिए और उनको लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए तथा प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा किए गए लेखों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के अंदर संसद के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

वर्ष 2014-15 के लिए लेखों की प्रस्तुतीकरण की स्थिति तालिका 4 में दर्शाई गई है।

तालिका 4 : स्वायत्त निकायों द्वारा लेखों की प्रस्तुति की स्थिति

स्वायत्त निकाय के नाम	मंत्रालय/विभाग	लेखापरीक्षा के लिए लेखों की प्रस्तुति की तिथि	लेखों की प्रस्तुति में विलंब
1) विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	15.09.2015	2
2) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम	डी.एस.टी.	13.08.2015	1
3) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	01.10.2015	3
4) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	डी.एस.आई.आर.	10.07.2015	-
5) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	23.06.2015	-
6) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	30.06.2015	-
7) राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	09.06.2015	-
8) स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	30.06.2015	-
9) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	22.06.2015	-
10) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	01.07.2015	-
11) बेतवा नदी बोर्ड, झाँसी	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.	26.06.2015	-

तालिका 4 : स्वायत्त निकायों द्वारा लेखों की प्रस्तुति की स्थिति

स्वायत्त निकाय के नाम	मंत्रालय/विभाग	लेखापरीक्षा के लिए लेखों की प्रस्तुति की तिथि	लेखों की प्रस्तुति में विलंब
12) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.	06.07.2015	-
13) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.	16.06.2015	-
14) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.	30.06.2015	-

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि तीन स्वायत्त निकायों ने एक माह या उससे अधिक के विलंब के बाद अपने लेखों को प्रस्तुत किया।

1.5.2 लेखों में महत्वपूर्ण कमियाँ

वर्ष 2014-15 के लिए लेखों पर एसएआर में बताए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे नीचे दिये गए हैं:

1.5.2.1 ग्रेच्युटी एवं सेवानिवृत्ति के अन्य लाभों के प्रावधान

- i) बेतवा नदी बोर्ड, स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन तथा ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने सेवानिवृत्ति लाभों जैसे कि ग्रेच्युटी व छुट्टी नगदीकरण आदि के लिए प्रावधान को वार्षिक लेखों में शामिल नहीं किया था।
- ii) विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड ने आई.सी.ए.आई. के लेखा मानक 15 के अनुसरण में लेखा टिप्पणी में सेवा पश्चात लाभ/सेवानिवृत्त लाभ उदाहरणतः ग्रेच्युटी व पेंशन एवं अन्य लाभ पर लेखा नीति को प्रकट नहीं किया।
- iii) राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण ने वर्ष 2014-15 हेतु सेवांत लाभ का प्रावधान नहीं किया था। इसके अलावा, पिछले साल के लिए राशि ग्रेच्युटी व छुट्टी नगदीकरण आदि हेतु प्रावधान किए गए ₹ 24.83 लाख की राशि भी वापस करा दी गई तथा पूंजी निधि में जमा कर दी गई। इसका परिणाम देनदारियों पर अल्प कथन और उस हद तक पूंजी निधि पर अधिकथन के रूप में हुआ।

- iv) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा 2011 में करवाए गए पेंशन और ग्रेच्युटी की बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, उसके पास ₹ 127.34 करोड़ की देनदारी थी जो लेखा में दर्शाया नहीं गया था।
- v) 31.03.2015 तक ग्रेच्युटी, अवकाश नकादिकरण के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण के पास ₹ 43 करोड़ की कुल देनदारी थी जिसमें से प्राधिकरण ने सिर्फ ₹ 11.04 करोड़ का प्रावधान किया जिसका परिणाम ₹ 31.96 करोड़ की देनदारी के कम प्रावधान किए जाने के रूप में हुआ।

1.5.2.2 अन्य टिप्पणियाँ

- i) विज्ञान एवं अनुसंधान अभियांत्रिकी बोर्ड, नई दिल्ली ने ₹ 172.86 करोड़ की राशि सहित 2014-15 के दौरान ऑब्जेक्ट हेड-31 'अनुदान साधारण' के अंतर्गत ₹ 535.00 करोड़ की राशि प्राप्त किया जिसे नियंत्रक मंत्रालय/विभाग के माध्यम से वित्त मंत्रालय से पुनर्विनियोजन हेतु बिना मंजूरी प्राप्त किए 'पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान' की ओर विचलित कर दिया गया।
- ii) राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण ने "देनदारियों" के अंतर्गत निर्धारित/बंदोबस्ती कोष के लिए अतिरिक्त राशि के रूप में दिखने के बजाए, ₹ 15.56 करोड़ की राशि को रॉयल्टी, फीस, सदस्यता का वर्णन कराते हुए आय के रूप में आय और व्यय खाते में दर्शाया। इसके अलावा, निर्धारित धनराशि से किए गए निवेश पर अर्जित ब्याज होने पर भी ₹ 10.77 लाख की राशि को आय के रूप में जमा किया गया। इससे ₹ 15.67 करोड़ तक आय को बढ़ाकर बताया गया।
- iii) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने बचत बैंक खाते पर ब्याज को नकद आधार पर लेखाबद्ध किया जो इसकी महत्वपूर्ण लेखा नीति, जिसके अनुसार लेखा उपार्जन आधार पर तैयार किए गए थे, का उल्लंघन था।
- iv) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के वार्षिक लेखा, लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर पुनरीक्षित किए गए थे। लेखाओं के संशोधन का असर हुआ कि परिसंपत्ति/देनदारियाँ ₹ 1.21 करोड़ से बढ़ गईं तथा ₹ 61.93 लाख से आय से ज्यादा व्यय की वृद्धि हो गई।
- v) विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान प्रस्ताव के ऑनलाइन जमा करने संसाधित करने हेतु एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के विकास,

जो राजस्व प्रकृति का था, पर अनुकूलन एवं प्रशिक्षण प्रभार आदि पर किया गया ₹ 1.14 करोड़ का व्यय स्थिर परिसंपत्ति में शामिल किया गया था। इसके फलस्वरूप ₹ 1.14 करोड़ का स्थिर परिसंपत्तियों का अधिकथन तथा राजस्व व्यय का अल्पकथन हुआ।

- vi) सी.एस.आई.आर. के 14 प्रयोगशालाओं/संस्थानों ने उनके पास उपलब्ध एल.आर.एफ. की राशि से किए गए सावधि जमा पर वर्ष के दौरान जमा हुए ₹ 11.88 करोड़ के बराबर के ब्याज का लेखा में शामिल नहीं किया, जिसका परिणाम ₹ 11.88 करोड़ के एल.आर.एफ. एवं वर्तमान परिसंपत्तियों के अल्पकथन के रूप में हुआ।
- vii) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) के पाँच प्रयोगशालाओं/संस्थानों ने वर्ष के दौरान प्रयोगशाला सुरक्षित कोष (एल.आर.एफ.) के उत्पादन के रूप में प्रायोजित परियोजनाओं हेतु सहायता अनुदान पर अर्जित ₹ 23.06 करोड़ की राशि का ब्याज बुक किया। इसके अलावा, सात प्रयोगशालाओं/संस्थानों ने भी वर्ष के दौरान (एल.आर.एफ.) ने अर्जित अपनी आय के रूप में ₹ 10.64 करोड़ तक की पूर्ण/समाप्त बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं की अव्ययित राशि को बुक किया था।
- viii) बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं एवं एल.आर.एफ. की राशि से की गयी सावधि जमा पर वर्ष 2014-2015 के दौरान राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं (एन.ए.एल.-सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशाला) द्वारा अर्जित ₹ 1.42 करोड़ की राशि के ब्याज को वर्ष 2014-15 हेतु लेखा खातों में दर्ज नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप सरकारी अनुदान एवं सुरक्षित तथा अधिशेष के विरुद्ध ₹ 1.42 करोड़ तक के देनदारियों के अल्पकथन तथा उसी हद तक वर्तमान परिसंपत्तियों के अल्पकथन के रूप में हुआ।
- ix) सी.एस.आई.आर. (मुख्यालय) ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में बचत खाता खोलने हेतु 2005-06 में ₹ 20.00 लाख की राशि निकासी की तथा गलती से उसको संबंधित वर्ष के लेखा खातों में व्यय के रूप में दर्ज कर दिया। परिणामस्वरूप ₹ 20.00 लाख तक के वर्तमान परिसंपत्तियों (बचत खातों में बैंक में जमा राशि) तथा वर्तमान देनदारियों (विविध जमा एवं अग्रिम) दोनों के अल्पकथन हुआ।
- x) 2014-15 के दौरान, एन.ए.एल. ने अपनी सेवाएँ प्रायोजक विभागों/एजेंसियों को दी तथा ₹ 1.96 करोड़ के सेवा कर/मूल्य वर्धित कर का भुगतान किया जिसकी वसूली प्रायोजक विभागों/एजेंसियों से 31 मार्च 2015 तक नहीं की जा सकी थी। इस राशि को वर्तमान परिसंपत्तियों (अन्य निकायों की ओर से

भुगतान बकाया) के अंतर्गत दिखाने के बजाय वर्ष 2014-15 हेतु अपने लेखा-खातों में व्यय के रूप में दर्ज किया गया था। इसका परिणाम ₹ 1.96 करोड़ तक के वर्तमान परिसंपत्तियों (अन्य निकायों की ओर से भुगतान बकाया) का अल्पकथन तथा उतना ही व्यय का अधिकथन के रूप में हुआ।

- xii) केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सी.डी.आर.आई.-सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशाला) ने अपने संबंधित वर्षों में ₹ 11.65 करोड़ की अग्रिम की दस मदों को समायोजित/पूँजी में परिणत किया तथा वर्ष 2014-15 के दौरान उसका अस्तित्व ही नहीं था। इसी तरह अग्रिम के पाँच मदों जिसके विरुद्ध ₹ 7.85 करोड़ मूल्य के चेकों की निकासी मार्च 2013 से सितंबर 2013 के बीच की गयी थी एवं उसे उसी वर्ष में रद्द कर दिया गया और इसके परिणामस्वरूप अग्रिमों को उसी वर्ष में निपटान भी कर दिया गया। हालांकि सी.डी.आर.आई. ने वास्तविक/मूल अग्रिमों जो, 31 मार्च 2015 तक समायोजन हेतु लंबित थे, के फर्जी समायोजन द्वारा उसका पुनः समायोजित/पूँजीकृत कर दिया।
- xiii) सी.डी.आर.आई. ने 2012-13 एवं 2014-15 के बीच ₹ 50.30 करोड़ के अग्रिम की निकासी की। इसलिए, तीन से लेकर एक वर्ष की अवधि हेतु वार्षिक 10 प्रतिशत की दर से स्थिर परिसंपत्तियों पर अवमूल्यन प्रभारित करना आवश्यक था, यह विचार करते हुए कि वांछित सामग्री उसी वर्ष प्राप्त की गयी हैं। फिर भी, सी.डी.आर.आई. द्वारा दस से आठ वर्षों की अवधि हेतु 10 प्रतिशत की दर से अवमूल्यन वास्तविक रूप से प्रभारित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक से ज्यादा अवमूल्यन प्रभारित करने के रूप में हुआ।
- xiv) बेतवा नदी बोर्ड अपने लेखों का रख-रखाव उपार्जन आधार के बजाय नकदी आधार पर करता था।
- xv) स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने स्वायत्त निकायों हेतु विहित सामान्य लेखा प्रपत्र में अपना लेखा तैयार नहीं किया था।

1.6 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

मंत्रालयों और विभागों को अनुदानियों जैसे कि वैधानिक निकायों, गैर सरकारी संस्थानों इत्यादि से अनुदानों की उपयोगिता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना जरूरी हैं, जो इंगित करे कि अनुदानों को जिन उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किया गया था उन्हीं के लिए इनका उपयोग किया गया है और जहां अनुदान सशर्त थे वहाँ निर्धारित शर्तों की

पूर्ति की गयी हैं। छह³ मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार ₹ 1,576.86 करोड़ के कुल अनुदान के लिए 9,307 उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.), जो कि मार्च 2015 तक देय थे, बकाया थे जैसा कि **परिशिष्ट /** में दर्शाए गए हैं। डी.एस.टी., डी.बी.टी. एवं डी.एस.आई.आर. ने लंबित यू.सी. की सूचना नहीं दी थी।

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की मंत्रालय/विभागवार स्थिति तालिका 5 में दी गयी हैं।

तालिका 5 : 31 मार्च 2015 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

मंत्रालय/विभाग	मार्च 2014 को समाप्त अवधि के लिए	
	संख्या	राशि
1) डी.ए.ई.	1,162	89.61
2) डी.बी.टी.	विवरण उपलब्ध नहीं	
3) डी.एस.टी.	विवरण उपलब्ध नहीं	
4) डी.एस.आई.आर.	विवरण उपलब्ध नहीं	
5) डी.ओ.एस.	289	14.66
6) एम.ओ.ई.एस.	724	55.70
7) एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	6,150	461.51
8) एम.एन.आर.ई.	733	850.31
9) एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.	249	102.07
कुल	9,307	1,573.86

1.7 विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम - प्रोफॉर्मा लेखों की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 84 में उपबंधित है कि वाणिज्यिक या अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम ऐसे सहायक लेखे तथा प्रोफॉर्मा लेखे तैयार करेंगे, जैसा की सरकार द्वारा भारत के सी.ए.जी. की सलाह से निर्धारित किए गए हों।

31 मार्च 2015 तक वाणिज्यिक या अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के दो विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम अर्थात डी.ए.ई. के तहत परमाणु ईंधन परिसर, हैदराबाद तथा भारी जल बोर्ड, मुंबई थे, जो इस कार्यालय के लेखापरीक्षा के नियंत्रणाधीन थे। इन उपक्रमों के वित्तीय परिणाम, प्रोफॉर्मा लेखे जिसमें ट्रेडिंग लेखा, लाभ एवं हानि

³ डी.ए.ई., डी.ओ.एस., एम.ओ.ई.एस., एम.ओ.ई.एफ.सी.सी., एम.एन.आर.ई. एवं एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी.जी.आर.आर.

एवं तुलन पत्र शामिल हैं, तैयार करके वार्षिक रूप से बनायी जाती हैं। फिर भी भारी जल बोर्ड एवं परमाणु ईंधन परिसर के 2014-15 की अवधि हेतु प्रोफॉर्मा लेखे, लेखापरीक्षा हेतु एक वर्ष के विलंब के बाद भी प्राप्त नहीं हुए थे।

1.8 हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं को अपलिखित/माफ करना

मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत 2014-15 के दौरान अपलिखित/माफ की गयी हानियाँ और न वसूल हो सकने वाली देयताओं को इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट II** में दिया गया है। परिशिष्ट से देखा जा सकता है कि 2014-15 के दौरान ₹ 21.02 लाख के 47 मामलों की राशियों को 'अन्य कारणों' के लिए अपलिखित किया गया; और एक-एक मामले में वसूली की माफी से संबंधित ₹ 7,000 की राशि तथा अनुग्रही भुगतान के लिए ₹ एक लाख माफ कर दिये गए।

1.9 प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का प्रत्युत्तर

लोक लेखा समिति के अनुशंसाओं पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सी. एण्ड ए.जी. के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रत्युत्तर छह सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश सभी मंत्रालयों को जून 1960 में जारी किया था। यह समय सी. एण्ड ए.जी. द्वारा निर्मित लेखापरीक्षा व लेखा नियमावली के पैरा 207(1) के तहत भी निर्धारित है।

प्रारूप पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा जाँचों की ओर उनका ध्यान दिलाने के लिए प्रेषित किया जाता है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने प्रत्युत्तर छह सप्ताह के भीतर भेजें। उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे पैराग्राफों को सी. एण्ड ए.जी. की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो कि संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, में सम्मिलित किए जाने की संभावना में उनके टिप्पणियाँ सम्मिलित करना वांछनीय होगा।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पैराग्राफों को संबंधित सचिवों को दिसम्बर 2015 और जनवरी 2016 के बीच उनको व्यक्तिगत रूप से संबोधित पत्रों के माध्यम से प्रेषित किया गया था।

इस प्रतिवेदन में अध्याय II से VI में दर्शित ₹ 32.49 करोड़ के 11 पैराग्राफ हैं जिनमें चार दीर्घ पैराग्राफ शामिल हैं। 11 में से आठ पैराग्राफों के बारे में संबंधित मंत्रालय/विभाग के उत्तर प्राप्त हुए थे। इनमें से, दो पैराग्राफों के बारे में विभाग

द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किए गए। शेष छः पैराग्राफों के बारे में प्राप्त उत्तरों को समुचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।


1.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति ने 22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपनी नवीं रिपोर्ट (ग्यारहवीं लोक सभा) में अनुशंसा की थी कि 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के उपरांत की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित अनुवर्ती कार्रवाई टिप्पणियाँ (ए.टी.एन.) संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के चार महीनों के भीतर उन्हे प्रस्तुत की जाए।

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सी. एण्ड ए.जी. के प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफों पर बकाया ए.टी.एन. की समीक्षा से पाया गया कि 31 दिसम्बर 2015 (विवरण **परिशिष्ट III** में) तक तीन मंत्रालय/विभागों से पाँच लंबित ए.टी.एन. पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए थे, जो कि प्रस्तुत करने में 10 से 37 महीनों की देरी को दर्शाते हैं। सात मंत्रालयों/विभागों से 42 पैरा से संबंधित पुनरीक्षित ए.टी.एन. 104 महीने तक से लंबित थे (**परिशिष्ट IV**)।

लंबित ए.टी.एन. की कुल स्थिति नीचे चार्ट में संक्षेपित की गई है:

चार्ट 3 : लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया ए.टी.एन. की संख्या



अध्याय-II

परमाणु ऊर्जा विभाग

2.1 भण्डार की खरीद एवं मालसूची प्रबन्धन की निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

भण्डार की खरीद एवं मालसूची प्रबन्धन की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान की गई सिफारिशों के अनुपालन की इसकी स्वयं की कथित कार्य योजना निष्पादित करने में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा की गई प्रगति कुल मिलाकर अपर्याप्त थी। की गई 32 सिफारिशों में से केवल छः में पूर्ण कार्यान्वयन प्राप्त किया गया था। खरीदों की योजना, समय अनुसूची का अनुपालन और ठेका प्रबन्धन में कमियां बनी हुई हैं। सामग्री प्रबन्धन कार्यों के कम्प्यूटरीकरण का कार्यान्वयन नगण्य रहा।

2.1.1 प्रस्तावना

खरीद एवं भण्डार निदेशालय, मुम्बई (डी.पी.एस.) परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के अधीन एक केन्द्रीयकृत खरीद एवं भण्डार संगठन है जिसे डी.ए.ई. की विभिन्न यूनिटों के सामग्री प्रबन्धन कार्यों का उत्तरदायित्व दिया गया है। डी.ए.ई. में खरीद कार्यकलाप खरीद प्रक्रिया (1972) द्वारा शासित किए जाते हैं जो 2001 में संशोधित की गई थी। अधिक व्यावसायिकता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से डी.ए.ई. ने सरकारी मार्गनिर्देशों के परिक्षेत्र के अन्दर सामग्री के स्रोत, खरीद, भण्डारण तथा माल सूची नियंत्रण की प्रक्रियाएं प्रतिपादित कर व्यापक खरीद नियम पुस्तक प्रकाशित की (नवम्बर 2009)। डी.ए.ई. की भण्डार प्रक्रिया 1976 से अस्तित्व में थी। संशोधित और अद्यतन भण्डार प्रक्रिया का मसौदा सितम्बर 2014 में तैयार किया गया था जिसका फरवरी 2016 तक सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लम्बित था।

2.1.1.1 अनुवर्ती लेखापरीक्षा

डी.ए.ई. में 'भण्डार की खरीद एवं माल सूची प्रबन्धन' की निष्पादन लेखापरीक्षा 2008-09 में की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 2010-11 की संख्या 13 (निष्पादन लेखापरीक्षा) में चित्रित किए गए और 32 सिफारिशों की गई थीं। डी.ए.ई. ने लेखापरीक्षा की सिफारिशों स्वीकार की और लेखापरीक्षा सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए मापनीय समय ढांचे के साथ

विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की। डी.पी.एस. ने डी.ए.ई. में अपनाई गई प्रथाओं तथा प्रक्रियाओं में संशोधन कर एक परिपत्र भी जारी किया (मार्च 2011)। डी.ए.ई. द्वारा की गई कार्यवाहियों की विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई टिप्पणियों के माध्यम से आवधिक समीक्षा की गई थीं। चूंकि डी.ए.ई. के स्वयं के वचनबद्धताओं के अनुपालन का स्तर अपूर्ण पाया गया था, इसलिए किस सीमा तक डी.ए.ई. ने लेखापरीक्षा सिफारिशें कार्यान्वित की थी, सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई थी। डी.पी.एस. तथा चेन्नई, हैदराबाद तथा इन्दौर के आर.पी.यू. द्वारा की गई खरीदों की जांच के लिए चयन किया गया था। 2009-14 की अवधि के दौरान इन सत्त्वों द्वारा दिए गए 79,688 खरीद आदेशों जिनका मूल्य ₹ 5,981.49 करोड़ था में से 2,070 खरीद मामले जिनका मूल्य ₹ 2,399.80 करोड़ (40% मूल्य के) को स्तरीकरण यादृच्छिक नमूने के आधार पर चुना गया था तथा संबंधित भुगतान फोल्डरों की लेखापरीक्षा में जांच की गई थी।

2.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में खरीद योजना तथा प्रक्रियाओं, आपूर्तियों तथा माल सूचियों के प्रबन्धन और डी.पी.एस. तथा चयनित आर.पी.यू. में खरीद तथा भण्डार कार्यों का कम्प्यूटीकरण के अभिलेखों की संवीक्षा की गई। सी. एण्ड ए.जी. के 2010-11 के प्रतिवेदन संख्या 13 में की गई लेखापरीक्षा सिफारिशें, डी.ए.ई. द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई और उनके अनुपालन पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

2.1.2.1 खरीद की योजना

(1) लेखापरीक्षा सिफारिशों और डी.ए.ई. द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई का विहंगावलोकन

2010-11 के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 13 में लेखापरीक्षा ने खरीदों की योजना, खरीदों की सामायिकता सुनिश्चित करने में कमियां और निर्धारित समय सीमाओं से आगे खरीदों में विलम्ब पर सूचना दी जिसके परिणामस्वरूप डी.ए.ई. को अतिरिक्त वित्तीय देयता हुई। प्रतिवेदन में की गई लेखापरीक्षा सिफारिशें और डी.ए.ई. द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना निम्नवत थी:

लेखापरीक्षा सिफारिशें	सिफारिशों पर डी.ए.ई. द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई	कार्यान्वयन स्थिति
<p>वार्षिक खरीद योजनाएं तैयार की जाएं और विलम्बों तथा आवृत्तीय खरीदों का परिहार करने के लिए अग्रिम में आवश्यकताएं समेकित कर खरीद यूनिटों को सूचित की जाए जिससे धन का लाभ अधिकतम किया जा सके।</p>	<p>डी.ए.ई. के परामर्श से डी.पी.एस. वार्षिक खरीद आवश्यकताएं/योजनाएं बेजने के लिए डी.ए.ई. की विभिन्न संघटक यूनिटों के सभी परियोजना अधिकारियों से सम्पर्क करेगा। यह परिहार्य विलम्बों से बचने तथा धन का बेहतर लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं को समेकित करने तथा खरीद के लिए अग्रिम कार्रवाई करने में डी.पी.एस. को समर्थ करेगा।</p> <p>प्रस्तावित कार्रवाई की समय सीमा - दो माह</p>	<p>नगण्य प्रगति</p>
<p>₹ 50 लाख से कम एकल निविदा खरीदों के लिए डी.ए.ई. समय अनुसूची निर्धारित करे। डी.ए.ई. आदेश देने में विलम्बों का भी परिहार करे।</p>	<p>खरीदों, भण्डारों तथा मालसूची कार्यकलापों के विभिन्न चरणों की समय सीमाएं परिभाषित की जाएंगी और सभी संबंधितों को उचित प्रकार आदेश जारी किए जाएंगे।</p> <p>समय सीमा जिस तक प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है - तीन माह</p>	<p>आंशिक कार्यान्वयन</p>
<p>मांगपत्रों में निर्दिष्ट सुपुर्दगी अनुसूचियों द्वारा आपूर्तियां सुनिश्चित करने के लिए क्रय आदेश (पी.ओ.) समय से दिए जाने चाहिए। तुरन्त, 'प्राथमिकता', 'तत्काल' आदि आधार पर उठाई गई आवश्यकताएं बेहतर खरीद योजना के लिए विशेष समय सीमाओं के अनुसार व्यक्त की जाएं।</p>	<p>सुपुर्दगी आवश्यकताओं के संबंध में तुरन्त 'प्राथमिकता पर', 'तत्काल' आदि अभिव्यक्तियों के साथ किए गए मांगपत्र पूर्णतया हतोत्साहित किए जाएंगे और मांगकर्ताओं को विशेष समय सीमाएं/तारीखें आवश्यक रूप से दर्शाने की सलाह दी जाएगी जिसके अन्दर आवश्यकताएं पूरी की जानी हैं। इस संबंध में अनिवार्य क्षेत्रों से मानक मांगपत्र सांचा विकसित करना प्रस्तावित है जिसके बिना डी.पी.एस. में मांगपत्र पंजीकृत करना सम्भव नहीं होगा। यह आदेशात्मक क्षेत्र बनाने के द्वारा निश्चित वितरण आवश्यकताएं दर्शाने के लिए मांगकर्ता की ओर से अनुपालन सुनिश्चित करेगा। एक परिपत्र इस आवश्यकता की देखभाल करने के लिए जारी किए जाने का प्रस्ताव है।</p> <p>प्रस्तावित कार्रवाई की समय सीमा - एक माह</p>	<p>नगण्य प्रगति</p>

लेखापरीक्षा सिफारिशें	सिफारिशों पर डी.ए.ई. द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई	कार्यान्वयन स्थिति
<p>यह सुनिश्चित करने कि पी.ओ. समय से दिए जाते हैं और आपूर्तियां अभिदुत कार्यकलापों/परियोजनाओं की समय अनुसूची के अन्दर ही सुनिश्चित की जाती है, के लिए डी.ए.ई. खरीद की प्रणाली को कारगर बनाए।</p>	<p>कार्यकलापों/परियोजनाओं की समय अनुसूचियों के समन्वय में खरीदों की योजना बनाने के लिए डी.ए.ई. की विभिन्न यूनिटों के परियोजना अधिकारियों पर जोर दिया जाएगा। प्रस्तावित कार्रवाई की समय सीमा - दो माह</p>	<p>आंशिक कार्यान्वयन</p>
<p>खरीदों, भण्डारों तथा मालसूची कार्यकलापों के विभिन्न चरणों की समय सीमाएं खरीद तथा भण्डार कार्यविधियों में समाविष्ट की जाएं।</p>	<p>खरीद, भंडार, तथा मालसूची कार्यकलापों के विभिन्न चरणों की समय सीमा निर्धारित की जाएगी तथा सभी संबंधितों को उचित रूप से आदेश जारी किए जाएंगे। साथ ही साथ, सूचित समय सीमाओं के पालन को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा। उपरोक्त आदेश क्रय नियम पुस्तक के अध्याय 36, जो समय सारिणी और निगरानी तंत्र को परिकल्पित करता है, के परिणाम के रूप में जारी किये जायेंगे और यह क्रय नियम पुस्तिका का भाग होगा। समय सीमा जिस तक प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है - तीन महीने</p>	<p>आंशिक कार्यान्वयन</p>
<p>यह सुनिश्चित करने के लिए कि डी ए ई की विभिन्न खरीद एजेंसियां, निविदाओं के प्रसंस्करण और अन्तिमिकरण के लिए निर्धारित समय सीमा का दृढ़ता से पालन करते हैं, डी ए ई एक उचित निरीक्षण प्रणाली बनाये।</p>	<p>समय सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक तन्त्र विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न संघटक यूनिटों से सदस्यों से बना एक कार्यबल विषय का विस्तार में अध्ययन करने और लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए विषय का समाधान करने की रणनीति की सिफारिश करने के लिए गठित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्य बल/ समिति का प्रयोगात्मक गठन डी.पी.एस. द्वारा डीएई को सूचित किया जाएगा। समिति की सिफारिशों के आधार पर आवश्यक आदेश और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन खरीद नियम</p>	<p>शून्य प्रगति</p>

लेखापरीक्षा सिफारिशें	सिफारिशों पर डी.ए.ई. द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई	कार्यान्वयन स्थिति
	<p>पुस्तक के खण्ड 36.1.5 की वृद्धि के रूप में जारी किए जाएंगे।</p> <p>समय सीमा जिस तक प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है:</p> <p>क) डीएई द्वारा कार्य बल/ समिति की अधिसूचना-दो माह,</p> <p>ख) समिति की अन्तिम सिफारिशें उसके गठन के बाद छः माह की अवधि के अन्दर की जानी हैं।</p>	
<p>अधिसंख्य खरीदों में अनुमानित लागत तथा वास्तविक खरीद मूल्य के बीच महत्वपूर्ण अन्तर के दृष्टिगत डी.ए.ई. पारदर्शी तथा वास्तविक रीति में उद्धरित मूल्यों की उचितता निर्धारित करने के लिए मानदण्ड प्रदान करने के लिए अन्तर की स्वीकार्य श्रेणियां निर्धारित करने की व्यवहार्यता की जांच करे। मांग करने के चरण पर अधिक यथार्थ लागत अनुमान तैयार करने में मांगकर्ताओं की सहायता के लिए मार्गनिर्देशों का एक व्यापक संग्रह विकसित किया जाए।</p>	<p>मांगकर्ता अधिकारियों पर परियोजना की अनुसूची, आदेश देने के निर्धारित समय और इस समय तक सुपुर्दगी अनुसूचियों को ध्यान में रखकर मदों की खरीद की योजना बनाने पर जोर दिया जाएगा। ऊपर उल्लिखित समय कारकों में गुणक करने के बाद मांगपत्र पर वास्तविक सुपुर्दगी अनुसूची दर्शाने के लिए उन पर जोर दिया जाएगा।</p> <p>इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया जाएगा - एक माह</p> <p>मांगपत्र देने के समय विस्तृत संगणना और अनुमानित लागत पर पहुंचने का आधार भेजने के लिए सभी मांगकर्ता अधिकारियों को परामर्श देते हुए एक परिपत्र जारी किया जाएगा। अनुमानित लागत की गणना करते समय एक समान विधि अपनाने के लिए भी उचित निर्देश जारी किए जाएंगे।</p> <p>प्रस्तावित कार्रवाई के लिए समय सीमा- एक माह</p>	नगण्य प्रगति
<p>सामान्य स्टाक मदों और उनके इष्टतम मालसूची स्तरों की सूची अद्यतन करने के लिए नियमित आधार पर डी.ए.ई. अपनी भौतिक आवश्यकताओं की समीक्षा करे।</p>	<p>सामान्य स्टाफ पदों की सूची की नियमित समीक्षा की जाएगी। इस प्रयोजन हेतु प्रयोक्ताओं से प्रतिपृष्टि तन्त्र स्थापित की जाएगी और खपत प्रतिमान के आधार पर सूची संशोधित की जाएगी जैसी आवश्यक समझी जाय।</p>	नगण्य प्रगति

(2) लेखापरीक्षा निष्कर्ष

डी.पी.एस. एवं चयनित आर.पी.यू. के अभिलेखों के आगे जाँच के आधार पर पाए गए लेखापरीक्षा निष्कर्ष की अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

(i) वार्षिक खरीद योजनाओं की कमी

लेखापरीक्षा कि सिफारिशों के आधार पर वार्षिक खरीद योजनाएं तैयार करने और प्रत्येक वर्ष मार्च तक डी.पी.एस. को उन्हें प्रस्तुत करने के लिए डी.ए.ई. की सभी यूनिटों को डी.पी.एस. ने निर्देशित किया (मार्च 2011)। अलग-अलग योजनाओं के आधार पर डी.पी.एस. को समेकित वार्षिक खरीद योजना बनानी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्षिक खरीद योजनाएं केवल सामान्य स्टॉक मर्दों के संसाधन हेतु वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थीं। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि यद्यपि सामान्य स्टॉक मर्दों के संसाधन हेतु वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थीं परन्तु आवश्यकताएं संकलित नहीं की गई थीं और पी.ओ. फुटकर आधार पर जारी किए गए थे। भट्टी तेल की फुटकर खरीद की केस स्टडी पर नीचे बाक्स 1 में चर्चा की गई है।

बाक्स 1 : भट्टी तेल की फुटकर खरीद

डी.ए.ई. की खरीद नियम पुस्तक का खण्ड 10.6.9 अनुबद्ध करता है कि जहाँ आदेश बड़ी मात्रा के लिए है वहाँ लागत के अनुमान के लिए मितव्ययिता के लाभ को ध्यान में रख जाना चाहिए। डी.पी.एस. ने कीमत में मितव्ययिता और दरों की निरन्तरता प्राप्त करने के लिए भट्टी तेल की आपूर्ति हेतु सभी पी.एस.यू. तेल कम्पनियों के साथ सामूहिक अनुबंध करने के लिए निर्देश जारी किए (नवम्बर 2012)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डी.पी.एस. ने न तो वार्षिक दर ठेका किया और न ही भट्टी तेल की आपूर्ति हेतु तेल कम्पनियों के साथ सौदा किया। इसके बजाय डी.पी.एस. तथा इसके आर.पी.यू. ने फुटकर आधार पर भट्टी तेल की खरीद जारी रखी। दिसम्बर 2012 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान हैदराबाद क्षेत्रीय खरीद इकाई (एच.आर.पी.यू.) तथा मद्रास क्षेत्रीय खरीद इकाई (एम.आर.पी.यू.) ने ₹ 45.28 करोड़ की कुल लागत पर तीन तेल कम्पनियों से 8,628 मीट्रिक टन भट्टी तेल की खरीद हेतु क्रमशः सात और छः पी.ओ. दिए। आवश्यकताओं को समेकित करने और तेल कम्पनियों के साथ सामूहिक अनुबंध करने में विफलता खरीद नियम पुस्तक के प्रावधानों तथा डी.ए.ई. के निर्देशों का उल्लंघन था। इसके अलावा थोक खरीदों हेतु कीमतों पर समझौते की बातचीत न करने के कारण उच्च लागतें उठाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

डी.ए.ई. ने बताया (जुलाई 2013) कि आवश्यकताओं के संसाधन की व्यवहार्यता वार्षिक रूप से वर्क फ्लो आटोमेशन साफ्टवेयर के सफल कार्यान्वयन पर निर्धारित की जा सकेगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि यह साफ्टवेयर केवल एम.आर.पी.यू. में लागू किया गया था (जुलाई 2014)। तथापि साफ्टवेयर के कार्यान्वयन के बावजूद वार्षिक

खरीद योजनाएं इकाई में अभी तैयार की जानी थी (मई 2015) क्योंकि साफ्टवेयर का सुधारीकरण के अन्तर्गत होना बताया गया था। डी.ए.ई. की अन्य यूनिटों ने वर्क फ्लो वार्षिक खरीद योजनाएं नहीं बनाई थी क्योंकि ऑटोमेशन प्रणाली का परिचालन नहीं था।

डी.पी.एस. ने बताया (अगस्त 2015) कि मांगकर्ता यूनिटें अपनी योजनाओं के अनुसार आवश्यकताओं का समेकन करेंगी और डी.पी.एस. को मांगपत्र भेजेंगी। इसलिए डी.पी.एस. की कोई अलग वार्षिक खरीद योजना नहीं थी।

तथ्य यह रहा कि डी.पी.एस. को अलग-अलग खरीद योजनाओं के आधार पर समेकित वार्षिक खरीद योजना तैयार करनी थी, जो नहीं बनाई गई।

(iii) मांगपत्रों के प्रसंस्करण में विलम्ब

आरम्भ में जून 2002 में सीमित और सार्वजनिक निविदाओं के संसाधन हेतु समय सीमाएं निर्धारित की गई थी। ये अक्टूबर 2005 में संशोधित की गई थीं। सी. एण्ड ए.जी. के 2010-11 के प्रतिवेदन सं. 13 के बाद डी.ए.ई. ने खरीद, भण्डारों तथा लेखाओं के विभिन्न कार्यकलापों की समय अनुसूचियां दोबारा पुनःपरिभाषित की (मार्च 2011)। लेखापरीक्षा में मार्च 2011 के बाद और 2013-14 तक संसाधित 984 खरीद मामलों की संवीक्षा की और पाया कि डी.पी.एस. तथा चयनित आर.पी.यू. 204 मामलों (21 प्रतिशत) में निर्धारित सामयिकता का पालन करने में विफल रहे। ब्यौरे तालिका 6 में दिए गए हैं।

तालिका 6 : मांगपत्रों के प्रसंस्करणों में विलम्ब

निविदा की प्रकृति	मामलों की संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)	डी.ए.ई. द्वारा निर्धारित समय अनुसूची (दिन)	निर्धारित अवधि से आगे विलम्ब श्रेणी (माह)
1) एकल निविदा	38	24.05	60	3 से 13
2) सीमित निविदा (एकल बोली)	64	10.53	150	3 से 17
3) सार्वजनिक निविदा (एकल बोली)	35	73.86	180	3 से 18
4) (क) दो भाग निविदा (सीमित निविदा)	12	79.28	240	3 से 17
(ख) दो भाग निविदा (सार्वजनिक निविदा)	55	193.38	240	3 से 24
योग	204	381.10	-	3 से 24

इन विलम्बित मामलों में से प्रत्येक चार श्रेणियों में से 10 मामले विलम्ब का विश्लेषण करने के लिए विस्तृत जांच हेतु चयन किए गए थे। निष्कर्ष तालिका 7 में विस्तृत है।

तालिका 7 : खरीद मामलों के प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में विलम्ब की मात्रा

विलम्ब का स्वरूप	एकल निविदा			सीमित निविदा			सार्वजनिक निविदा			दो भाग सार्वजनिक निविदा		
	विलम्ब के मामलों की सं.	निर्धारित समय (दिन में)	विलम्ब (दिन में)	विलम्ब के मामलों की सं.	निर्धारित समय (दिन में)	विलम्ब (दिन में)	विलम्ब के मामलों की सं.	निर्धारित समय (दिन में)	विलम्ब (दिन में)	विलम्ब के मामलों की सं.	निर्धारित समय (दिन में)	विलम्ब (दिन में)
मांगपत्र की प्राप्ति के बाद पूछताछ जारी करने में विलम्ब	5	6	6-121	2	25	56-470	2	25	36-46	4	25	7-178
निविदा देय तिथि और पूछताछ जारी करने की तारीख के बीच समय में विलम्ब	10	14	9-100	10	30	8-99	8	45	1-38	7	60	13-74
प्रतियोगी विवरण तैयार करने/नियत तारीख के बाद प्रयोक्ता विभाग को फाइल भेजने के लिए किए गए समय में विलम्ब	9	3	1-35	3	24	8-277	2	24	1-5	10	12	75-322
प्रस्तावों के मूल्यांकन तथा डी.पी.एस. को अनुशंसा प्रस्तुत करने में विलम्ब	5	15	1-135	5	30	9-194	8	45	24-144	2	90	31-53
व्यापारिक निपटान, तैयारी और अन्तिम सिफारिश की प्राप्ति के बाद पूर्व लेखापरीक्षा को खरीद आदेश	10	24	12-150	10	25	4-207	10	25	46-151	8	30	49-393

विलम्ब का स्वरूप	एकल निविदा			सीमित निविदा			सार्वजनिक निविदा			दो भाग सार्वजनिक निविदा		
	विलम्ब के मामलों की सं.	निर्धारित समय (दिन में)	विलम्ब (दिन में)	विलम्ब के मामलों की सं.	निर्धारित समय (दिन में)	विलम्ब (दिन में)	विलम्ब के मामलों की सं.	निर्धारित समय (दिन में)	विलम्ब (दिन में)	विलम्ब के मामलों की सं.	निर्धारित समय (दिन में)	विलम्ब (दिन में)
के प्रस्तुतीकरण हेतु लिए समय में विलम्ब												
पूर्व लेखापरीक्षा द्वारा लिए गए समय में विलम्ब	6	5	9-29	3	9	7-135	5	9	1-13	5	14	1-12
खरीद आदेश जारी करने में विलम्ब	5	3	2-82	5	7	4-45	2	7	2-40	5	9	1-70

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि अधिकांश विलम्ब व्यापारिक निपटान, तैयारी और अन्तिम सिफारिश की प्राप्ति के बाद पूर्व लेखापरीक्षा को पी.ओ. के प्रस्तुतीकरण के दौरान हुए थे। निविदा पूछताछ जारी करने और बोलियों की प्राप्ति के बीच लिए गए समय में भी महत्वपूर्ण समय उल्लंघन हुए थे।

डी.पी.एस. ने बताया (अगस्त 2015) कि मांगपत्रों का संसाधन करते समय डी.पी.एस. को पारदर्शिता तथा प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्धारित प्रक्रियाओं और सी.वी.सी. मार्गनिर्देशों का पालन करना अपेक्षित था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उस समय प्रतिक्रियाओं की कमी, प्रक्रियात्मक पहलुओं आदि ने समय पर मामलों को अन्तिम करने में विलम्ब किया।

तथापि तथ्य यह रहा कि समय सीमाओं और डी.पी.एस./डी.ए.ई. द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के बावजूद आंतरिक प्रक्रियाओं में विलम्ब हुए।

(iii) पी.ओ. देने में विलम्ब

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निविदाओं के अन्तिमीकरण के बाद खरीद आदेश देने में विलम्ब होने से न केवल खरीद प्रक्रिया विलम्बित हुई अपितु प्रस्तावों की वैधता की समाप्ति के कारण मूल्य वृद्धियों में भी सहयोग किया। तालिका 8 में विस्तृत तीन मामलों में डी.पी.एस. निविदाओं की वैधता अवधि के अन्दर निम्नतम बोलीदाताओं को पी.ओ. नहीं दे सका। बाद में इसको उच्च दरों पर पी.ओ. देने पड़े जिसके परिणामस्वरूप ₹ 68.70 लाख की हानि हुई।

तालिका 8 : पी.ओ. देने में विलम्ब के मामले

मांगकर्ता इकाई	मद	निम्नतम प्रस्ताव (₹)	प्रस्ताव की वैधता	पी.ओ. का निर्गम	पी.ओ. मूल्य (₹) में	अन्तर (₹ लाख) में
हैवी वाटर प्लांट मानुगुरु	कास्टिक सोडा लाई	2.23 करोड़	नवम्बर 2011	फरवरी 2012	2.67 करोड़	43.89
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	स्टेलेस स्टील संघटक	49.74 लाख	जनवरी 2008 विस्तारित मार्च 2008	जुलाई 2009	65.62 लाख	15.88
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	बेरिलियम कापर अलाय प्लेट	4,675 प्रति किग्रा	जून 2009	जुलाई 2010	5,000 प्रति किग्रा	8.93 (2,749 किग्रा के लिए
योग						68.70

लेखापरीक्षा में ऐसे दृष्टान्त भी देखे गए जिनमें मांगकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट सुपुर्दगी तारीखों के बाद पी.ओ. दिए गए थे। 2039 मांगपत्रों की समीक्षा पर यह पाया गया था कि ₹ 279.13 करोड़ मूल्य के 304 मांगपत्रों (15 प्रतिशत मामले) के पी.ओ. निर्दिष्ट सुपुर्दगी तारीखों से 26 माह तक की अवधि के बाद दिए गए थे।

इस प्रकार डी.पी.एस. तथा चयनित खरीद यूनितें पी.ओ. का सामयिक स्थानन सुनिश्चित करने में असमर्थ थे।

(iv) खरीदों की सुपुर्दगी अनुसूचियों में स्पष्टता की कमी

डी.ए.ई. ने विभिन्न घटकों को हिसाब में लेने के बाद अपनी खरीदों की योजना बनाने और तदनुसार सुपुर्दगी अनुसूची दर्शाने के लिए मांगकर्ताओं को कहा (मार्च 2011)। मांगकर्ताओं से 'तुरन्त', 'तत्काल' आदि जैसे वाक्यांशों से बचने का अनुरोध किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मांगपत्रों में इन अस्पष्ट सुपुर्दगी शब्दावलियों का उपयोग करना जारी था। लेखापरीक्षा में जांचित 1,701 मामलों में से ₹ 907.13 करोड़ मूल्य के 946⁴ मांगपत्रों (56 प्रतिशत) में मांगकर्ताओं ने सुपुर्दगी अनुसूचियां निर्दिष्ट नहीं की थी और "तत्काल", "तुरन्त", "यथासम्भव शीघ्र" आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। यह दर्शाता है कि सुपुर्दगी अनुसूचियां निर्धारित करने के डी.ए.ई. के मार्गनिर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि मांगपत्रों में उल्लिखित तत्काल", "तुरन्त", "यथासम्भव शीघ्र" सुपुर्दगी अनुसूचियों के बावजूद डी.पी.एस. तथा चयनित आर.पी.यू. ₹ 493.58

⁴ डी.पी.एस., एच.आर.पी.यू. तथा आई.आर.पी.यू. में

करोड़ मूल्य के 288 मामलों में आदेश देने के लिए अधिकतम निर्धारित समयसीमा का पालन करने में विफल हो गए। विलम्ब 240 दिनों की अधिकतम निर्धारित समय सीमा से अधिक एक से 115 महीनों के बीच था। यद्यपि आवश्यकता तुरन्त के रूप में कही गई थी परन्तु मामले डी.पी.एस. द्वारा नेमी रीति में संसाधित किए गए थे।

(v) निरीक्षण तंत्र की कमी

निरीक्षण तंत्र स्थापित करने की लेखापरीक्षा सिफारिश के प्रति अपनी उपचारी कार्रवाई में डी.ए.ई. ने समय सीमाओं के अनुपालन के मामले का अध्ययन करने के लिए एक कार्यबल गठित करने का प्रस्ताव किया। तथापि यह दर्शाने के लिए अभिलेखों में कुछ नहीं था कि ऐसा कार्यबल/समिति गठित की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि डी.पी.एस. ने केवल समय सीमा का अनुपालन करने में विफलता को सूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित की (मार्च 2011)। खरीद मामलों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा में नामित अधिकारी को सूचित किए जा रहे समय अनुसूचियां अपनाने में विलम्ब और/अथवा की गई सुधार कार्रवाई के मामलों के दृष्टान्त नहीं पाए गए।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि खरीदों के संसाधन में विलम्ब के मामलों की जांच करने का निरीक्षण तंत्र स्थापित नहीं किया गया था।

(vi) नियम पुस्तकों में खरीद तथा भण्डार कार्यकलापों की समय अनुसूचियों का प्रावधान

डी.ए.ई. की अद्यतन खरीद नियम पुस्तक अनुबद्ध करती है कि डी.पी.एस. द्वारा निर्धारित प्रत्येक खरीद कार्यकलाप की समय अनुसूची का अधिकारी पालन करें। डी.ए.ई. ने निश्चित समय अनुसूचियां निर्धारित करने का प्रस्ताव किया था जो नियम पुस्तक का भाग बनेगा। डी.पी.एस. ने खरीद, भण्डारों तथा लेखाओं के विभिन्न कार्यकलापों के लिए समय अनुसूचियां पुनः परिभाषित की (मार्च 2011)। तथापि ये समय अनुसूचियां खरीद नियम पुस्तक में समाविष्ट नहीं की गईं। इसी प्रकार चूंकि निर्धारित समय अनुसूचियों के अनुपालन की निगरानी का निरीक्षण तंत्र स्थापित नहीं किया गया था इसलिए खरीद कार्यकलापों की निगरानी से संबंधित प्रावधान भी नियम पुस्तक से छोड़े गये।

(vii) खरीद की अनुमानित और वास्तविक लागतों के बीच अन्तर

डी.ए.ई. की खरीद नियम पुस्तक का खण्ड 10.6 खरीदों की लागत के अनुमानों पर पहुँचने की कार्यप्रणाली निर्धारित करता है। डी.पी.एस. ने खरीद नियम पुस्तक में दिए गए मार्गनिर्देशों का अनुपालन करने और अनुमानित लागतें कैसे निकाली गईं, दर्शाने

के लिए एक बैकअप पेपर प्रस्तुत करने के लिए मांगकर्ता अधिकारियों को निर्देश दिया (मार्च 2011)। खरीद मामलों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया था कि लागत अनुमानों को उचित ठहराने अथवा प्रदर्शित करने के लिए मांगपत्रों के साथ कोई बैकअप पेपर लगाए नहीं गए थे। उसके अभाव में यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या लागत अनुमान खरीद नियम पुस्तक में दिए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार किए जा रहे थे।

2.1.2.2 खरीद प्रक्रिया

(1) लेखापरीक्षा सिफारिशों का विहंगावलोकन और डी.ए.ई. द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई

सी. एण्ड ए.जी. के 2010-11 के प्रतिवेदन संख्या 13 में लेखापरीक्षा ने तात्कालिकता का आधार बताने के द्वारा निविदा आमंत्रण (एकल/सीमित निविदा) की प्रतिबंधक विधि के बाद की जा रही बड़े अनुपात में खरीदों पर आपत्तियां की। इसने न केवल प्रतियोगिता को प्रतिबंधित किया बल्कि उपकरणों के सामयिक प्रतिष्ठापन/चालू करना सुनिश्चित किए बिना ऐसे निविदा आमंत्रण के अनेक मामलों में निविदा आमंत्रण की प्रतिबंधक विधि अपनाने का प्रयोजन विफल हो गया। लेखापरीक्षा में डी.पी.एस. में ठेका प्रबंधन में कमजोरियों पर भी सूचित किया गया। प्रतिवेदन में की गई लेखापरीक्षा सिफारिशों और डी.ए.ई. द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई निम्नवत थी:

लेखापरीक्षा सिफारिशें	सिफारिशों पर डी.ए.ई. द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई	कार्यान्वयन की स्थिति
तात्कालिकता के आधार पर निविदा आमंत्रण की सामान्य विधि की रिहाई की मांग करने वाले प्रस्ताव ऐसी कार्रवाई का औचित्य सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट तारीख और अन्य अपेक्षाओं तक कार्यस्थल की तैयारी अथवा कार्यस्थल की तैयारी की वचनबद्धता के प्रमाण पत्र के आधार पर की जा सकती है।	केवल तात्कालिकता के कारणों पर विचलन का प्रस्ताव करने से बाज आने के लिए मांगकर्ता अधिकारी को प्रभावित करने के प्रयास किए जाएंगे। मामले पर दिसम्बर 2009 में आयोजित डी.पी.एस. परिषद बैठक में पहले ही चर्चा की गई है और इसे सभी खरीद अनुमोदनकर्ता अधिकारियों के ध्यान में लाने के लिए अगली भण्डार एवं उपकरण समिति, बी.ए.आर.सी. बैठक में उठाया जाएगा। इस संबंध में एक परिपत्र एक माह के अन्दर जारी किया जाएगा।	पूर्ण कार्यान्वयन
मात्रा को विभाजित करने का इरादा, जहाँ कहीं आवश्यक हो, निविदा आमंत्रण चरण पर स्पष्टतया स्पष्ट	जैसा सुझाव दिया गया, आदेश को विभाजित करने का कोई इरादा प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण से पूर्व बोलीदाताओं के	पूर्ण कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा सिफारिशें	सिफारिशों पर डी.ए.ई. द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई	कार्यान्वयन की स्थिति
<p>किया जाना चाहिए और एक से अधिक आपूर्तिकर्ता को ठेका सौंपते समय मूल्यों की समानता बनाए रखी जाय। मात्राओं के वितरण और विभिन्न पूर्तिकारों को आदेशित मूल्य के निर्धारण में जी.एफ.आर. के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।</p>	<p>बीच स्पष्टता बनाए रखने के लिए निविदा पूछताछ दस्तावेज में शामिल किया जाएगा। चूंकि विभाजन का प्रयोजन एकल पूर्तिकार पर अधिक निर्भरता पहले से ही अधिकृत करना है इसलिए ऐसे मामले उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिक युक्तियुक्त रूप से उल्लिखित किए जाएंगे जिनके लिए विभाजन किया गया है।</p> <p>समय सीमा जिस तक प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है - एक माह</p>	
<p>प्रतियोगिता को अधिकतम करने हेतु, विलम्ब को कम करे हेतु, खरीद कम करने हेतु, आदेश देते समय खरीद प्रक्रिया और सी.वी.सी. मार्ग निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और प्रत्यायोजित शक्तियों का पालन सुनिश्चित किया जाय।</p>	<p>मांगपत्र देने के समय से ही आदेश देने तक खरीद प्रक्रिया में खरीद प्रक्रिया तथा वर्तमान सी.वी.सी. मार्गनिर्देशों के अनुपालन की आवश्यकता पर परियोजना अधिकारियों/मांगकर्ता अधिकारियों को उचित सलाह दी जाएगी। अन्य बातों के साथ इसका उद्देश्य निर्धारित निविदा आमंत्रण विधियों से विचलन को निम्नतम करना और पर्याप्त प्रतियोगिता उत्पन्न करना होगा जिससे प्रतिकूल वित्तीय निहितार्थों पर काबू पाया जा सके।</p> <p>समय सीमा जिस तक प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है - एक माह</p>	नगण्य प्रगति
<p>सी.वी.सी. मार्गनिर्देशों के अनुपालन में पूर्तिकारों को ब्याज मुक्त अग्रिम देने को डी.ए.ई. बन्द करे और ऐसे अग्रिमों पर प्रभारित किए जाने वाले ब्याज की दर के संबंध में अपनी विभिन्न खरीद यूनिटों में एक समान नीति अपनाए। पूर्तिकारों के प्रति लम्बे बकाया अग्रिमों की समीक्षा की जाए और कार्रवाई की समयबद्ध योजना उन्हें निपटाने के लिए बनाई जाय।</p>	<p>अग्रिमों की असमायोजित राशि निर्धारित और तिमाही में 10 प्रतिशत की दर पर मामलों को सुलझाने के लिए तथा वसूली करने की कार्रवाई चरणबद्ध रीति में की जाएगी। अग्रिमों पर ब्याज प्रभारित करने की एक समान नीति अपनाई जाएगी।</p>	नगण्य प्रगति

लेखापरीक्षा सिफारिशें	सिफारिशों पर डी.ए.ई. द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई	कार्यान्वयन की स्थिति
<p>नेमी मामले के रूप में वृद्धियां अनुमत करने के स्थान पर केवल अपवाद परिस्थितियों में सुपुर्दगी अनुसूचियों में वृद्धियां अनुमत की जाएं। यह सुनिश्चित करने कि निर्णीत हर्जाने विलम्बों का परिहार करने के लिए डी.ए.ई. निर्णीत हर्जानों से संबंधित ठेके की अपनी सामान्य शर्तों की भी समीक्षा करें। एल.डी. के उदग्रहण को वित्तीय हानि उठाने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए जो आर. एण्ड डी. संगठनों को निर्धारित करना कठिन हो सकता है।</p>	<p>खरीद आदेश में परभाषित अनुसूचियों के अनुसार मद की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए पूर्तिकारों के साथ गहन अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देकर मांगकर्ता अधिकारियों/परियोजना अधिकारियों को एक परिपत्र जारी किया जाएगा। उचित समय सीमा के अन्दर ड्राइंग के अनुमोदन, प्रेषण पूर्व निरीक्षण, जब मांग की जाय, करने आदि जैसे पहलुओं के संबंध में आदेशित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए मांगकर्ता अधिकारियों की ओर से इस संबंध में यह व्यावहारिक होगा। जहां कहीं भी विलम्ब ठेकेदार के कारण हैं तो टोकन एल.डी. के उदग्रहण का तन्त्र स्थापित किया जा सकेगा। निर्धारित प्रक्रिया से प्रमुख विचलन होने पर इसको डी.ए.ई. का अनुमोदन अपेक्षित होगा जिसके लिए अलग प्रस्ताव तीन माह के अन्दर प्रस्तुत किया जाएगा।</p> <p>समय सीमा जिस तक प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है - डी.ए.ई. के अनुमोदन के तीन माह बाद</p>	<p>पूर्ण कार्यान्वयन</p>
<p>डी.ए.ई. सुपुर्दगी अनुसूचियों को पुनः निर्धारित करने के लिए अपने प्रावधानों का पुनर्निरीक्षण करना चाहेगा क्योंकि नई नियम पुस्तक अब पूर्णतया विभागीय कारणों के कारण सुपुर्दगी अनुसूचियों को पुनर्निर्धारित करने की कानूनी संस्वीकृति देती है। इससे न केवल परियोजना अनुसूचियों पर प्रणाली प्रभाव पड़ेगा बल्कि परियोजना के वित्तीय निहितार्थों पर भी प्रभाव पड़ेगा।</p>	<p>इस संबंध में एक निर्देश के रूप में अध्याय 29.7 की वृद्धि के रूप में खरीद नियम पुस्तक के तीन माह की अवधि के अन्दर सभी सम्बन्धितों को दिया जाएगा। समय सीमा जिस तक प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है - तीन माह</p>	<p>पूर्ण कार्यान्वयन</p>
<p>डी.पी.एस. तथा मांगकर्ता एजेंसियों से बनी निगरानी समिति उच्च मूल्य पी.ओ. की औपचारिक आवधिक</p>	<p>मांगकर्ता अधिकारियों/परियोजना तथा डी.पी.एस. से बनी निगरानी समितियों के गठन के मामले पर यूनिटों के अध्यक्षों</p>	<p>शून्य प्रगति</p>

लेखापरीक्षा सिफारिशें	सिफारिशों पर डी.ए.ई. द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई	कार्यान्वयन की स्थिति
निगरानी के लिए स्थापित की जाए। प्रभावी ठेका प्रबन्धन हेतु विभिन्न खरीद एजेंसियों को जोड़कर एक आनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित की जाय।	के साथ चर्चा की जाएगी जो आगे ऐसी समितियों के गठन का अनुरोध करेंगे। इस संबंध में एक संचार जारी किया जाएगा। समय सीमा जिस तक प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है - एक माह	
डी.ए.ई. खरीद प्रक्रिया की समीक्षा की जाए और कमियों को दूर करने के लिए और नई सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के प्रावधानों के अनुरूप उन्हें बनाने के लिए उचित प्रकार संशोधित/परिवर्तित किया जाय।	खरीद प्रक्रिया कमियों की पहचान करने के लिए पूर्ण समीक्षा के अध्यक्षीन होगा और उसके बाद जी.एफ.आर. के प्रावधान से प्रक्रिया को संगत करने के प्रति आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की जाएगी। जी.एफ.आर. के कुछ प्रावधानों से विचलन करने की शक्तियां डी.ए.ई. द्वारा निदेशक, पी. एण्ड एस. को प्रत्यायोजित की गई हैं। इसके अलावा जहां कहीं भी आवश्यकता हुई आवश्यक अनुमोदन मांगा जाएगा और जी.एफ.आर. के प्रावधानों से किन्हीं अन्य विचलनों के लिए सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया जाएगा। समय सीमा जिस तक प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है - छः माह	पूर्ण कार्यान्वयन

(2) लेखापरीक्षा निष्कर्ष

डी.पी.एस. एवं चयनित आर.पी.यू. के अभिलेखों के आगे जाँच के आधार पर पाए गए लेखापरीक्षा निष्कर्ष की अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

(i) लेखापरीक्षा सिफारिशों का अनुपालन

निम्नलिखित विषयों पर खरीद प्रक्रियाओं पर लेखापरीक्षा सिफारिशों का डी.ए.ई. द्वारा अनुपालन किया गया था।

- (क) डी.ए.ई. सहमत हुआ (मार्च 2012) कि केवल तात्कालिकता के आधारों पर निजिदा आमंत्रण की सामान्य विधि प्रबन्ध के प्रस्ताव हतोत्साहित किए जाएंगे। खरीद आदेशों की नमूना जांच के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं मिला जहाँ निविदा आमंत्रण की सामान्य विधि तात्कालिकता के आधार पर छोड़ दी गई थी।

- (ख) डी.ए.ई. ने निर्देश दिया (मार्च 2011) कि आदेशों की मात्रा को विभाजित करने की मंशा निविदा आंमत्रण चरण पर ही स्पष्ट किया जाना चाहिए और एक से अधिक पूर्तिकार को ठेका देते समय मूल्यों की समानता बनाए रखी जाए। खरीद आदेशों की नमूना जांच के दौरान उपर्युक्त आदेशों के उल्लंघन में निविदाओं के विभाजन का कोई मामला नहीं देखा गया था।
- (ग) सुपुर्दगी अनुसूचियां पुनर्निधारित करने के संबंध में डी.ए.ई. ने बताया (मार्च 2012) कि इस प्रावधान का अपर्याप्त रूप से केवल तभी उपयोग करने का निर्णय लिया जाये जब यह पूर्णतया उचित हो। नमूना जांच के दौरान उपर्युक्त आदेशों के उल्लंघन में सुपुर्दगी अनुसूची के पुनर्निर्धारण का कोई मामला नहीं देखा गया।
- (घ) खरीद नियम पुस्तक को अद्यतन करने से संबंधित लेखापरीक्षा सिफारिश की अपनी प्रस्तावित अनुवर्ती कार्रवाई के अनुसार डी.ए.ई. ने सामग्री के स्रोत, खरीद, भण्डारण तथा मालसूची नियंत्रण की प्रक्रियाओं को निरूपित कर व्यापक खरीद नियम पुस्तक प्रकाशित की (नवम्बर 2009)। इस सीमा तक लेखापरीक्षा सिफारिश का अनुपालन किया गया।

(ii) खरीद प्रक्रिया का उल्लंघन

डी.ए.ई. ने निविदाओं के मूल्यांकन के मार्गनिर्देशों और खरीद नियम पुस्तक में दी गई खरीद सिफारिशों का पालन करने के लिए मांगकर्ता अधिकारियों को निर्देश दिया (मार्च 2011)। लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन मामलों जैसा कि तालिका 9 में दिया गया है, डी.ए.ई. का अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किए बिना पी.ओ. दिए गए।

तालिका 9 : डी.ए.ई. के अनुमोदन बिना दिए गए पी.ओ.

(राशि ₹ करोड़ में)

मांगकर्ता इकाई	खरीदकर्ता इकाई	मद	निविदाओं का प्रकार	मांगकर्ता इकाई की वित्रीय शक्तियां	मद की अनुमानित लागत	पी.ओ. का मूल्य
न्यूक्लीयर फ्यूल कांप्लेक्स, हैदराबाद	एच.आर.पी.यू.	डबल स्ट्रैंड 2 एचपीटीआर ट्यूब रिड्यूसिंग मिल	सार्वजनिक निविदा	8.00	9.00	9.62
रेयर मटेरियल प्लांट मैसूर	डी.पी.एस.	पार्ट नं. 20 एमए-06 और 20-ओआर-06	एकल निविदा	2.00	5.10	5.62
बोर्ड आफ रेडिएशन एण्ड आइसोटॉप टेक्नोलॉजी, मुम्बई	डी.पी.एस.	सोडियम मोलिब्डेट	सीमित निविदा	3.00	3.19	3.39

एच.आर.पी.यू., जिसने उपर्युक्त न्यूक्लीयर फ्यूल कांप्लेक्स के संबंध में खरीद की, ने बताया (फरवरी 2015) कि सक्षम अधिकारी निर्धारित करने का मापदण्ड सांविधिक उदग्रहणों और अन्य प्रभारों को छोड़कर केवल खरीदी जाने वाली सामग्री की मूल कीमत थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संस्वीकृति की वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन लागू करने के लिए आधार के रूप में खरीद का कुल मूल्य लिया जाना था। डी.ए.ई. द्वारा यह स्पष्ट किया गया (जून 2014) कि खरीद अनुमोदित करने के लिए प्राधिकारी सक्षम का निर्धारण खरीद के कुल मूल्य पर आधारित हो जिसमें करों सहित व्यय के सभी तत्वों को शामिल किया जाएगा।

(iii) पूर्तिकारों को प्रदत्त अग्रिमों का समायोजन न करना

डी.ए.ई. की खरीद नियम पुस्तक के खण्ड 19.3.33.4 में सम्मिलित जी.एफ.आर. के नियम 159 के अनुसार अग्रिम भुगतानों के मामले में फर्म, जिसको अग्रिम भुगतान किया गया है, से बैंक गारंटी आदि के रूप में पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त की जानी चाहिए। 2010-11 के सी.ए.जी. के प्रतिवेदन सं. 13 में यह सूचित किया गया था कि डी.पी.एस. तथा चयनित आर.पी.यू. द्वारा किए गए ₹ 214.43 करोड़ के अग्रिम भुगतानों के 703 मामले असमायोजित पड़े थे। यद्यपि डी.ए.ई. ने लेखापरीक्षा

सिफारिश की प्रतिक्रिया में इस संबंध में कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया था परन्तु लेखापरीक्षा ने पाया कि अग्रिमों की पर्याप्त रकम अनेक वर्षों से असमयोजित रहीं।

मामलों की नमूना जांच से पता चला कि डी.पी.एस. तथा इसके आर.पी.यू. द्वारा किए गए ₹ 54.43 करोड़ के अग्रिम भुगतानों के 169 मामले 1 से 33 वर्षों के बीच की अवधियों से असमयोजित पड़े थे जैसा तालिका 10 में दर्शाया गया है।

तालिका 10 : असमयोजित अग्रिमों का ब्यौरा

(राशि ₹ में)

अग्रिम भुगतानों के लम्बन की अवधि (वर्ष)	डी.पी.एस.		एम.आर.पी.यू.		एच.आर.पी.यू.		आई.आर.पी.यू.		कुल	
	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि.	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1 से 5	29	17,39,87,473	6	21,94,77,700	28	12,81,46,890	2	7,55,184	65	52,23,67,247
6 से 10	6	51,56,033	0	0	3	35,40,600	4	77,90,094	13	1,64,86,727
11 से 15	1	44,769	0	0	0	0	4	4,59,190	5	5,03,959
16 से 20	0	0	0	0	12	10,93,103	3	5,50,234	15	16,43,337
21 से 25	0	0	0	0	21	11,54,693	0	0	21	11,54,693
26 से 30	0	0	0	0	24	9,68,581	0	0	24	9,68,581
31 से 33	0	0	0	0	26	12,12,368	0	0	26	12,12,368
कुल	36	17,91,88,275	6	21,94,77,700	114	13,61,16,235	13	95,54,702	169	54,43,36,912

एच.आर.पी.यू. में पूर्तिकारों को दी अग्रिमों की ₹ 44.29 लाख की राशि 16 से 33 वर्षों तक की अवधि से लाम्बित थी। डी.ए.ई. ने मामलों की संख्या जिनमें अग्रिम भुगतान किए गए थे परन्तु मार्च 2015 तक आपूर्तियां प्राप्त की जानी थी तथा अग्रिम भुगतानों के प्रति बैंक गारंटियां प्राप्त करने से सम्बन्धित स्थिति तथा मार्च 2015 तक उनकी वैधता पर सूचना प्रदान नहीं की थी।

(iv) पूर्तिकारों को ब्याज मुक्त अग्रिम जारी करना

डी.ए.ई. की खरीद नियम पुस्तिका के खण्ड 19.3.33.4 तथा 34.3.21.1 साम्मिलित सी.वी.सी. मार्ग निर्देशों (2006) के अनुसार पूर्तिकारों को जारी अग्रिम भुगतान सामान्य तथा सव्याज होने चाहिए ताकि ठेकेदार अनुचित लाभ प्राप्त न कर सके। यद्यपि डी.ए.ई. ने 2010 में प्रस्ताव किया कि अग्रिमों पर ब्याज प्रभारित करने कि एक समान नीति अपनाई जाया। परन्तु डी.पी.एस. ने सभी अग्रिम भुगतानों, जिनमें प्राधिकृत सुपर्दगी अवधियां विलम्बित थी, पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभारित करने के लिए केवल नवम्बर 2012 में निर्देश जारी किए। डी.पी.एस. ने आगे निर्देश दिया कि सभी ठेके, जो अग्रिम भुगतान प्राधिकृत करते हैं, में विलाम्बित अवधि के लिए अग्रिम भुगतानों पर ब्याज उदग्रहण का प्रावधान हो।

लेखापरीक्षा ने डी ए ई द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद की अवधि से सम्बंधित तीन मामले देखे जिनमें पूर्तिकर्ताओं को ₹ 1.26 करोड़ का अग्रिम भुगतान जारी किया गया था, तथापि, क्रय आदेश में अग्रिम भुगतान पर ब्याज लगाने की कोई धारा नहीं डाली गयी थी। विवरण तालिका 11 में दिए गए हैं।

तालिका 11 : पूर्तिकर्ताओं को ब्याज मुक्त अग्रिम जारी करने के विवरण

क्रय आदेश जारी करने की दिनांक	पूर्तिकर्ता का नाम	आदेश मूल्य (₹)	अग्रिम राशि (₹)	अग्रिम जारी करने की दिनांक	अग्रिम का प्रतिशत	पूर्ति में देरी (महीने)	ब्याज की राशि (₹)
मई 2013	एल एंड टी लिमिटेड	3,47,97,684	34,79,768	जुलाई 2014	10	3	1,04,393
मई 2013	हिन्द हाई वैक्यूम कम्पनी लिमिटेड	3,67,12,500	36,71,250	जुलाई 2013	10	19	6,97,538
जून 2013	साईमैक इंजीनियर्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	2,75,00,000	27,50,000	अगस्त 2013	10	10	2,75,000
			27,50,000	जनवरी 2014	10	10	2,75,000
योग							13,51,931

हालांकि इन मामलों में वितरण में तीन से 19 महीनों की देरी हुई, डी ए ई क्रय आदेशों में ऐसे सहायक करने वाली धारा की अनुपस्थिति से विक्रेताओं को जारी किये अग्रिम भुगतान पर ब्याज नहीं लगा सका। फर्म को जारी अग्रिम पर ब्याज ना लगाने से ₹ 13.52 लाख के ब्याज की हानि तथा पूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ देने का परिणाम हुआ।

(v) उच्च मूल्य खरीदों की निगरानी की प्रणाली लागू न करना

डी.पी.एस. ने उच्च मूल्य खरीदों के उचित ठेका प्रबन्धन हेतु निगरानी समितियां गठित करने के लिए परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिया (मार्च 2011)। 2009-14 की अवधि के दौरान डी.पी.एस. तथा चयनित आर.पी.यू. ने 825 उच्च मूल्य के पी.ओ. जो ₹ एक करोड़ से अधिक मूल्य के थे, पी.ओ. संसाधित किए। तथापि चयनित आर.पी.यू. में से किसी में निगरानी समितियां गठित नहीं की गई। डी.ए.ई. ने बताया (मार्च 2012) कि उच्च मूल्य पी.ओ. के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली तब प्रचलन में आएगी जब कम्प्यूटरीकरण पूर्ण हो जाएगा। तथ्य यह रहा कि उच्च मूल्य खरीदों की निगरानी की प्रणाली अंतरिम उपाय के रूप में भी स्थापित नहीं की गई।

2.1.2.3 आपूर्ति तथा माल सूची प्रबन्धन

(1) लेखापरीक्षा सिफारिशों का विहंगावलोकन और डी.ए.ई. द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही

2010-11 के सी. एण्ड ए.जी. प्रतिवेदन सं.13 में उपकरणों के प्रतिष्ठापन और चालू करने संबंधित पश्च ठेका प्रबन्धन में लेखापरीक्षा ने कमियां पायीं। लेखापरीक्षा ने मालसूची प्रबन्धन में भी गम्भीर कमियां पायीं। प्रतिवेदन में की गई लेखापरीक्षा सिफारिशें और डी.ए.ई. द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही निम्नवत थीं

लेखापरीक्षा सिफारिशें	सिफारिशों पर डी.ए.ई. द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही	कार्यान्वयन स्थिति
सामग्री के निरीक्षण, दोषपूर्ण/अतिग्रस्त मर्दों को बदलने, दोषों के सुधारने आदि के लिए भण्डार प्रक्रिया में समय सारणी निर्धारित की जाए। विलम्ब/ स्टोर रिसीविंग वाउचर (एस.आर.वी.) का निर्बाधन न होने से सम्बन्धित सभी मामलों की समीक्षा की जाए।	विलम्ब/ एस.आर.वी. का निर्बाधन न होने के सभी मामलों की समीक्षा की जाएगी। संस्तुति के आधार पर कार्यकलायों के लिए समय सारणी निर्धारित की जाएगी- एक माह	आंशिक कार्यान्वयन
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मशीनरी/उपकरणों का बड़ी संख्या में प्रतिष्ठापन/चालू करना कार्यस्थल आदि तैयार न होने जैसे कारणों के कारण विलम्बित हुए, डी.ए.ई. अपने मागकर्ता अधिकारियों के मशीनरी/उपकरणों के प्रतिष्ठापन/चालू करने के लिए विशेष समय सीमाएं निर्धारित करने हेतु निर्देशित करे।	मांग आदेश चरण से ही मशीनरियों/उपकरणों के प्रतिष्ठापन तथा चालू करने के लिए समय सूचियां स्पष्ट करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए इस संबंध में एक परिपत जारी किया जाएगा। समय सीमा जिसे प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है - एक माह	नगण्य कार्यान्वयन
निगरानी तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि निर्धारित समय सूचियों का विभिन्न निष्पादन एजेंसियों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाय, एक उचित तन्त्र विकसित किया जाए।	पी.ओ. के निष्पादन की निगरानी हेतु गठित किए जाने हेतु प्रस्तावित समिति जिसमें इंडेंट अधिकारी/परियोजना अधिकारी तथा डी.पी.एस. भी शामिल हैं, को विभिन्न भण्डार कार्यकलापों की समय सूचियों के अनुपालन की निगरानी के अतिरिक्त उत्तरदायित्व हेतु अधिदेशित की जाएंगी। समय सीमा जिसे प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है - एक माह	नगण्य कार्यान्वयन
सरकारी हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से दोषपूर्ण/कम आपूर्ति आदि के लिए	सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद डी.ए.ई. के हित की सुरक्षा के उद्देश्य	आंशिक कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा सिफारिशें	सिफारिशों पर डी.ए.ई, द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई	कार्यान्वयन स्थिति
पूर्तिकारों को उत्तरदायी बनाने हेतु खरीद आदेशों/ठेकों में प्रावधान शामिल किए जाएं।	से दोषपूर्ण/कम आपूर्ति आदि के लिए पूर्तिकारों को उत्तरदायी बनाने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा में यथा संस्तुत उचित प्रावधान शामिल किया जाएगा। समय सीमा जिसे प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है - छः माह	
पूर्तिकारों द्वारा दोषपूर्ण निष्पादन के प्रति पर्याप्त सुरक्षाएं खरीद प्रक्रियाओं में प्रदान की जाएं।	प्रक्रिया में प्रचालित भुगतान शर्तों का विस्तृत अध्ययन होगा तथा पर्याप्त सुरक्षाएं प्रतिष्ठापित करने के लिए उचित संशोधन अपेक्षित होंगे जहाँ फर्म निष्पादन से कम पाई जाती हैं। समय सीमा जिसे प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है - छः माह	आंशिक कार्यान्वयन
एक तन्त्र स्थापित किया जाए ताकि खरीद निर्धारित वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही की जा सकें।	मांगकर्ता अधिकारियों/परियोजना अधिकारियों को उनकी वार्षिक आवश्यकताओं के वास्तविक निर्धारण और तदनुसार मांग पत्र देने के लिए एक तन्त्र स्थापित करने के लिए कहा जाएगा। समय सीमा जिसे प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है - दो माह	आंशिक कार्यान्वयन
अतिरिक्त मदों का निर्धारण करने के लिए सभी भण्डार यूनिटों की वार्षिक समीक्षा की जाए। अतिरिक्त मदों की सिफारिश करने/घोषित करने के लिए विशेष समय अनुसूचियां निर्धारित की जाएं।	भण्डारों की वार्षिक समीक्षा का प्रावधान भण्डार प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा जो अधिक/अति भण्डारित मदों की पहचान करने में सहायता करेगा तथा अनुपयोगी/अप्रचलित मदों की पहचान करने में भी सहायता करेगा। अतिरिक्त मदों की सिफारिश करने/घोषित करने की समय सूची भी वार्षिक समीक्षा का भाग होगी। समय सीमा जिसे प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है - छः माह	नगण्य कार्यान्वयन
कुशल भण्डार प्रबन्धन प्रणाली को सरल बनाने के लिए भण्डार तथा डिवीजनों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित किया जाय।	समन्वय के मामले पर परियोजना अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी तथा कुशल भण्डार प्रबन्धन हेतु उचित कार्य योजना विकसित की जाएगी। समय सीमा जिसे प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है - छः माह	नगण्य कार्यान्वयन

(2) लेखापरीक्षा निष्कर्ष

डी.पी.एस. एवं चयनित आर.पी.यू. के अभिलेखों के आगे जाँच के आधार पर पाए गए लेखापरीक्षा निष्कर्ष की अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

(i) लेखापरीक्षा सिफारिश का अनुपालन

निर्णीत हर्जाने, बैंक गारंटी, प्रतिभूति जमा, वारंटी, आपूर्तियों में विलम्ब के लिए अग्रिम भुगतानों पर ब्याज, निष्पादन बॉण्ड, ठेकेदारों द्वारा संसाधनों की वचनबद्धता आदि जैसे प्रावधान डी.ए.ई. की खरीद नियम पुस्तक में अनुरूप अध्यायों के अन्तर्गत शामिल किए गए।

(ii) प्राप्त आपूर्तियों के निर्बाधन में विलम्ब

विभिन्न भण्डार कार्यकलापों के लिए डी.ए.ई./डी.पी.एस. द्वारा निर्धारित समय अनुसूचियों (मार्च 2011) के अनुसार भण्डार प्राप्ति वाउचर (एस.आर.वी.) आपूर्तियों की प्राप्ति के बाद 28 दिनों की अवधि के अन्दर सम्बन्धित इकाई द्वारा निर्बाधित किए जाने थे। 2009-14 की अवधि के दौरान चयनित भण्डार यूनिटों में से 85,284 एस.आर.वी. निर्बाधित किए गए थे जिनमें से 20,516 एस.आर.वी. अर्थात् 24 प्रतिशत को एक से 36 महीनों के विलम्ब से निर्बाधित किए गए थे। यह दर्शाता है कि भण्डार के निर्बाधन हेतु निर्धारित समय अनुसूचियों का पालन नहीं किया गया।

आगे, 483 मामलों में आपूर्ति प्राप्त हो चुकी थी परंतु एक से तीन साल से अधिक समय तक की एस.आर.वी. निपटाई नहीं गई थी 483 मामलों में से यादृच्छिक स्तरित नमूना आधार पर 134 एस.आर.वी. का विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि 67 एस.आर.वी. (50 प्रतिशत मामले) का निर्बाधन न होने का कारण उपकरणों के प्रतिष्ठापित न होने/चालू न होना था। 67 मामलों में से 18 मामलों में सितम्बर 2015 तक उपकरण प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे या खराब पूर्ति के कारण देर से प्रतिष्ठापित हुए जिसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ।

इसी प्रकार आठ मामलों में, कार्यस्थल की तैयारी का न होना ही उपकरणों के अप्रतिष्ठापन/प्रतिष्ठापन में विलम्ब का मुख्य कारण था। डी.ए.ई. ने मांगकर्ता अधिकारियों से मशीनरी/उपकरण की आपूर्ति से पूर्व कार्यस्थल की तैयारी का सत्यापन करने के लिए भण्डार एवं उपकरण समितियों/विशेष खरीद समितियों को निर्देश दिया था (मार्च 2011)। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यस्थल तैयारी की स्थिति का ऐसा कोई सत्यापन अभिलेख में नहीं था।

उपकरणों का प्रतिष्ठापन न होने के अन्य कारणों में कुछ कार्यात्मक परिक्षणों का पूरा न होना, पूर्तिकारों द्वारा विलम्ब आदि थे।

(iii) निगरानी तन्त्र का अभाव

विभिन्न भण्डार कार्यकलापों की समय सूचियों की निगरानी तथा अनुपालन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा सिफारिश की प्रतिक्रिया में डी.ए.ई. ने प्रस्ताव किया था कि पी.ओ. के निष्पादन की निगरानी हेतु गठित समितियां भण्डार कार्यकलापों की निगरानी के अतिरिक्त उत्तरदायित्व से अधिदेशित की जाएंगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि केवल आई.आर.पी.यू. ने खरीद आदेशों में निर्धारित समय सूचियों की निगरानी करने हेतु योजना एवं समन्वय कक्षा का गठन किया था (2009)। ऐसा कोई अभिलेख नहीं था कि ऐसी समितियां गठित की गई थीं। पर्यवेक्षण तन्त्र के अभाव में ऐसा कोई आश्वासन नहीं था कि समय सूचियों की निगरानी की गई।

(iv) भण्डार मदों की आवश्यकताओं का निर्धारण

डी.ए.ई. ने अपनी वास्तविक आवश्यकता का यथार्थ निर्धारण करने तथा तदनुसार मांगपत्र देने के लिए एक तन्त्र बनाने के लिए परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिया (मार्च 2011)। टर्न ओवर दर के मानदण्डों, उपयोग तथा पुनः पूर्ति की बारम्बरता के स्टॉक कार्डों के विश्लेषण से पता चला कि ₹ 10.33 करोड़ मूल्य के 212⁵ स्टॉक कार्ड ऐसे थे जिनमें सूचीबद्ध मालसूचियां 2 से 20 वर्ष अथवा उससे भी अधिक समय से निष्क्रिय पड़ी थीं। यह एक सुधार था क्योंकि 2010-11 के सी. एण्ड ए.जी. प्रतिवेदन सं. 13 में ₹ 32.22 करोड़ मूल्य के 278 कार्ड निष्क्रिय के रूप में सूचित किए गए थे।

तथापि जब इन कार्डों को उनके उपयोग प्रतिशतता के अनुसार आगे श्रेणीबद्ध किया गया तब यह पाया गया कि ₹ 9.43 करोड़ मूल्य के 201 स्टॉक कार्डों में उपयोग उनके स्टॉक के 50 प्रतिशत से कम था। लेखापरीक्षा ने पुनः पाया कि 59 मामलों से सम्बन्धित ₹ 3.65 करोड़ की मदों के संबंध में पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता और अल्प उपयोग के बावजूद डी.ए.ई. अतिरिक्त खरीदों में लगा था परिणामस्वरूप मालसूची का अतिरिक्त स्टॉक हुआ। लम्बे समय से मालसूची की निष्क्रियता, अपूर्ण उपयोग और कम उपयोगी मालसूचियों की अतिरिक्त खरीदों के परिणामस्वरूप मालसूचियों का ढेर लग गया तथा निधियों का अवरोधन हुआ।

⁵ बी.ए.आर.सी., आई.आर.पी.यू. और एच.आर.पी.यू. में

(v) भण्डारों की वार्षिक समीक्षा

डी.ए.ई. भण्डार प्रक्रिया के खण्ड 7.3.1.1 के अनुसार भण्डार इकाई अतिरिक्त तथा अप्रचलित मदों का निर्धारण करने के लिए समूह वार भण्डार मदों की समीक्षा करेगा और उनके आगे उपयोग अथवा निपटान हेतु उचित करेगा। डी.ए.ई. ने भण्डार अधिकारियों को कम उपयोगी मदों की सूची तैयार करने और उन्हें अतिरिक्त घोषित करने की सिफारिश करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (सितम्बर 2011)। तथापि यह पाया गया कि अतिरिक्त मदों की सिफारिश करने/घोषित करने की समय अनुसूचियों को अभी जून 2015 तक अन्तिम रूप दिया जाना था। लेखापरीक्षा में जांच किए गए नौ भण्डार यूनिटों⁶ में यह पाया गया था कि केवल माँड्यूलर लैब जोनल स्टोर, बी.ए.आर.सी. के सभी भण्डारों की वार्षिक समीक्षा की गई। क्योंकि वार्षिक समीक्षा हेतु सभी समूह शामिल नहीं किए गए थे इसलिए अतिरिक्त वेशियों के प्रकटन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि अतिरिक्त के रूप में अभिज्ञात 45,083 मदों में से 723 मदें ऐसी थीं जिनमें अतिरिक्त के रूप में इन मदों को घोषित करने के निर्णय सम्बन्धित संयंत्र अधिकारियों अथवा प्रयोक्ताओं के पास लम्बित थे। अतिरिक्त के रूप में मदों को घोषित करने में विलम्ब के कारण उनके उपयोगी काल के अन्दर ऐसी मदों के आगे उपयोग की बाद की कार्रवाईयों में विलम्ब हुआ।

आगे, डी.ए.ई. भण्डार प्रक्रिया के खण्ड 8.2.1 के अनुसार पूंजीगत मदों और फर्नीचर तथा साजोसामान का स्टॉक सत्यापन तीन वर्ष में एक बार किया जाना था तथा पाई गई विसंगतियां सम्बन्धित डिवीजन द्वारा शोधित की जानी थीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई 2012 से मार्च 2014 तक के दौरान भौतिक सत्यापन में खोजे गए विसंगतियों के 11,787 मामलों में से 10,934 मामले शोधित किए जाने को रह गए थे। ये विसंगतियां एक से तीन वर्षों के बीच की अवधि थीं। विसंगतियों का समाधान न होने से उन मदों के संबंध में आगे की कार्रवाई में विलम्ब हुआ।

⁶ एडवॉन्सड फ्यूल फेब्रीकेशन फेसिलिटी (ए.उ.एफ.), पावर रिएक्टर फ्यूल रीप्रोसेसिंग प्लांट (पी.आर.ई.एफ.आर.ई.), अपशिष्ट प्रबन्धन क्षेत्रीय भण्डार बी.ए.आर.सी., मुम्बई (डब्ल्यू.एम.जैड.-बी.), अपशिष्ट प्रबन्धन क्षेत्रीय भण्डार, तारापुर (डब्ल्यू.एम.जैड.-टी), रिएक्टर इंजीनियरिंग जोनल भण्डार (आर.ई.डी.), फ्यूल रीप्रोसेसिंग क्षेत्रीय भण्डार (एफ.आर.जैड.), माड्यूलर लैब जोनल स्टोर (एम.एल.जैड.), रिएक्टर कंट्रोल डिवीजन (आर.सी.एन.डी.), मद्रास क्षेत्रीय खरीद यूनिट (एम.आर.पी.यू.) भण्डार

2.1.2.4 खरीद तथा भण्डार कार्यों का कम्प्यूटरीकरण

(1) लेखापरीक्षा सिफारिशों का विहंगावलोकन और डी.ए.ई. द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई

डी.ए.ई. ने सामग्री प्रबन्धन की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली लागू करने हेतु डी.पी.एस. को अनुमोदन प्रदान किया (अक्टूबर 1998)। 2010-11 के सी. एण्ड ए.जी. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 13 में लेखापरीक्षा ने खरीद तथा भण्डार कार्यों के कम्प्यूटरीकरण के कार्यान्वयन में कमियों का विशेष उल्लेख किया था। प्रतिवेदन में की गई लेखापरीक्षा सिफारिशों और डी.ए.ई. द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई निम्नवत थे:

लेखापरीक्षा सिफारिशें	सिफारिशों पर डी.ए.ई. द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई	कार्यान्वयन स्थिति
डी.ए.ई. में खरीद कार्यकलापों की मात्रा के मद्देनजर कम्प्यूटरीकरण से सम्बन्धित स्पष्ट मार्गनिर्देशों तथा निर्देश प्रतिपादित किए जायें।	ई-निविदा आमंत्रण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई आरम्भ की गई है। आरम्भ में इसे एम.आर.पी.यू. में तथा इसी क्रम में आई.आर.पी.यू., एच.आर.पी.यू., डी.पी.एस. एवं उसके बाद डी.पी.एस. की अन्य सभी यूनिटों में लागू करने की योजना है। इस प्रयोजन हेतु एक ठेका पहले ही दिया गया है और ई-निविदा आमंत्रण सोल्यूशन द्वारा नमूना फाइलें प्रक्रियाधीन हैं। ई-निविदा आमंत्रण सोल्यूशन द्वारा असंवेदनशील मांगपत्रों का नियमित संसाधन एम.आर.पी.यू. में जून 2010 से आरम्भ होगा। ई-खरीद सोल्यूशन की सेवाएं तीन माह के अन्तराल से चरणबद्ध रीति में अन्य यूनिटों तक विस्तारित की जाएगी।	नगण्य कार्यान्वयन
सभी खरीद तथा भण्डार यूनिटों के बीच समानता बनाए रखने के लिए सभी डी.ए.ई. यूनिटों में आनलाइन सम्बद्धता प्रदान की जाय। खरीद तथा भण्डार कार्यकलापों के बीच बेहतर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सभी खरीद तथा भण्डार यूनिटों को एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है।	आई.जी.सी.ए.आर. तथा बी.ए.आर.सी. में कार्यगति स्वचालित यंत्र प्रणाली लागू करने के लिए कार्रवाईयां पहले ही आरम्भ की गई हैं जिसमें भण्डार प्रबन्धन सूचना प्रणाली भण्डार और खरीद कार्यकलापों को भी शामिल करेगी। आई.जी.सी.ए.आर. में इस कार्य हेतु एक आदेश पहले ही दिया जा चुका है और छः माह की अवधि में	कार्यान्वयन नहीं
इकाई स्तरों पर डाटा का अद्यतन करने, गड़बड़ी दूर करने और डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सहायता के साथ कम्प्यूटरीकरण हेतु समर्पित कार्य बल सृजित किया जाए।		नगण्य कार्यान्वयन
डाटाबेस की यथार्थता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आनलाइन अन्तर्निहित जांच तथा नियंत्रण लागू किए जाएं।		नगण्य कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा सिफारिशें	सिफारिशों पर डी.ए.ई. द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई	कार्यान्वयन स्थिति
<p>आवश्यकताओं के संसाधन की यथार्थता और सामयिकता सुनिश्चित करने के लिए डी.पी.एस. को सम्बन्धित मांगकर्ता डिवीजन से मांगपत्र के संचरण में मानवीय हस्तक्षेप दूर किया जाय।</p>	<p>प्रयोक्ताओं को उपलब्ध किए जाने की प्रत्याशा है।</p> <p>इसी प्रकार बी.ए.आर.सी. में इस प्रणाली को लागू करने के लिए एक निविदा जारी की गई है। कार्यगति स्वचालित यन्त्र प्रणाली डी.ए.ई. की अन्य यूनिटों में प्रगामी रीति में लागू की जाएगी।</p> <p>डी.ए.ई. यूनिटों में कम्प्यूटरीकरण के केन्द्रीयकरण को डाटा की संवेदनशीलता और सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखकर एक विशेषज्ञ दल द्वारा विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। इस पहलू पर इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए डी.ए.ई. स्तर पर चर्चा की जाएगी।</p>	<p>नगण्य कार्यान्वयन</p>
<p>विभिन्न सामान्य मदों, उनके विनिर्देशनों, अभिभावी लागतों, आपूर्ति के स्रोतों का एक केन्द्रीयकृत डाटाबेस बनाया जाना चाहिए और आवश्यकताओं के वास्तविक प्रक्षेपण तथा लागत के वास्तविक अनुमानन के लिए सभी प्रयोक्ताओं को ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए।</p>	<p>विभिन्न सामान्य प्रयोक्ता मदों का एक केन्द्रीयकृत डाटाबेस बनाया जाएगा जैसी निष्पादन लेखापरीक्षा में सिफारिश की गई। उस प्रयोजन हेतु एक प्रभावशाली कोटिकरण कबायद डी.पी.एस. द्वारा पहले ही आरम्भ की जा चुकी है जिसके द्वारा केवल बी.ए.आर.सी. में 75,000 से 1,00,000 की श्रेणी की संख्या में सूचीबद्ध मदों के लिए एक बाह्य व्यावसायिक एजेंसी की सहायता लिए जाने पर विचार किया जा रहा है। एक बार कोटिकरण कबायद के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने पर उनके/बी.ए.आर.सी. के अतिरिक्त यूनिटों द्वारा खरीदी जा रही समान मदों के लिए सामान्य मद कोड आबंटित करने के लिए संगत प्रयास आरम्भ किए जाएंगे। समय सीमा जिसे प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है - एक से दो वर्ष</p>	<p>नगण्य कार्यान्वयन</p>
<p>अतिरिक्त मदों पर सूचना का नियमित अद्यतन करना और दर्ज इस प्रकार किया जाय कि मांगकर्ता आवश्यकताओं को उठाने से पूर्व उन्हें देखने में समर्थ हों।</p>	<p>अतिरिक्त मदों की सूचना को नियमित अद्यतन करने और दर्ज करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उत्तोलन किया जाएगा। समय सीमा जिसे प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है - छः माह</p>	<p>पूर्ण कार्यान्वयन</p>

(2) लेखापरीक्षा निष्कर्ष

डी.पी.एस. एवं चयनित आर.पी.यू. के अभिलेखों के आगे जाँच के आधार पर पाए गए लेखापरीक्षा निष्कर्ष की अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

(i) कम्प्यूटरीकरण हेतु स्पष्ट मार्गनिर्देशों की अनुपस्थिति

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी.ए.ई. ने एक नई ई-निविदा आमंत्रण प्रणाली तथा कार्यगति स्वचालित यंत्र प्रणाली आरम्भ की (मार्च 2012) परन्तु प्रणालियों की आवश्यकताओं का दस्तावेजीकरण अभिलेख में नहीं था/अपूर्ण था तथा प्राकृतिक रूप से केवल चलायमान था। प्रणाली विनिर्देशन दस्तावेजों के अभाव में लेखापरीक्षा डी.ए.ई. द्वारा अपनी आवश्यकताओं को अन्तिम करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली और प्रस्तावित सामग्री प्रबन्धन अनुप्रयोगों से प्रत्याशों पर आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका था। बी.ए.आर.सी. में आवश्यकताओं के अपर्याप्त ब्यौरे पर एक केस स्टडी पर बाक्स 2 में चर्चा की गई है।

बाक्स 2 : एकीकृत सूचना प्रणाली तथा सामग्री प्रबन्धन प्रणाली की सुपुर्दगी में विलम्ब

बी.ए.आर.सी. ने ₹ 3.6 करोड़ की अनुमानित लागत की प्रशासन, लेखा, खरीद एवं भण्डार कार्यकलापों के कार्यचालन हेतु लेखा तथा प्रशासन एकीकृत सूचना प्रणाली और सामग्री प्रबन्धन प्रणाली के विकास, परीक्षण तथा नियोजन के लिए तत्काल आवश्यकता आधार पर एक मांगपत्र जारी किया (नवम्बर 2009)। बोलियों के मूल्यांकन के बाद डी.पी.एस. ने जनवरी 2012 में सुपुर्दगी की निर्धारित तारीख के साथ ₹ 4.04 करोड़ की कुल लागत पर सी.एम.सी. लिमिटेड को एक पी.ओ. दिया (फरवरी 2011)। तथापि इसके अन्तिमीकरण के बाद भी आवश्यकताओं के अपर्याप्त विवरण और कार्यात्मकता में बारम्बार परिवर्तनों के कारण कमी रही। इसके कारण सुपुर्दगी अवधि 30 जून 2015 तक बढ़ाई गई। तथापि यह एकीकृत प्रणाली मांगपत्र देने की तारीख से पांच वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी अर्थात् अगस्त 2015 तक वितरित नहीं की गई। फर्म को मई 2012 से मई 2013 के बीच ₹ 2.25 करोड़ का भुगतान जारी किया गया।

डी.पी.एस. ने बताया (अगस्त 2015) कि यह विलम्ब, प्रणाली में प्रक्रियात्मक पहलुओं, नियमों तथा विनियमों को सम्मिलित करने के कारण था। इसके अतिरिक्त कार्यचालन परीक्षण और प्रयोक्ताओं से इनपुट के आधार पर और संशोधन शामिल किए गए थे। तथ्य यह रहा कि बी.ए.आर.सी. अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण नहीं कर सका यद्यपि एस.आर.एस. दस्तावेज काफी पहले दिसम्बर 2011 में अनुमोदित किए गए थे। परिणामस्वरूप प्रशासन, लेखापरीक्षा एवं भण्डार खरीद हेतु लेखा तथा प्रशासन एकीकृत सूचना प्रणाली साफ्टवेयर प्रणाली बुरी तरह विलम्बित थी।

(ii) कार्यगति स्वचालित यंत्र प्रणाली लागू न करना

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए अपनी की गई कार्रवाई टिप्पणी में डी.ए.ई. ने बताया (मार्च 2012) कि सामग्री प्रबन्धन कार्यकलापों के स्वअन्तर्विष्ट कम्प्यूटरीकरण की बाद में अन्य यूनिटों को बढ़ाए जाने के लिए आरम्भ में दो यूनिटों यथा एम.आर.पी.यू. तथा आई.आर.पी.यू. में योजना बनाई गई थी। मई 2015 तक ई-निविदा आमंत्रण प्रक्रिया सभी यूनिटों में लागू की गई। तथापि कार्यगति स्वचलन किसी भी इकाई में पूर्ण नहीं की गई। कार्यगति स्वचलन के अभाव में खरीद तथा भण्डार कार्यों में कई नियंत्रक स्थापित नहीं किए जा सके जैसा की नीचे चर्चा की गई है:

(क) खरीद आवश्यकताओं का समेकन न कर पाना

जैसा पैरा 2.1.2.1 (1) एवं 2(i) में उल्लेख किया गया है, डी.ए.ई. ने प्रस्ताव किया था कि खरीद आवश्यकताओं का समेकन सरल करने के लिए वार्षिक खरीद योजनाएं तैयार करने के लिए सभी परियोजना यूनिटों से सम्पर्क किया जाएगा। तथापि कार्यगति स्वचलन साफ्टवेयर का कार्यान्वयन न करने के कारण डी.ए.ई. की किसी भी इकाई में वार्षिक खरीद योजनाएं तैयार नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप खरीद आवश्यकताओं का समेकन तथा अग्रिम योजना नहीं बनाई जा सकी।

(ख) सामान्य मदों के केन्द्रीयकृत डाटाबेस की अनुपस्थिति

सामान्य मदों के लिए केन्द्रीयकृत डाटाबेस बनाने पर लेखापरीक्षा सिफारिश के उत्तर में डी.ए.ई. ने बताया (2009) कि विभिन्न मदों की तालिका के लिए वर्गीकरण कबायद आरम्भ की गई थी। मदों का वर्गीकरण कार्यगति स्वचलन प्रक्रिया के साफ्टवेयर में सम्मिलित किया जाना था। डी.पी.एस. ने दिसम्बर 2013 तक डी.पी.एस. के सभी वर्तमान भण्डारों में समान विनिर्देशन, बनावट तथा माडल वाली मदों के लिए अद्वितीय कोड बनाने के उद्देश्य से ₹ 37.13 लाख की कुल लागत पर माल सूचियों के वर्गीकरण के विकास, परीक्षण तथा प्रतिष्ठापन हेतु एक फर्म को कार्य आदेश दिया (नवम्बर 2012)। तथापि यह पाया गया था कि प्रणाली केवल आंशिक प्रतिष्ठापित की गई थी। जून 2015 तक विक्रेता को ₹ 18.42 लाख का भुगतान जारी किया गया था।

तथापि अगस्त 2015 तक कार्यगति स्वचलन प्रक्रिया का साफ्टवेयर जो वर्गीकरण माड्यूल को कवर करने के लिए प्रत्याशित था, डी.पी.एस. तथा इसकी यूनिटों में अभी भी विकासाधीन था। इस प्रकार विभिन्न सामान्य मदों, उनके विनिर्देशन, अभिभावी लागत, आपूर्ति के स्रोत आदि का आनलाइन केन्द्रीयकृत डाटाबेस तैयार नहीं हो पाया।

(ग) अतिरिक्त मदों के उपयोग हेतु भण्डारों तथा प्रयोक्ता डिवीजनों के बीच समन्वय हेतु प्रणाली का विकास न करना

अतिरिक्त मदों पर सूचना बी.ए.आर.सी. की आंतरिक वेबसाइट पर दर्ज की जा रही थी। कार्यगति स्वचलन प्रणाली अतिरिक्त मदों के जुटाव तथा उपयोग हेतु भण्डार तथा संयंत्र अधिकारियों के बीच उचित समन्वय के विषय का समाधान करने के लिए प्रत्याशित थी। फिर भी कार्यगति स्वचलन प्रणाली अगस्त 2015 तक पूर्ण नहीं हो पाई थी, जिसकी कमी में भण्डार तथा संयंत्र अधिकारियों के बीच परिकल्पित समन्वय और उसकी वास्तविक प्राप्ति की सीमा निश्चित नहीं की जा सकी थी।

(iii) सामग्री प्रबन्धन कार्यों का एकीकरण न हो पाना

डी.ए.ई. की भिन्न खरीद यूनिटों ने खरीद तथा भण्डार के कम्प्यूटरीकरण हेतु विभिन्न कार्रवाइयां आरम्भ की। तथापि खरीद तथा मालसूची प्रबन्धन कार्यों के एकीकरण की स्थिति तालिका 12 में वर्णित है:

तालिका 12 : खरीद तथा भण्डार कार्यों के कम्प्यूटरीकरण की स्थिति

इकाई का नाम	कम्प्यूटरीकरण की स्थिति
डी.पी.एस.	ई-निविदा आमंत्रण जुलाई 2014 में आरम्भ किया गया था। डी.पी.एस. ने व्यापक ई-खरीद सोल्यूशन का विकास आरम्भ किया (मई 2015), तथापि उसके लिए डी.ए.ई का अनुमोदन अभी तक प्रतीक्षित था। कार्यगति स्वचलन प्रणाली लागू नहीं की गई थी।
एम.आर.पी.यू.	ई-निविदा आमंत्रण जुलाई 2014 में आरम्भ किया गया। जनवरी 2015 तक खरीद तथा भण्डार कार्यकलाप दोनों कम्प्यूटरीकृत किए गए। तथापि मांग करने से अभिलेखों को नष्ट करने तक पूर्णतया स्वचालित सामग्री प्रबन्धन प्रणाली प्राप्त नहीं की गई। खरीद प्रबन्धन प्रणाली ओरेकल डाटाबेस के साथ ग्राहक सर्वर मोड में कम्प्यूटरीकृत की गई थी। भण्डार प्रबन्धन प्रणाली भिन्न डाटाबेस का उपयोग कर वेब आधारित मोड में थी जिसके कारण उनका एकीकरण प्राप्त नहीं किया जा सका। जनवरी 2015 तक भण्डार प्रणाली के साथ उसका एकीकरण सुगम करने के लिए वेब आधारित प्रणाली के साथ खरीद प्रबन्धन प्रणाली को बदलने के प्रयास जारी थे। कार्यगति स्वचलन प्रणाली लागू नहीं की गई थी।

इकाई का नाम	कम्प्यूटरीकरण की स्थिति
एच.आर.पी.यू.	ई-निविदा आमंत्रण जुलाई 2014 में लागू किया गया था। खरीद तथा भण्डार कार्यों के कम्प्यूटरीकरण का विकास चरणबद्ध रीति में किया गया था। फरवरी 2015 तक भण्डार तथा खरीद कार्य भुगतान चरण तक कम्प्यूटरीकृत किए गए थे। अभिलेख नाशन चरण तक पूर्ण कम्प्यूटरीकरण प्राप्त नहीं किया गया था। कार्यगति स्वचलन प्रणाली लागू नहीं की गई थी।
आई.आर.पी.यू.	ई-निविदा आमंत्रण जुलाई 2014 में आरम्भ किया गया और मई 2015 तक लागू किया गया था। खरीद तथा भण्डार कार्य भी कम्प्यूटरीकृत और एकीकृत किए गए थे। कार्यगति स्वचलन प्रणाली लागू नहीं की गई थी

इस प्रकार, कम्प्यूटरीकरण के वर्तमान स्तरों के साथ खरीद, भण्डार तथा लेखा कार्यों में डाटाबेस का एकीकरण आई.आर.पी.यू. को छोड़कर किसी भी इकाई में स्थापित नहीं किया गया। यह भी पाया गया कि डी.ए.ई. में खरीद, भण्डार तथा लेखा कार्यों में डाटाबेस का एकीकरण अप्रैल 2015 तक अभी भी विचाराधीन था। डी.ए.ई. एकीकरण प्राप्त करने की एक तारीख भी निश्चित करने में असमर्थ था।

इस प्रकार, अगस्त 2015 तक डी.ए.ई. इकाई के अन्दर और विभिन्न सामग्री प्रबन्धन यूनिटों के बीच खरीद तथा भण्डार कार्यों के बीच आनलाइन सम्बद्धता पूरी करने के द्वारा सामग्री प्रबन्धन की एकीकृत प्रणाली प्राप्त नहीं कर सका।

(iv) ई-निविदा आमंत्रण प्रणाली का अपूर्ण उपयोग

2009-14 की अवधि के दौरान डी.पी.एस. तथा चयनित यूनिटों ने 1,34,038 निविदाओं को अन्तिम रूप दिया और जारी किया जिनमें से 27,734 निविदाएं आनलाइन (ई-निविदा आमंत्रण) मोड पर जारी की गई थीं जो कुल निविदाओं का 21 प्रतिशत था। इस प्रकार खरीद यूनिटों में ई-निविदा आमंत्रण प्रणाली की विद्यमानता के बाद भी उसका उपयोग स्तर केवल 21 प्रतिशत था।

डी.पी.एस. ने बताया (अक्टूबर 2015) कि ई-निविदा के कम उपयोग का कारण रणनीतिक प्रकृति का होना, वर्तमान ई-निविदा साल्यूशन को द्विभागीय निविदा प्रणाली का संचालन करने में परिपक्व न होना, विदेशी बोलीदाताओं से खराब प्रतिक्रिया के कारण आयात खरीद दक्षतापूर्वक संसाधित नहीं किया जाना तथा ई-निविदा में भाग लेने के लिए बोलीदाता द्वारा ई-पोर्टल पर नामांकन का अनिवार्य होना, के कारण था। तथ्य यह रहा कि ई-निविदा आमंत्रण प्रणाली का डी.ए.ई. की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग नहीं किया जा सका।

2.1.3 लेखापरीक्षा सिफारिशों पर डी.ए.ई. की प्रस्तावित कार्य योजना के अनुपालन का सार

लेखापरीक्षा सिफारिशों पर डी.ए.ई. की प्रस्तावित कार्य योजना के अनुपालन की मात्रा की लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि की गई 32 सिफारिशों में से -

- (क) छः लेखापरीक्षा सिफारिशों के लिए कार्य योजना का पूर्ण कार्यान्वयन हुआ था,
- (ख) सात लेखापरीक्षा सिफारिशों के लिए प्रस्तावित कार्य योजना में आंशिक कार्यान्वयन किया गया था,
- (ग) 16 लेखापरीक्षा सिफारिशों पर डी.ए.ई. द्वारा की गई कार्रवाई में अपर्याप्त प्रगति हुई थी, और
- (घ) तीन लेखापरीक्षा सिफारिशों के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई थी।

2.1.4 निष्कर्ष

अनुवर्ती कार्रवाई लेखापरीक्षा में पता चला कि प्रस्तावित कार्रवाई का पूर्ण कार्यान्वयन 32 सिफारिशों में से केवल छः में किया गया। जबकि सात सिफारिशों की प्रस्तावित कार्रवाई में आंशिक कार्यान्वयन देखा गया था वहीं 16 सिफारिशों के प्रति प्रगति अपर्याप्त थी। तीन सिफारिशों के लिए बताई गई कार्यवाहियों पर कोई प्रगति नहीं हुई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि खरीदों की योजना अक्षम रही। वार्षिक खरीद योजनाएं किसी भी इकाई में तैयार नहीं की गई थीं। मांगकर्ताओं का वास्तविक सुपुर्दगी अनुसूचियों का निर्धारण किए बिना मांगे करना जारी था। विभिन्न कार्यकलापों के लिए निर्धारित समय अनुसूचियों का पालन करने में खरीद यूनिटें विफल हो गईं। खरीदों में सामयिकता और विलम्बों की रोक सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निरीक्षण तन्त्र स्थापित नहीं किया गया था।

आगे, लेखापरीक्षा ने खरीद प्रक्रियाओं के उल्लंघन के मामले देखे। ठेका प्रबन्धन अपूर्ण पाया गया क्योंकि पूर्तिकारों को अग्रिमों की पर्याप्त राशियों का जो भुगतान किया गया था असमायोजित पड़ी थी। उपकरणों के प्रतिष्ठापन में विलम्ब के कारण भण्डार प्रापक वाउचरों का निर्बाधन न होने अथवा विलम्बित निर्बाधन के दृष्टान्त भी थे।

सामग्री प्रबन्धन कार्यों के कम्प्यूटरीकरण के संबंध में प्रगति अपर्याप्त रही। कार्य गति स्वचलन प्रणाली लागू नहीं की गई थी तथा इकाई के अन्दर अथवा डी.ए.ई. की विभिन्न खरीद यूनिटों के मध्य भण्डार, खरीद तथा लेखा कार्यों का एकीकरण नहीं हुआ था। इस प्रकार, पूरे तौर पर देखा जाय तो, डी.ए.ई. द्वारा इसके स्वयं के योजनाओं पर कार्यवहन अधिकतर अपर्याप्त था।

मामले को जनवरी 2016 में डी.ए.ई. के संज्ञान में लाया गया जिसका उत्तर फरवरी 2016 तक प्रतीक्षित था।

2.2 स्टीम टर्बाइन जेनरेटर का प्रतिष्ठापन न होना

भारी जल बोर्ड तथा क्रय एवं भण्डार निदेशालय, मुम्बई द्वारा अक्षम ठेका प्रबंधन के कारण एक स्टीम टर्बाइन जेनरेटर 10 वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद भी प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 40 करोड़ की अनुमानित विद्युत उत्पादन का अवसर खोने के साथ इसकी खरीद पर किए गए ₹ 2.06 करोड़ अवरुद्ध हो गए।

भारी जल बोर्ड, मुम्बई (एच.डब्ल्यू.बी.) ने ₹ 4.45 करोड़ की अनुमानित लागत पर भारी जल संयंत्र, कोटा⁷ (एच.डब्ल्यू.पी.) में स्टीम टर्बाइन जेनरेटर सेट का डिजाइन, विनिर्माण और चालू करने के लिए एक मांग पत्र जारी किया (अप्रैल 2003)। खरीद 'उपलब्ध भाप से 2 मेगावाट (एम.डब्ल्यू.) विद्युत के उत्पादन हेतु एच.डब्ल्यू.पी. में स्टीम टर्बाइन जेनरेटर का समावेशन' परियोजना के अंतर्गत आरम्भ की गई थी। परियोजना ₹ चार से पांच करोड़ प्रतिवर्ष की ऊर्जा बचत के रूप में कल्पना की गई थी। दिसम्बर 2005 तक पूर्ण किए जाने के लिए परियोजना ₹ 4.45 करोड़ की लागत पर परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) द्वारा संस्वीकृत की गई थी (अगस्त 2004)।

निविदा आमंत्रण प्रक्रिया के बाद खरीद एवं भण्डार निदेशालय, मुम्बई⁸ (डी.पी.एस.) ने अक्टूबर 2005 की निर्दिष्ट सुपर्दगी अवधि के साथ ₹ 3.99 करोड़ की लागत पर केसल्स इंजीनियरिंग वर्क्स को क्रय आदेश दिया (फरवरी 2005)। भुगतान कार्य की प्रगति के अनुसार किश्तों⁹ में किया जाना था। खरीद आदेश के अनुसार यदि ठेकेदार

⁷ एच.डब्ल्यू.बी. के अधीन एक संयंत्र

⁸ डी.ए.ई. की केन्द्रीयकृत खरीद एजेंसी

⁹ खरीद आदेश की स्वीकृति पर 10 प्रतिशत, निर्माण ड्राइंग के अन्तिमीकरण तथा अनुमोदन पर 10 प्रतिशत, जी.ए. ड्राइंग के अन्तिमीकरण तथा अनुमोदन पर 5 प्रतिशत, अधिकतम आठ किश्तों में यथानुपात आधार पर 60 प्रतिशत, उपकरण के संतोषजनक उत्पादन और चालू करने और इसकी अन्तिम स्वीकृति के बाद 30 दिनों के अन्दर करों के साथ 15 प्रतिशत।

निर्धारित सुपुर्दगी अनुसूची के अन्दर माल सुपुर्द करने में असमर्थ हुआ तो ठेकेदार को सुपुर्दगी अनुसूची में वृद्धि प्राप्त करनी होगी जिसकी विफलता में डी.पी.एस. आपूर्त माल को प्राप्त नहीं करेगा और अपनी ओर से किसी बाध्यता के बिना पूर्तिकार के बिल वापस करेगा।

पूर्तिकार ने इंजीनियरी कार्यों को पूरा करने में पर्याप्त समय लिया और उसके बाद दिसम्बर 2006 से आरम्भ कर टुकड़ों में प्रमुख उपकरण सुपुर्द किए। उत्पादन हेतु टर्बाइन को स्थानांतरित करते समय (सितम्बर 2008) टर्बाइन ले जाने वाली क्रेन के खराब हो जाने के कारण यह नीचे गिर गई और इस प्रक्रिया में क्षतिग्रस्त हो गई। पूर्तिकार ने क्षति का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया परन्तु टर्बाइन की मरम्मत के लिए सहमत हो गया। तदनुसार पूर्तिकार ने टर्बाइन वापस ले ली (अप्रैल 2009) और मरम्मत बाद एच.डब्ल्यू.पी. को उसे वापस कर दिया (जून 2010)।

तथापि टर्बाइन की मरम्मत के बाद भी पूर्तिकार उत्पादन तथा चालू करने में विफल रहा और पाइपिंग तथा वाल्वों की आपूर्ति, माप हेतु पाइपिंग, संघनन, स्नेहक प्रणाली, नमी पृथक्करण वेसल का उत्थापन, केबलिंग और पैनलों के अंतर्संबंध को पीछे छोड़कर कार्य अपूर्ण छोड़ दिया (अप्रैल 2012)। अन्ततः एच.डब्ल्यू.बी. ने शेष कार्यों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निविदा जारी करने हेतु डी.पी.एस. को विस्तृत विनिर्देशन और लागत अनुमान प्रस्तुत किया (अप्रैल 2014) और खरीद आदेश के रद्दीकरण तथा पूर्तिकार द्वारा पूरे न किए गए कार्य की सीमा तक जोखिम खरीद कार्रवाई आरम्भ करने के साथ आगे बढ़ने का अनुरोध किया। एच.डब्ल्यू.बी. ने जोखिम खरीद कार्रवाई आरम्भ करने को सुगम करने के लिए औपचारिक रूप से ठेका समाप्त करने के लिए डी.पी.एस. को फिर सूचित किया (मार्च 2015)। डी.पी.एस. ने पूर्तिकार के जोखिम तथा लागत पर आदेश के रद्दीकरण पर डी.ए.ई. से कानूनी सलाह मांगी (अक्टूबर 2015)। दिसम्बर 2015 तक मामला डी.ए.ई. के पास लम्बित था और स्टीम टर्बाइन चालू नहीं की गई थी।

कार्य की प्रगति के अनुरूप सितम्बर 2005 तथा अगस्त 2008 के बीच पूर्तिकार को ₹ 2.88 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। पूर्तिकार द्वारा कार्य के अधित्याग के कारण डी.पी.एस. ने पूर्तिकार से प्राप्त ₹ 82 लाख की बैंक गारंटी भुना ली। इस प्रकार पूर्तिकार को प्रदत्त निवल राशि ₹ 2.06 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपकरण की आपूर्ति में विलम्ब की दशा में खरीद आदेश में निर्णीत हर्जानों के उदग्रहण के लिए कोई खण्ड नहीं था। परिणामतः, यद्यपि पूर्तिकार ने उपकरण की आपूर्ति और उत्थापन कार्य में विलम्ब किया परन्तु डी.पी.एस. निर्णीत हर्जानों का उदग्रहण नहीं कर सका था। इसके बजाय डी.पी.एस. ने सितम्बर 2006 से

अगस्त 2010 तक सुपुर्दगी अवधि छः बार बढ़ाई। इसके अलावा डी.पी.एस. ने पूर्तिकार के कार्य अधित्याग के बाद जोखिम खरीद प्रक्रिया आरम्भ करने में दो वर्ष लिए। इसके बाद भी डी.ए.ई., डी.पी.एस. तथा एच.डब्ल्यू.बी. ने खरीद आदेश रद्द करने और परियोजना पूरी करने के लिए वैकल्पिक कार्रवाई करने के लिए सहमति तथा परामर्श प्राप्त करने के लिए आपस में एक वर्ष से अधिक तक पत्र व्यवहार जारी रखा। परिणामस्वरूप, पूर्तिकार द्वारा कार्य के अधित्याग के तीन वर्षों के बाद भी खरीद आदेश अभी भी रद्द किया जाना था और स्टीम टर्बाइन अप्रतिष्ठापित रही। परियोजना से ₹ चार से पांच करोड़ प्रति वर्ष की प्रत्याशित बचत को ध्यान में रखकर एच.डब्ल्यू.बी. ने ₹ 40 करोड़ (₹ 4 करोड़ की दर से 10 वर्ष के लिए) अनुमानित विद्युत उत्पादन करने का अवसर भी खो दिया ।

इस प्रकार एच.डब्ल्यू.बी./डी.पी.एस. द्वारा अक्षम ठेका प्रबन्धन के कारण भारी जल संयंत्र, कोटा में विद्युत उत्पादन हेतु अक्टूबर 2005 तक प्रतिष्ठापित किए जाने को प्रत्याशित स्टीम टर्बाइन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रतिष्ठापित नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप भाप से विद्युत उत्पादन की परियोजना पूर्ण न होने के अतिरिक्त ₹ 2.06 करोड़ की सरकारी निधियों का अवरोधन हुआ।

मामला जनवरी 2016 में डी.ए.ई. को भेजा गया था; उनका उत्तर फरवरी 2016 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय-III

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

3.1 अनियमित प्रशासनिक तथा हकदारी प्रचालन

स्टेम कोशिका जीव विज्ञान एवं पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बेंगलूरु ने अपने प्रशासन तथा हकदारी मामलों में सरकारी नियमों तथा विनियमों का पालन नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप अपने स्टाफ को ₹ 2.86 करोड़ के उच्च हकदारियों का भुगतान, अपात्र अभ्यर्थियों की भर्ती पदों के सृजन हेतु संस्वीकृति बिना स्टाफ की भर्ती, आदि जैसी अनियमितताएं हुई।

स्टेम जीव विज्ञान एवं पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बेंगलूरु (आई.एन.एस.टी.ई.एम.) जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य एक संगठनात्मक ढांचा बनाना है जो स्टेम कोशिका अनुसंधान में विशेषज्ञता का विकास प्रोत्साहित करता है, मूल वैज्ञानिकों तथा चिकित्सकों के बीच इस प्रकार अन्तरक्रियाओं का पोषण करता है जो मानव स्टेम कोशिकाओं के चिकित्सीय उपयोग में अड़चनों को दूर करने के लिए अभिनव अनुसंधान की सहायता करते हैं।

आई.एन.एस.टी.ई.एम. ₹ 203.10 करोड़ की कुल लागत से 2008-09 से 2011-12 तक के चार वर्षों की अवधि हेतु परियोजना रूप में अनुमोदित किया गया था (अगस्त 2008)। संस्थान का परियोजना रूप में कार्य करना जारी रहा और इसकी अवधि मार्च 2016 तक बढ़ाई गई।

भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय होने और राजकोष से पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त करने पर आई.एन.एस.टी.ई.एम. को अपने प्रशासनिक कार्यचालन में सरकारी नियमों तथा विनियमों का पालन करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा में आई.एन.एस.टी.ई.एम. के प्रशासनिक तथा हकदारी कार्यों में सरकारी नियमों तथा विनियमों के पालन की मात्रा की जांच की। लेखापरीक्षा अवलोकनों पर नीचे चर्चा की गई है।

3.1.1 भर्ती नियम न बनाना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) के निर्देशों (दिसम्बर 2010) के अनुसार, जैसे ही नए पद/सेवा के सृजन अथवा किसी पद उन्नयन करने अथवा किसी सेवा का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया जाता है, वैसे ही भर्ती नियम/सेवा नियम बनाने के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिए। भर्ती नियम सभी पदों के लिए बनाए जाने चाहिए जिनके एक वर्ष अथवा अधिक तक चलने की सम्भावना है। भर्ती नियमों को प्रत्येक पद के लिए चयन मानदण्ड, शैक्षणिक योग्यताओं की आवश्यकताएं, अनुभव तथा आरक्षण रोस्टर, आयु सीमा, चयन समिति के संघटन, चयन की रीति, भर्तियों के विभिन्न चरणों को अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के ब्यौरे, आदि अनुबद्ध करने थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आई.एन.एस.टी.ई.एम. के लिए भर्ती नियम नहीं बनाए गए थे। आगे आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने 11 पदों और नौ अस्थाई पदों की भर्ती की। भर्ती नियमों के अभाव में नियमित स्टाफ की भर्ती अनियमित थी। इसके अलावा, इसके कारण आई.एन.एस.टी.ई.एम. द्वारा अपनाई गई भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं हुईं जिन पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किया (फरवरी 2016) और बताया कि प्रारूप भर्ती नियम अनुमोदन हेतु डी.बी.टी. को प्रस्तुत किए गए थे।

तथ्य यह शेष रहा कि संस्थान ने भर्ती नियम अनुमोदित कराए बिना नियमित स्टाफ की भर्ती की।

3.1.2 पदों की संस्वीकृति बिना स्टाफ की भर्ती

वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.), व्यय विभाग (डी.ओ.ई.) के निर्देशों (सितम्बर 1998) के अनुसार स्वायत्त निकायों के शासी निकाय पदों के सृजन को छोड़कर प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा उपयोक्त शक्तियों की सीमा तक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए पदों के सृजन हेतु एम.ओ.एफ. तथा डी.ओ.पी.टी. का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 (जी.एफ.आर.) के नियम 22 के अनुसार कोई भी अधिकारी सरकारी निधियों से खर्च नहीं कर सकता है अथवा व्यय वाली कोई देयता में प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत न किया गया हो। लेखापरीक्षा ने पाया कि आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने संस्वीकृति बिना पदों पर स्टाफ नियुक्त किया जैसी नीचे चर्चा की गई है:

- i) संकाय संवर्ग में यद्यपि डी.बी.टी. द्वारा आठ पद अनुमोदित किए गए थे परन्तु एम.ओ.एफ. तथा डी.ओ.पी.टी. का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। इन पदों के प्रति पांच व्यक्ति तैनात थे। उपर्युक्त पदों के अतिरिक्त नौ अन्य शैक्षणिक पदों तथा 11 प्रशासनिक पदों को भरने के लिए प्रस्ताव डी.बी.टी., एम.ओ.एफ. व डी.ओ.पी.टी. की मंजूरी हेतु लम्बित थे। तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने इन पदों के प्रति नौ अस्थाई पद प्रचालित किए।

आपत्ति स्वीकार करते समय आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने बताया (फरवरी 2016) कि वांछित व्यक्ति प्राप्त करने के लिए संरचित भर्ती नियम मार्ग के स्थान पर अस्थाई रूप के माध्यम से भर्ती की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमित तथा अस्थाई पदों के नियमित आधार पर सृजन तथा प्रचालन को डी.बी.टी., डी.ओ.पी.टी. तथा एम.ओ.एफ. का अनुमोदन अपेक्षित था।

- ii) स्टेम कोशिका अनुसंधान केन्द्र (सी.एस.सी.आर.) डी.बी.टी. से वित्तपोषण से परियोजना रूप में (वर्ष 2005 से) क्रिश्चन मेडीकल कालेज, वेल्लौर (सी.एम.सी.) में कार्य कर रहा था। संघ मंत्रिमंडल ने इसकी परियोजना की समाप्ति पर आई.एन.एस.टी.एम. के साथ इस इकाई का एकीकरण अनुमोदित किया (2008)। तदनुसार, सी.एस.सी.आर. का 1 जुलाई 2011 से आई.एन.एस.टी.ई.एम. के साथ एकीकरण किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि आई.एन.एस.टी.ई.एम. के साथ सी.एस.सी.आर. के एकीकरण के बाद भी सी.एस.सी.आर. का स्टाफ सी.एम.सी. तथा सी.एस.सी.आर./आई.एन.एस.टी.ई.एम. दोनों के लिए कार्य करता रहा। ऐसे स्टाफ का कार्य आवंटन अलग से निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

2011-12 से 2013-14 (जुलाई 2011 से मार्च 2014) की अवधि के दौरान सी.एस.सी.आर./आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने ऐसे स्टाफ के पारिश्रमिक के प्रति ₹ 1.54 करोड़ का व्यय किया¹⁰। कार्य की मात्रा की पहचान और निर्दिष्ट किए बिना एक मुश्त वेतन और हकदारी का भुगतान सही नहीं था।

आपत्ति स्वीकार करते हुए आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने बताया (दिसम्बर 2014) कि मामला डी.बी.टी. के साथ उठाया जाएगा।

¹⁰ वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 33.05 लाख, 2012-13 के दौरान ₹ 37.45 लाख और वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 83.14 लाख

3.1.3 अपात्र अभ्यर्थियों की भर्ती

आई.एन.एस.टी.ई.एम. में नियमित स्टाफ के भर्ती अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि अपने नियमित स्टाफ की भर्ती के लिए संस्थान द्वारा अपनाई गई भर्ती प्रक्रिया मनमानी, व्यक्तिपरक थी और केन्द्र सरकार में भर्ती के लिए निर्धारित नियत प्रक्रिया का पालन नहीं किया था, जैसा नीचे चर्चा की गई है:

- i) आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान आयु सीमा के पात्रता मानदण्ड शिथिल करने के द्वारा प्रशासनिक सहायक और सहायक लेखा अधिकारी के पदों के लिए अस्थायी क्षमता में आई.एन.एस.टी.एम. में कार्यरत दो व्यक्तियों की भर्ती की।
- ii) आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने ₹ 8700 के ग्रेड वेतन में दो सहायक अन्वेषकों की भर्ती की। लेखापरीक्षा में पाया कि भर्ती की किसी नियत प्रक्रिया जैसे चयन मानदण्ड (जैसे आयु, अर्हता तथा अनुभव), चयन की रीति, आदि विधिवत निर्धारित कर समाचार पत्र में विज्ञापन अपनाए बिना भर्ती की गई थी। दो कर्मचारियों ने सीधे अपने शैक्षिक एवं कार्य विवरण प्रस्तुत किए और पांच वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किए गए थे। डी.ओ.पी.टी. द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया अपनाए बिना व्यक्तियों की भर्ती अनियमित थी।
- iii) भारत में विदेशी मूल के नागरिकों के रोजगार पर निर्देशों के अनुसार गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) की अनुमति ली जानी अपेक्षित है। तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि दो व्यक्तियों, जो भारतीय नागरिक नहीं थे, की भर्ती के संबंध में एम.एच.ए. का अनुमोदन अभिलेख में नहीं था।

आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने कहा (फरवरी 2016) कि आयु के पात्रता मानदण्ड शिथिल करना रोजगार नीति के लचीले प्रकार का एक भाग था और बाद में वांछित व्यक्तियों से पदों को भरने के लिए नियमित लगातार नियुक्ति अपनाई गई थी। आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने आगे बताया कि संकाय के पद के लिए खुली विज्ञापन विधि का सहारा नहीं लिया गया था और जब और जैसे आवश्यकता हुई, भर्ती की गई थी। विदेशी नागरिकों की नियुक्ति के संदर्भ में आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने बताया कि एक मामले में नियुक्ति डी.बी.टी. द्वारा की गई थी और दूसरे मामले में एम.एच.ए. का अनुमोदन मांगा जा रहा था।

उपर्युक्त सभी मामलों में उत्तर दर्शाता है कि व्यक्तियों की भर्ती मनमाने ढंग से किया गया था तथा भर्ती प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

3.1.4 स्टाफ को अनियमित तथा उच्च हकदारियां देना

जी.एफ.आर. का नियम 209(6)(iv)(क) अनुबद्ध करता है कि सभी अनुदानग्राही संस्थान अथवा संगठन जो सहायता अनुदान के रूप में अपने आवर्ती व्यय का पचास प्रतिशत से अधिक प्राप्त करते हैं, को अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा निबन्धन सामान्यतया ऐसे बनाने चाहिए जो केन्द्र सरकार में कर्मचारियों की समान श्रेणियों पर लागू शर्तें तथा निबन्धनों से कुल मिलाकर अधिक नहीं हैं। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने नीचे दिए विवरण के अनुसार अपने स्टाफ को अनियमित रूप से उच्च हकदारियां मंजूर की।

3.1.4.1 स्थानान्तरण पर अस्वीकार्य यात्रा भत्ता

सरकारी नियमों¹¹ के अनुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता (टी.ए.) स्वीकार्य है जब कोई सरकारी कर्मचारी एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित किया जाता है। इसी प्रकार स्थानान्तरण टी.ए. या तो प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों पर अथवा ऐसे पदों को नियुक्ति के लिए साक्षात्कार के बाद केन्द्र सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति पर स्थाई केन्द्रीय तथा राज्य सरकार कर्मचारियों को भी स्वीकार्य¹² है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2009-14 की अवधि के दौरान आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने आठ कर्मचारियों, जो विदेश में कार्यरत थे, को अस्थाई आधार पर आई.एन.एस.टी.ई.एम. को उनकी सीधी भर्ती पर यात्रा लागत तथा घरेलू सामान की परिवहन लागत सहित ₹ 34.64 लाख के स्थानान्तरण टी.ए. का भुगतान किया। चूंकि स्टाफ अस्थाई आधार पर नियुक्त किए गए थे और किसी अन्य पूर्व मुख्यालय से स्थानान्तरित नहीं किए गए थे इसलिए स्थानान्तरण टी.ए. स्वीकार्य नहीं था। आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने इस अस्वीकार्य राशि को वसूल नहीं किया था।

यह स्वीकार करते हुए कि स्थान परिवर्तन प्रभारों का भुगतान सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं था, आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने बताया (फरवरी 2016) कि स्थान परिवर्तन प्रभारों का भुगतान लचीलेपन एवं संस्थान में गुणवत्ता श्रमशक्ति रखने हेतु दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्थान परिवर्तन प्रभारों का भुगतान सरकारी नियमों तथा विनियमों के प्रतिकूल था।

¹¹ मूल नियम तथा सेवा विनियमन भाग II का एस.आर. 2(18)

¹² नियम एस.आर. 114 के अधीन जी.ओ.आई. निर्णय (1)

3.1.4.2 किराया आवास प्रभारों का अधिक भुगतान

वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम में शामिल प्रावधानों के अनुसार जहाँ निजी आवास पूर्णतया आवासीय प्रयोजन हेतु किराए पर लिया जाता है वहाँ आवास के लिए अथवा आवासीय भाग के लिए सरकार द्वारा भूस्वामी को देय किराया वर्ग के अधिकारी जिसके लिए यह किराए पर ली गई है से एफ.आर. 45 क - IV(ख) के अधीन वसूली योग्य कुल किराए और गृह किराया भत्ता (एच.आर.ए.) जिसका वह अधिकारी सामान्यतया हकदार होगा, के बराबर राशि से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार देय पट्टा आवास प्रभार एच.आर.ए. तथा कर्मचारी की लाइसेंस फीस हकदारी के अन्दर होना चाहिए।

संवीक्षा से पता चला कि 2009-14 की अवधि के दौरान, आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने 11 स्टाफ (स्थाई तथा अस्थाई) को पट्टाकृत आवास के प्रति स्वीकार्य एच.आर.ए. से अधिक ₹ 37 लाख तक किराए का भुगतान किया। यह वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमों का उल्लंघन था। आई.एन.एस.टी.ई.एम. में सम्बन्धित कर्मचारियों से अधिक भुगतान वसूल नहीं किया था।

आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने बताया (सितम्बर 2014 तथा दिसम्बर 2014) कि कर्मचारियों के लिए उनकी स्वयं की आवास सुविधा न होने पर संस्थान ने अपने कर्मचारियों के लिए निजी आवास किराए पर लेने की नीति स्थापित की।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नीति सरकारी नियमों के प्रतिकूल थी।

3.1.4.3 विदेशी दौरे पर ₹ 1.08 करोड़ का अनियमित व्यय

लेखापरीक्षा ने देखा कि संस्थान के वैज्ञानिकों को 2009-14 की अवधि के दौरान 438 दिनों के लिए सेमीनारों, कार्यशालाओं, दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण आदि के लिए विदेश दौरे की अनुमति दी गई थी। ये विदेशी दौरे सरकार के निर्देशों के उल्लंघन में डी.बी.टी. के सचिव/प्रभारी मंत्री के स्थान पर संस्थान के डीन द्वारा अनुमोदित किए गए थे। आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने डी.बी.टी. द्वारा जारी मुख्य अनुदान से विदेश यात्राओं पर ₹ 1.08 करोड़ का अनियमित व्यय किया।

आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने बताया (सितम्बर 2014/दिसम्बर 2014) कि दौरे वैज्ञानिकों को विज्ञान के साथ रखने के लिए किए गए थे और अन्तरक्रियाएं विज्ञान अनुसंधान के लिए बहुत महत्व की थी।

तथ्य यह शेष रहा कि विदेशी दौरे सरकारी निर्देशों के उल्लंघन में अनुमत किए गए थे तथा ₹ 1.08 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया था।

3.1.5 परामर्शदाताओं के नियोजन पर अनियमित व्यय

जी.एफ.आर. के नियम 163 से 177 परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। डी.बी.टी. ने इन प्रावधानों तथा परामर्शदाताओं के नियोजन की नीतियों और प्रक्रिया नियम पुस्तक का पालन करने का अपने स्वायत्त निकायों को निर्देश दिया (जून 2010)।

भर्तियां जी.एफ.आर. तथा एम.ओ.एफ. मार्गनिर्देशों में बताई गई भर्ती की पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना की गई थीं जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

- i) जी.एफ.आर. नियम 163 तथा 165 के अनुसार बाह्य व्यावसायिक, परामर्शी फर्म अथवा परामर्शदाता को विशेष कार्य के लिए किराए पर लिया जा सकता है तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) मार्गनिर्देशों के अनुसार, परामर्शदाताओं की भूमिका बौद्धिक, सलाहकारी और अनुशासनात्मक होनी चाहिए एवं अंतिम प्राधिकार व जिम्मेदारी केवल विभागीय अधिकारियों की होनी चाहिए (दैनिक सामान्य कार्य के लिए नहीं जो सरकार में उपलब्ध है) और उच्च गुणवत्ता सेवाओं (व्यावसायिक) की अपेक्षा करने वाली स्थितियों में जिसके लिए सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग अपेक्षित विशेषज्ञता नहीं रखता है, होना चाहिए।
- ii) जी.एफ.आर. के नियम 168 तथा 169 के अनुसार सलाहकारों का चयन ख्याति के कम से कम एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा किया जाएगा। नियुक्ति की उनकी अर्हताओं के आधार पर होगी। उनका चयन उनमें से कम से कम तीन अभ्यर्थियों, जो नियुक्ति में अभिव्यक्त हित रखते हैं, की अर्हताओं की तुलना के माध्यम से होगा। एम.ओ.एफ. मार्गनिर्देशों के अनुसार चयन परामर्शी मूल्यांकन समिति (सी.ई.सी.) द्वारा किया जाएगा, जो शैक्षिक योग्यताओं तथा अनुभव के लिए अंक देगी और नियुक्ति के लिए अधिकतम उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन करेगी।

लेखापरीक्षा में पाया कि आई.ए.एस.टी.ई.एम. ने तीन अव्यवसायिकों को प्रशासन, वित्त/लेखा एवं परियोजना में नियमित पदों पर बिना विज्ञापन के भर्ती किया था तथा उनका योग्यताओं वाले अभ्यर्थियों, जो व्यक्ति हित रखते थे, की तुलना के माध्यम से चयन नहीं किया गया था। चयन सी.ई.सी. द्वारा नहीं किया गया था परन्तु नियुक्ति सीधे दी गई थी और परामर्शदाताओं के रूप में भर्ती किए गए थे तथा ये व्यक्ति सामान्य कार्यालय कार्य जैसे सामान्य प्रशासन, भुगतान के लिए चैक पर हस्ताक्षर करना, लेखा, विदेशी पंजीकरण कार्यवाही, वित्तीय प्रबंधन आदि के लिए लगाए गए थे।

इसके अलावा परामर्शदाताओं को न केवल समेकित वेतन का भुगतान किया गया बल्कि सरकार के नियमित कर्मचारियों के एच.आर.ए., टी.ए., चिकित्सा प्रतिपूर्ति, पट्टाकृत आवास, अनुग्रह भुगतान, निष्पादन सम्बन्धित प्रोत्साहन और छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) की प्रतिपूर्ति का भी भुगतान किया गया था।

आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने नवम्बर 2009 से अक्टूबर 2014 तक की अवधि के दौरान इन परामर्शदाताओं को पारिश्रमिक के लिए ₹ 1.06 करोड़ का व्यय किया। इसमें से ₹ 13.58 लाख की राशि भत्तों के भुगतान के लिए थी जैसा ऊपर उल्लेख किया गया।

इस प्रकार, प्रशासन, वित्त/लेखा तथा परियोजना में नियमित कार्य के लिए सलाहकार के रूप में गैर पेशेवर कर्मचारियों का नियोजन जी.एफ.आर., एम.ओ.एफ. के प्रावधानों और सी.वी.सी. मार्गनिर्देशों के प्रतिकूल था जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया।

तथ्य स्वीकार करते हुए, आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने बताया (फरवरी 2016) कि परामर्शदाताओं की नियुक्ति आवश्यकता आधार पर थी और व्यक्ति संदर्भ/नामांकन के माध्यम से नियुक्त किए गए थे।

तथ्य यह शेष रहा कि परामर्शदाता लागू नियमों एवं निर्देशों के प्रावधानों के प्रतिकूल नियुक्त किए गए थे।

3.1.6 निष्कर्ष

स्टेम कोशिका जीव विज्ञान एवं पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान (आई.एन.एस.टी.ई.एम.) ने स्टाफ के भर्ती और उनके पारिश्रमिक के भुगतान में व्यापक और प्रभावी प्रशासनिक तन्त्र स्थापना नहीं किया था। आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने अनुमोदित भर्ती नियम स्थापित किए बिना नियमित पदों के प्रति भर्तियां की। आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने आगे पदों के सृजन की संस्वीकृत प्राप्त किए बिना स्टाफ की भर्ती की। लेखापरीक्षा ने पाया अपात्र अभ्यर्थियों की भर्ती, सरकारी नियमों तथा निर्देशों के उल्लंघन में अपने स्टाफ को ₹ 2.86 करोड़ की अनियमित तथा उच्च हकदारी तीन परामर्शदाता नियुक्त करने में अनियमितताएं जैसे मामले भी देखे।

मामला जनवरी 2016 में डी.बी.टी. को भेजा गया था; उनका उत्तर फरवरी 2016 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय-IV

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग

4.1 बी.एस.एल.-3 सुविधा की खरीद पर निष्फल व्यय

कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र, हैदराबाद ने जैव सुरक्षा स्तर-3 सुविधा का समुचित अधिष्ठापन सुनिश्चित किए बगैर 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान द्वारा खरीदा। उस सुविधा में समस्याएँ थीं, जिसे दूर नहीं किया जा सका, जिसके परिणाम स्वरूप इसके खरीद पर किया गया व्यय ₹ 1.90 करोड़ का निष्फल रहा।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (सी.एस.आई.आर.) क्रय कार्यविधि, 2002 ने उपबंधित किया था कि विक्रेता को अग्रिम भुगतान मामलों के आधार पर समतुल्य बैंक गारंटी के विरुद्ध किया जा सकता था। कार्यविधि में आगे कहा गया था कि किसी भी मामले में खरीदी गई सामग्री के मूल्य का 90 प्रतिशत से अधिक का अग्रिम भुगतान नहीं हो सकता था।

सी.एस.आई.आर. के अंतर्गत अंगीभूत इकाई, कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र, हैदराबाद (सी.सी.एम.बी.) को भारत में व्याप्त तीन बड़ी बीमारियों, जो कि एच.आई.वी., क्षय रोग एवं हेपटाइटिस हैं, पर अनुसंधान कार्य सौंपा गया था। इन संक्रामक बीमारियों पर अनुसंधान के लिए जैव सुरक्षा स्तर-3¹³ (बी.एस.एल.-3) सुविधा आवश्यक था।

सी.सी.एम.बी. ने 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के विरुद्ध यू.एस. \$ 3,90,000 की लागत से पूर्वनिर्मित बी.एस.एल.-3 की आपूर्ति, अधिष्ठापन, शुरू करने, परीक्षण एवं पुष्टीकरण हेतु स्वामित्व आधार पर भारतीय एजेंट मेसर्स ब्लू स्टार इंडिया लिमिटेड, मुंबई के माध्यम से मेसर्स टेक्कॉम्प लिमिटेड, हॉगकॉंग को क्रय आदेश दिया।

यह सुविधा अधिष्ठापन की तिथि से दो वर्षों की अवधि हेतु वारंटी के अंतर्गत था। क्रय आदेश के निबंधों एवं शर्तों के अनुसार, फर्म को वारंटी अवधि के बाद के 90 दिनों की अवधि हेतु मान्य, आदेश मूल्य के 10 प्रतिशत हेतु निष्पादन बैंक गारंटी

¹³ अतिसंक्रमणीय रोग घटक के रोकथाम में जैविक सुरक्षा मामलों को निपटाने की एक उन्नत रोकथाम सुविधा।

(पी.बी.जी.) प्रस्तुत करना था। तदनुसार, फर्म ने अप्रैल 2008 तक मान्य ₹ 17.20 लाख के मूल्य का पी.बी.जी. जमा (अगस्त 2005) किया। फर्म को सुविधा के पुष्टीकरण/शुरू करने के दौरान प्रदर्शन जांच करना था। इसके अलावा, बी.एस.एल.-3 सुविधा के प्रमाणीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार, इस तरह की सुविधा के अधिष्ठापन के उपरांत प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कम से कम वार्षिक आधार पर पुनर्प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए।

बी.एस.एल.-3 सुविधा प्राप्त किया गया (दिसंबर 2005) तथा ₹ 1.79 करोड़ की राशि का 100 प्रतिशत भुगतान साख-पत्र के माध्यम से जारी कर दिया गया। फर्म द्वारा सुविधा का अधिष्ठापन एवं परीक्षण (फरवरी 2006) किया गया, फिर भी, इसमें समस्या की वजह से सी.सी.एम.बी. के अभियंताओं द्वारा इसका पुष्टीकरण नहीं किया गया। उसके बाद प्रयोगकर्ता वैज्ञानिकों द्वारा सुविधा को परीक्षण के अंतर्गत रखा गया।



पूर्वनिर्मित बी.एस.एल.-3 सुविधा

पूरी सुविधा को नई सुविधा से बदल दे या इकाई की पूरी लागत वापस करे। फर्म ने इसे प्रचालनीय बनाने के लिए बड़े घटकों को बदलने तथा जीर्णोद्धार का प्रस्ताव दिया जिसे सी.सी.एम.बी. द्वारा स्वीकार कर लिया गया। फर्म ने जब पुष्टि की कि सुविधा पूरी तरह सुचारु हो गयी है, उसके बाद सी.सी.एम.बी. ने इसके पुष्टीकरण हेतु बाह्य विशेषज्ञ, वरिष्ठ वैज्ञानिकों एवं अभियंताओं की एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की।

पुष्टीकरण प्रक्रिया (दिसंबर 2008) के दौरान विशेषज्ञ समिति ने पाया कि सुविधा अभी भी सुचारु नहीं थी तथा बी.एस.एल.-3 कार्य हेतु इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। सी.सी.एम.बी. ने पुनः जुर्माना ब्याज के साथ सुविधा की खरीद की पूरी लागत वापस करने की मांग (दिसंबर 2008) की। सी.सी.एम.बी. ने फर्म के साथ पत्राचार जारी रखा; फिर भी सुविधा को मई 2010 तक सुधारा नहीं जा सका।

परीक्षण उपयोग के बाद की अवधि में, बराबर विफलता/ व्यवधान की वजह से बी.एस.एल.-3 सुविधा ने सुचारु रूप से कार्य नहीं किया। यद्यपि फर्म ने मरम्मत, प्रतिस्थापन एवं संशोधन किए, तथापि समस्या बनी रही और अनुसंधान कार्य आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

अंततः, सी.सी.एम.बी. ने मांग की (जनवरी 2008) कि फर्म या तो इस

इस दौरान, फर्म द्वारा जमा की गई पी.बी.जी. की मान्यता समाप्त हो गई; फिर भी, उसका नवीकरण नहीं किया गया। सी.सी.एम.बी. ने पाँच वैज्ञानिकों की नियुक्ति (2005 से 2007) भी कर दी जो संक्रामक बीमारियों के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले थे तथा जिन्हें इस उद्देश्य हेतु बी.एस.एल.-3 सुविधा की जरूरत थी। हालांकि बी.एस.एल.3 सुविधा के अभाव में वैज्ञानिक अपना अनुसंधान कार्य शुरू करने में असमर्थ थे। परिणामस्वरूप, सी.सी.एम.बी. ने अपनी वर्तमान प्रयोगशालाओं में से एक में दूसरा नया बी.एस.एल.-3 सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव किया (अप्रैल 2008)। सी.सी.एम.बी. ने ₹ 2.44 करोड़ का व्यय करके नई सुविधा स्थापित (जनवरी 2010) की।

लेखापरीक्षा जांच के दौरान, सी.सी.एम.बी. ने पुनः सूचित किया (नवंबर 2014) कि पूर्वनिर्मित बी.एस.एल.-3 सुविधा को क्रियाशील कर दी गई तथा एक विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनर्प्रमाणीकरण किया जाना था। फिर भी, जनवरी 2016 तक यह नहीं किया गया, यह दर्शाते हुए कि सुविधा पुष्टीकरण हेतु आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता था। सुविधा के उपयोगिता हेतु कोई अभिलेख पुस्तिका नहीं रखी गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पूर्वनिर्मित बी.एस.एल.-3 सुविधा की खरीद करते समय सरकार की हित की सुरक्षा करने के लिए सी.सी.एम.बी. ने पर्याप्त उपाय नहीं किए। हालांकि सुविधा के स्थापना के लिए कठोर परीक्षण एवं पुष्टीकरण प्रक्रिया आवश्यक थी, सी.सी.एम.बी. ने बिना संबंधित क्रयमूल्य के बैंक गारंटी के तथा बिना सुनिश्चित किए कि सुविधा पूर्ण पुष्टीकरण के बाद हस्तांतरित की गयी है, फर्म को 100 प्रतिशत भुगतान अग्रिम में जारी कर दिया (दिसम्बर 2005) था। यह सी.एस.आई.आर. की क्रय कार्यविधि का उल्लंघन था। यद्यपि फर्म से पी.बी.जी. प्राप्त किया गया था, सी.सी.एम.बी. ने इसके भुगतान या समाप्ति के बाद उसके नवीकरण के लिए कोई कार्रवाई नहीं किया।

सी.एस.आई.आर. ने कहा (फरवरी 2016) कि सुविधा में समस्या को ठीक कर दिया गया तथा यह 2009 से पूरी तरह क्रियाशील है। सी.एस.आई.आर. ने आगे कहा कि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान कार्य किया तथा सुविधा के आरंभ से ही शोध-पत्र प्रकाशित किए गए। उत्तर तथ्यात्मक दृष्टि के विरोधाभासी है क्योंकि सुविधा में समस्या सितम्बर 2010 तक बनी हुई थी। जनवरी 2016 तक गंभीर संक्रामक बीमारियों का अनुसंधान करने में प्रयोग हेतु योग्य ठहराने के लिए सुविधा का पुष्टीकरण नहीं किया गया था। सी.सी.एम.बी. सुविधा के उपयोगिता के लिए अभिलेख पुस्तिका भी प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके अलावा, दूसरे बी.एस.एल.-3 सुविधा के स्थापना के

समय सी.सी.एम.बी. ने औचित्य दिया था कि बी.एस.एल.-3 सुविधा का प्रयोग कर अनुसंधान कार्य करने हेतु भर्ती किए गए वैज्ञानिक उसके अभाव में निष्क्रिय थे।

आपूर्ति की गई सुविधा के सुचारु क्रियाशील होना सुनिश्चित किए बगैर अग्रिम के रूप में पूरा भुगतान करना तथा फर्म से प्राप्त पी.बी.जी. का नवीकरण करने में विफल होना सी.सी.एम.बी. को नुकसान पहुंचाया क्योंकि यह दोषपूर्ण सुविधा के प्रतिस्थापन हेतु फर्म पर दबाव डालने में असमर्थ था। इसका परिणाम ₹ 1.90 करोड़¹⁴ के निष्फल व्यय के रूप में हुआ क्योंकि बी.एस.एल.-3 सुविधा को इसके अभीष्ट उद्देश्य हेतु प्रयोग में नहीं लाया जा सका।

¹⁴ फर्म को भुगतान किए गए ₹ 1.79 करोड़ तथा एल.सी. तैयार करने, भाड़ा, सीमा शुल्क इत्यादि के रूप में भुगतान किए गए ₹ 11 लाख।

अध्याय - V

अंतरिक्ष विभाग

5.1 प्रशासन, वित्त और संबंधित क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण

अंतरिक्ष विभाग द्वारा विकसित प्रशासनिक क्षेत्र पैकेज में कम्प्यूटरीकृत कार्यचालन में उचित अन्तर्निहित वैधीकरण जांचों और अनुप्रयोग नियंत्रणों की कमी थी। कुछ कारोबार नियम शामिल नहीं किए गए थे। प्रणाली में डाटा एंट्री नियमित नहीं थी। परिणामस्वरूप, प्रणाली से ली गई सूचना अपूर्ण, गलत तथा असंगत थी जिसके कारण अल्प डाटा सत्यनिष्ठा और मानवीय प्रचालनों पर महत्वपूर्ण निर्भरता हुई, जिससे कम्प्यूटरीकृत परिवेश में कार्यचालन का उद्देश्य विफल कर दिया।

5.1.1 प्रस्तावना

अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों का विकास बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), जो डी.ओ.एस. की अनुसंधान तथा विकास शाखा है, इसरो के अन्य केन्द्रों/यूनिटों के साथ के माध्यम से निष्पादित किया जाता है।

डी.ओ.एस. ने प्रशासनिक क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकृत कार्यचालन (सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए.) विकसित करने के द्वारा अपने प्रशासन, वित्त तथा संबंधित क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण किया। सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. प्रशासन, लेखा, वित्त, वेतन नामवली, खरीद तथा भंडार के क्षेत्रों में बुद्धिसंगत तथा मानक कम्प्यूटरीकृत कार्यचालन लागू करने के उद्देश्य से एक आंतरिक रूप से विकसित पैकेज है। बोरलैण्ड सी++ बिल्डर वर्जन 6.0 फ्रंट एण्ड ग्राफिक यूजर इंटरफेस (जी.यू.आई.) स्क्रीन के विकास के लिए प्रयोग किया गया था और डाटाबेस सर्वर के रूप में साइबेस उपयोग किया गया था। फ्रंट एण्ड स्क्रीन्स करणीय विण्डोज प्रचालन प्रणाली पर विकसित किए गए थे। सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. 2002 से आगे चरणबद्ध रीति में डी.ओ.एस. के सभी केन्द्रों में नियोजित किया गया था। प्रत्येक केन्द्र द्वारा अनुरक्षित डाटाबेस सर्वर स्वतंत्र था और अंतर सम्बद्ध नहीं था।

पैकेजों का विकास/अनुरक्षण डी.ओ.एस. की एक इकाई, सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा (एस.डी.एस.सी., एस.एच.ए.आर.) द्वारा किया गया था। आंतरिक विकास

दल कोडिंग के लिए नियुक्त मानवशक्ति के अतिरिक्त वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीकी स्टाफ से बनी थी।

सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. पैकेज पृष्ठ अंत के रूप में इन्टेल जेओन-4 कोर प्रोसेसर तथा लाइनक्स आर.एच.ई.एल. 5.2 के साथ स्ट्राटस एफ.टी. सर्वर 4500 पर निहित होता था। इन्टेल पेन्टियम IV प्रोसेसर अथवा ऊपर और प्रचालन प्रणाली विन्डोज 95 और अधिक ग्राहक प्रचालनों हेतु उपयोग किए गए थे।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. ने सभी कारोबार नियम सम्मिलित करता था, विश्वसनीय एम.आई.एस. रिपोर्टें आदि उत्पन्न की, डाटा सत्यनिष्ठा तथा अनुप्रयोग नियंत्रण बनाए रखता था।

लेखापरीक्षा एस.डी.एस.सी. में सितम्बर से नवंबर 2015 के दौरान की गई थी। लेखापरीक्षा प्रक्रिया में विकासकर्ताओं और पैकेजों के प्रयोक्तओं के साथ बातचीत और डाटा तथा अभिलेखों की संवीक्षा शामिल थी। जहाँ कहीं आवश्यक पाया गया प्रयोक्ता नियम पुस्तकों का संदर्भ लिया गया था। सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. के आरंभ (2002) से अगस्त 2015 तक की अवधि को कवर कर डाटा का बैकअप प्राप्त किया गया था और आई.टी. लेखापरीक्षा टूल्स का प्रयोग कर विश्लेषण किया गया था।

5.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. पैकेज में प्रशासन, लेखा, वेतन नामवली, वित्त, खरीद तथा भंडार जैसे मॉड्यूल हैं। लेखापरीक्षा में अनुप्रयोग नियंत्रणों, वैधीकरण जांचों और अनेक प्रक्रियाओं में कारोबार नियमों को शामिल न करने का अभाव देखा गया जिन पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।



चार्ट 4 : सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. के मॉड्यूल्स

5.1.2.1 प्रशासन मॉड्यूल

प्रशासन मॉड्यूल का इस्तेमाल प्रत्येक कर्मचारी की सामान्य सूचना एवं व्यक्तिगत सूचना संग्रहण करने के लिए तथा कर्ज एवं उधार, व्यक्तिगत दावे आदि से सम्बन्धित दावों के संसाधन के लिए उपयोग किया गया था। चूँकि सभी मूल सूचना यहाँ संग्रहित की गई थी, इसलिए इसे सख्त करने की आवश्यकता थी और यह सुनिश्चित किया जाना था कि डाटा पूर्ण तथा सही था। प्रशासन मॉड्यूल के चार उपकार्यों में देखी गई कमियां नीचे विस्तृत हैं:

(1) **व्यक्तिगत /सामान्य सूचना प्रणाली**

किसी कर्मचारी की मूल सूचना जैसे कर्मचारी कोड, व्यक्तिगत बायोडाटा और सेवा विवरण से बनी सामान्य निर्देशिका प्रणाली इस प्रणाली के माध्यम से बनाई गई थी। बायोडाटा से सम्बन्धित प्रविष्टियां कर्मचारी के इसरो/डी.ओ.एस. में सेवा आरम्भ करने के समय पर की गई थीं। कर्मचारी कोड सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. के माध्यम से स्वतः उत्पन्न किया गया था। लेखापरीक्षा ने डी.ओ.एस. द्वारा अपूर्ण डाटा एन्ट्री और प्रणाली में वैधीकरण जांचों में कमियां देखीं।

(क) **अपूर्ण डाटा एन्ट्री तथा प्रणाली में रिक्ति**

- i) कर्मचारी तालिका में 4,303 अभिलेख थे। तथापि, धोखेबाजी के लिए गुंजाइस छोड़ते हुए विभिन्न स्थानों पर गायब 1,553 कर्मचारी कोड के साथ 799 रिक्तियां थीं। डी.ओ.एस. ने बताया (नवम्बर 2015) कि लीगेसी प्रणाली से डाटा के स्थानान्तरण के कारण रिक्तियां थी। लेखापरीक्षा ने, हांलाकि 2012 तक में उत्पादित कर्मचारी कोड में भी रिक्तियां देखीं।
- ii) बायोडाटा तालिका में 4,257 अभिलेख शामिल हैं, जिनमें खाली स्थान हैं। स्थाई प्रकृति की महत्वपूर्ण प्रविष्टियां जैसे चरित्र सत्यापन और व्यक्तिगत पहचान चिन्ह भी क्रमशः 1,510 अभिलेखों तथा 1,228 अभिलेखों में दर्ज नहीं की गई थीं। “नियोजित पति/पत्नी”, “गृह नगर” जैसी प्रविष्टियां, जो विभिन्न दावों पर विचार करने के लिए पात्रता मानदण्ड के निर्धारण से सम्बन्ध रखती हैं, क्रमशः 2,243 तथा 90 अभिलेखों के सम्बन्ध में भी खाली रहे। डी.ओ.एस. ने बताया (नवम्बर 2015) कि डाटा लीगेसी प्रणाली से स्थानान्तरित किया गया था और कुछ डाटा जो उस समय पर उपलब्ध नहीं था, खाली छोड़ा गया था। डी.ओ.एस. प्रशासनिक प्रयोक्ताओं द्वारा सुधार हेतु रिक्तियों की समीक्षा करने को सहमत हो गया।
- iii) पांच मामलों में दर्ज सरकारी सेवा में आने की तारीख इसरो में आने की तारीख से पहले की थी।
- iv) 904 कर्मचारियों, जो 1 जनवरी 2006 के बाद सेवा में आए, में से 193 मामलों (21 प्रतिशत) के संबंध में जॉइनिंग ग्रेड पे दर्ज नहीं की गई थी। डी.ओ.एस. (नवम्बर 2015) मामलों की समीक्षा करने और आवश्यक सुधार करने के लिए सहमत हो गया।

उपर्युक्त अपूर्ण डाटा एन्ट्री और प्रणाली में रिक्तियों ने दर्शाया कि डाटा दर्ज करने और सत्यापन करते समय विधिवत सावधानी नहीं रखी गई थी।

(ख) वैधीकरण जांचों की कमी

हमने निम्नलिखित क्षेत्रों में वैधीकरण जांचों की कमी देखी:

- i) “कर्मचारी आरम्भिक कार्यग्रहण ब्यौरे” स्क्रीन में, यह देखने की कोई जांच नहीं थी कि क्या कर्मचारी के क्रेडिट में अर्जित छुट्टी और अर्धवेतन छुट्टी केन्द्रीय सेवा कार्यग्रहण की तारीखें/ इसरो कार्य ग्रहण की तारीख के अनुरूप थीं।
- ii) “पूर्व रोजगार ब्यौरे-डाटा एंट्री” स्क्रीन में, यह देखने को कोई जांच नहीं थी कि क्या “से सेवा” और “तक सेवा” तारीखें “इसरो कार्यग्रहण की तारीख” से पूर्व थीं।
- iii) “पूर्व पेंशन ब्यौरे-डाटा एन्ट्री” स्क्रीन में, वह देखने को कोई जांच नहीं थी कि क्या “तारीख से पेंशन” “जन्मतिथि”, “सरकारी सेवा कार्यग्रहण की तारीख”, आदि के संदर्भ में स्वीकार्य थी।
- iv) “में /बाहर कर्मचारी स्थानान्तरण ब्यौरों” स्क्रीन में ब्यौरे दर्ज करते समय कोई व्यक्ति, जो वर्तमान में एस.डी.एस.सी. में कार्यरत था, के एस.डी.एस.सी. में स्थानान्तरण के ब्यौरे दर्ज करना प्रणाली ने अनुमत किया था। डी.ओ.एस. सहमत हुआ (नवम्बर 2015) कि बग की समीक्षा की जाएगी और सही किया जाएगा।
- v) यह सुनिश्चित करने को कोई जांच नहीं थी कि गृह नगर आरम्भिक घोषणा के बाद केवल एक बार बदला जा सकेगा। इसके अलावा, गृह नगर में किए गए परिवर्तनों का कोई इतिहास नहीं था। इस प्रकार यह देखने को कोई जांच नहीं थी कि क्या गृह नगर बदलने के समय पर दर्ज किया जा रहा “वर्तमान गृह नगर” पूर्व में घोषित गृहनगर से भिन्न था।
- vi) “अध्ययन छुट्टी - डाटा एंट्री” स्क्रीन में यह सुनिश्चित करने के लिए कोई वैधीकरण जांच नहीं थी कि केवल योग्य व्यक्तियों का डाटा स्वीकार किया गया था। उदाहरण के लिए, किसी प्रशासनिक स्टाफ के लिए पी.एच.डी. करने के लिए पांच वर्षों की अध्ययन छुट्टी प्रणाली में दर्ज की जा सकती थी।
- vii) “पी.आई.एस.-पदनाम तथा श्रेणियों में परिवर्तन” स्क्रीन में यह सुनिश्चित करने कि पदोन्नति के मामले में दर्ज नया पदनाम, वेतन तथा ग्रेड पे वर्तमान पदनाम, वेतन तथा ग्रेड पे से निम्न नहीं थे, के लिए कोई वैधीकरण जांच नहीं थी।

- viii) पदोन्नति, मोडिफाइड एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (एम.ए.सी.पी.), आदि के कारण पदनाम, वेतन आदि के परिवर्तन की दशा में, “कर्मचारी मूल वेतन एवं वेतन वृद्धि तारीख में परिवर्तन” स्क्रीन में डाटा केवल “पी.आई.एस.-पदनाम तथा श्रेणियों में परिवर्तन” स्क्रीन में परिवर्तन ब्यौरे दर्ज करने के बाद भरा जा सकेगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच नहीं थी कि वेतन, ग्रेड-पे, आदि के अन्तर्गत वही डाटा दोनों स्क्रीनों में दर्ज किया गया था।
- ix) किसी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तारीख प्रणाली में दर्ज कर्मचारी की जन्म तिथि और 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने की तारीख और “टी.बी.ए.डी.-बायोडाटा” तालिका में प्रगृहीत तारीख के आधार पर परिकल्पित की गई थी। सेवा निवृत्ति की तारीख, माह जिसमें कर्मचारी 60 की आयु पूर्ण करता है, की अंतिम तारीख के रूप में प्रदर्शित की जानी चाहिए। उन मामलों में जहाँ जन्म तिथि माह की पहली तारीख को होती है, वहाँ सेवा निवृत्ति की तारीख पूर्व माह की अंतिम तारीख होनी चाहिए। तथापि, प्रणाली के अन्तर्गत यह सुनिश्चित नहीं किया गया था। 38 मामलों में प्रगृहीत सेवा निवृत्ति की तारीख गलत थी। एक मामले में जन्म तिथि और सेवा निवृत्ति की तारीख में अन्तर 67 वर्ष था। इसी प्रकार, अधिवर्ष में फरवरी में जन्म लोगों की सेवानिवृत्ति की तारीख 29 फरवरी के बजाय 28 फरवरी दर्शाई गई थी। डी.ओ.एस. ने बताया (नवम्बर 2015) कि इसकी समीक्षा की जाएगी।
- x) सेवा स्थिति के अन्तर्गत, “कर्मचारी सेवा स्थिति में परिवर्तन (दण्ड-डाटा एन्ट्री)” स्क्रीन में ब्यौरे दर्ज करते समय यद्यपि “सेवा से बाहर”, “कार्य पर नहीं”, “स्थानान्तरण”, आदि जैसे विकल्प दिए गए थे, परन्तु “सेवा” का विकल्प नहीं दिया गया था। डी.ओ.एस. ने बताया कि विकल्प प्रयोक्ता आवश्यकताओं के आधार पर दिए गए थे। इसने दर्शाया कि आवश्यकताएं सही प्रकार प्रक्षेपित नहीं की गई थी।

इस प्रकार, प्रणाली में दर्ज डाटा को वैध करने की कोई जांच नहीं थी। परिणामस्वरूप, प्रयोक्तों को हाथ से आवश्यक जांच, कागजों/फाइलों का संसाधन करना पड़ा था और साथ ही सुसंगत स्क्रीनों में प्रत्येक चरण पर डाटा भरना पड़ा था।

लेखापरीक्षा में बताए जाने पर, डी.ओ.एस. सहमत हो गया (नवम्बर 2015) कि जांच मानवीय रूप से करनी पड़ती थी और कि भविष्य में प्रचालनों हेतु इनकी समीक्षा की जाएगी।

(2) बाल शिक्षा भत्ता

इस कार्य का प्रयोजन कर्मचारियों के प्रतिपूर्ति दावों को संसाधित करना था। प्रणाली में प्रतिमान, पात्रता ब्यौरे तथा अनुरोध ब्यौरे प्रग्रहीत किए गए। लेखापरीक्षा ने देखा कि पूर्व वर्षों से सम्बन्धित दावों के लिए, प्रणाली ने उस अवधि के लिए लागू दरों को अनुमत करने के स्थान पर वर्तमान दरों को गणना में लिया था। इसने पूर्व अवधियों से सम्बन्धित दावों को वर्तमान दरों पर संसाधित करने का मौका दिया।

डी.ओ.एस. ने बताया (नवम्बर 2015) कि पुरानी अवधियों से संबंधित दावों के मामले में गणना मानवीय रूप से सत्यापित की गई थी। इसने दर्शाया कि कारोबार तर्क-संगति प्रणाली में सन्निहित नहीं की गई थी।

(3) भविष्य निधि प्रणाली

यह उपकार्य अग्रिमों, आहरणों तथा कर्मचारी भविष्य निधि (पी.एफ.) लेखे से अग्रिमों को आहरण में बदलने से सम्बन्ध रखता है। इसमें कर्मचारियों के पी.एफ. के ब्यौरे होते हैं। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित देखा:

- i) वर्तमान नियमों के अनुसार, तकनीकी तथा वैज्ञानिक स्टाफ को छोड़कर सरकारी कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) से अंशदान निधि को अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) में बदलने का विकल्प नहीं है। लेखापरीक्षा ने देखा कि “कर्मचारी पी.एफ. ब्यौरे डाटा एंट्री” स्क्रीन में, यह देखने की कोई जांच नहीं थी कि क्या कर्मचारी तकनीकी/वैज्ञानिक स्टाफ से सम्बन्धित है। स्क्रीन जी.पी.एफ. को सी.पी.एफ. में बदलना अनुमत करता था, जो गलत था।
- ii) 28 स्टाफ सदस्य ऐसे थे जो 2010-11 को दौरान सी.पी.एफ. से जी.पी.एफ. में बदले गए, तथापि डाटाबेस ने केवल दो अभिलेख दर्शाए। इसने दर्शाया कि डाटा प्रणाली में दर्ज नहीं किया गया था।

डी.ओ.एस. ने बताया (नवम्बर 2015) कि इनकी मानवीय रूप से जांच की जानी चाहिए और कि भावी प्रचालनों हेतु मामलों की समीक्षा की जाएगी। उत्तर ने दर्शाया कि आवश्यक जांच अन्तर्निहित नहीं थे।

(4) नामांकन

यह उपकार्य कर्मचारियों द्वारा किए गए नामांकनों, यथा नामांकन का प्रकार, नामिती ब्यौरे से सम्बन्धित डाटा प्रग्रहीत करता है। प्रणाली को नामांकन प्रस्तुत न करने

अथवा अपूर्ण नामांकनों के लिए अनुस्मारक उत्पन्न करने थे। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रोग्रामिंग सम्बन्धित त्रुटियां देखीं:

- i) सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. ने केवल वही पहला/वैकल्पिक नामांकन स्वीकार किए जहाँ 100 प्रतिशत शेयर एक नामिती को आवंटित किया गया था और ऐसे नामांकनों में स्वीकार नहीं किया था जहाँ शेयर एक से अधिक नामितों के बीच विभाजित किया गया था। त्रुटि के दृष्टिगत, प्राप्त नामांकन प्रयोक्ताओं द्वारा भरे नहीं गए थे। इस सीमा तक, डाटाबेस अपूर्ण रहा।
- ii) “डी.सी.आर.जी. नामांकनों के अनुस्मारक” की रिपोर्ट ने 1,510 कर्मचारी दर्शाए। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा निकाले गए डाटा के अनुसार, केवल 748 कर्मचारी थे जो सेवा में थे और अपने नामांकन नहीं भरे थे। रिपोर्ट के विश्लेषण ने दर्शाया कि रिपोर्ट में ऐसे व्यक्तियों के नाम शामिल थे जो सेवानिवृत्त/त्यागपत्र दे चुके थे/स्थानान्तरित हो चुके थे। डी.ओ.एस. ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2015) कि सही आउटपुट उत्पन्न करने के लिए बग को दूर किया जाना था।

5.1.2.2 वेतन नामावली मॉड्यूल

वेतन नामवली मॉड्यूल कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आहरित किए जाने के लिए प्रयोग किया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने मॉड्यूल के तीन उपकार्यों में निम्नलिखित कमियां देखीं:

(1) यात्रा भत्ता

नियमों के अनुसार, ऐसे कर्मचारियों को यात्रा भत्ता देय नहीं है जो सम्पूर्ण कलैण्डर माह में छुट्टी पर थे। लेखापरीक्षा में पाँच दृष्टान्त देखे जिनमें यात्रा भत्ता तब भी आहरित किया गया था जबकि कर्मचारी सम्पूर्ण कलैण्डर माह(हों) में छुट्टी पर थे, परिणामस्वरूप ₹ 8,000 का अधिक भुगतान हुआ। इसने दर्शाया कि सम्पूर्ण कलैण्डर माह के लिए कर्मचारी के छुट्टी पर रहने से यात्रा भत्ता के आहरण से बचने के लिए प्रणाली में कोई रोकथाम नहीं थी।

इसके अलावा, उन मामलों में जहाँ छुट्टी मासिक वेतन संसाधित किए जाने के बाद संस्वीकृत की गई थी वहाँ प्रदत्त यात्रा भत्ता की वसूली हाथ से संगणित और वसूली स्क्रीन में दर्ज की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा, कि उपर्युक्त सभी पांच मामलों में वसूली नहीं की गई थी। इसलिए, मानवीय प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया था।

(2) सब्याज अग्रिम

यह उपकार्य सब्याज तथा ब्याज रहित अग्रिमों की व्यवस्था करने और ब्राडशीट बनाने के लिए प्रयोग किया गया था। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियां देखीं:

- i) सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. ने लम्बी अवधि अग्रिमों पर ब्याज परिकलित नहीं की थी। ब्याज मानवीय रूप से संगणित और प्रणाली में दर्ज की गई थी।
- ii) उन मामलों में जहाँ प्रेषण एक मुश्त में किए गए थे, वहाँ डाटा स्वतः अद्यतन नहीं किया गया था। डाटाबेस ने एक मुश्त प्रेषण के ऐसे 58 मामले दर्शाए जहाँ मूल/ब्याज की वसूली बीच में ही बन्द दर्शाई गई थी। इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 42 मामले शामिल थे जहाँ अग्रिम सेवानिवृत्ति के समय पर शोधित किए गए थे परन्तु अशोधित दर्शाए गए थे।
- iii) कर्मचारियों, जो संगठन से बाहर स्थानांतरित हो गए थे, से संबंधित अग्रिमों का डाटा बन्द करने का कोई प्रावधान नहीं था। परिणामस्वरूप, सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. डाटाबेस ने ऐसे अग्रिमों को बकाया के रूप में दर्शाना जारी रखा जिसके द्वारा बकाया अग्रिमों की गलत स्थिति प्रस्तुत की गई।
- iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कोई रोकथाम नहीं थी कि दूसरे/बाद के अवसर पर वाहन की खरीद हेतु दीर्घावधि अग्रिम ब्याज के साथ प्रथम/पूर्व अग्रिम की चुकौती के बाद ही स्वीकार किए गए थे। एक मामले में डाटाबेस ने पूर्व अग्रिम की ब्याज की वसूली और बाद के अग्रिम के मूलधन की एक साथ वसूली दर्शाई।
- v) प्रणाली द्वारा उत्पन्न ब्राडशीट में त्रुटियां थीं। एक मामले में ब्राडशीट में ब्याज का अवशेष दर्शाया जबकि मूलधन की वसूली जारी थी, जो गलत था क्योंकि ब्याज की वसूली मूलधन राशि की पूर्ण वसूली के बाद ही आरम्भ होती है। इसके विपरीत, दो मामले ऐसे थे जहाँ मूलधन की वसूली पूर्ण हो गई थी परन्तु ब्याज की वसूली आरम्भ नहीं हुई थी। दो और मामलों में, ब्याज की वसूली मूल राशि की वसूली से दो से तीन माह से अधिक बीत जाने के बाद आरम्भ हुई थी।

डी.ओ.एस. ने लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुष्टि की (नवम्बर 2015) और कारोबार संगति को सही करने के लिए सहमत हो गया।

(3) भविष्य निधि

जी.पी.एफ. नियमों के प्रावधानों के अनुसार, एक कैलेण्डर वर्ष में अंशदान दो बार बढ़ाया और एक बार घटाया जा सकता है। तथापि सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. ने अंशदान बढ़ाने अथवा घटाने के समय की संख्या को सीमित नहीं किया था। उसने अपर्याप्त इनपुट नियंत्रण तथा वैधीकरण रोकथाम को दर्शाया। डी.ओ.एस. ने उत्तर दिया (जनवरी 2016) कि इसकी मानवीय रूप से जांच की जानी थी।

5.1.2.3 लेखा मॉड्यूल

सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. का लेखा मॉड्यूल व्यक्तिगत दावों, चिकित्सा खर्चों, आपूर्तिकर्ता बिलों, विविध बिलों का उत्पादन का संसाधन करता है और बैंक तथा नकदी के आहरण का प्रावधान रखता है। इसके अतिरिक्त, मासिक लेखाओं का संकलन तथा समेकन इस मॉड्यूल के माध्यम से किया जाता है। इस मॉड्यूल की समीक्षा ने दर्शाया कि यात्रा भत्ता (टी.ए.) तथा चिकित्सा दावों, आदि जैसे व्यक्तिगत दावों से संबंधित हकदारियों के परिकलन हेतु कोई प्रावधान नहीं था। विलम्बित प्रतिदायों पर लागू शास्तिक ब्याज परिकलित करने का भी कोई प्रावधान नहीं था। दावे मानवीय रूप से संसाधित किए गए थे और सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. केवल बिल/वाउचर उत्पन्न करने के टूल के रूप में उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त, कमजोर अनुप्रयोग नियंत्रणों, कुछ प्रावधान सम्मिलित न करने और प्रोग्रामिंग त्रुटियों, जैसा नीचे सविस्तार दिया गया है, के दृष्टान्त देखे गए थे।

(1) व्यक्तिगत दावे

- i) टी.ए. अग्रिम की मंजूरी संसाधित करते समय, सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. ने केवल दौरे के आरम्भ की तारीख प्रग्रहीत की और दौरे के समापन की तारीख प्रग्रहीत नहीं की थी। इसने परस्पर व्यापक अवधियों के लिए भी अग्रिमों का आहरण अनुमत किया अर्थात् इसने पूर्व दौरे के समापन की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए अग्रिम का आहरण अनुमत किया। सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. ने निर्धारित समय सीमा के अन्दर टी.ए. समायोजन बिल के प्रस्तुतीकरण की भी कोई जांच नहीं की थी। डी.ओ.एस. ने आपत्ति स्वीकार कर ली (अक्टूबर 2015)।
- ii) उन मामलों में, जहाँ कर्मचारी केन्द्र विशेष के बाहर स्थानान्तरित/सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे, डाटाबेस से उनके नाम के प्रति बकाया अग्रिमों को शोधित करने का कोई प्रावधान नहीं था। परिणामस्वरूप, सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. डाटाबेस आदाता कार्यालय से प्रतिदाय/वसूली/शोधन सूचना की प्राप्ति के बाद

भी अद्यतन नहीं किया जा सका। डी.ओ.एस. ने माना (जनवरी 2016) कि इस सीमा तक प्रावधान किया नहीं गया था।

- iii) सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. डाटाबेस से निकाले गए डाटा ने बकाया के रूप में 2001 और आगे की अवधि से 904 यात्रा अग्रिम मामले दर्शाए यद्यपि वास्तव में केवल 14 अग्रिम बकाया थे। विश्लेषण से पता चला कि यद्यपि अप्रयुक्त यात्रा अग्रिमों के प्रतिदाय के ब्यौरे दर्ज करने के लिए एक अलग स्क्रीन (ए.सी.50एस.) उपलब्ध था परन्तु इसका उपयोग नहीं किया गया था। इसके बजाय, प्रयोक्ताओं ने “विविध प्राप्ति” स्क्रीन के अन्तर्गत प्रतिदाय ब्यौरे दर्ज किए। परिणामस्वरूप, अग्रिमों के प्रतिदाय बकाया अग्रिमों की स्थिति के साथ जोड़े नहीं गए थे। इसी प्रकार, वेतन बिलों के माध्यम से की गई वसूलियां/समायोजन अग्रिमों के साथ जोड़े नहीं गए थे। इसलिए बकाया अग्रिमों की स्थिति त्रुटिपूर्ण हो गई। यह डाटा में सत्यनिष्ठा की कमी दर्शाता है। डी.ओ.एस. ने उपर्युक्त आपत्तियां स्वीकार कर लीं (जनवरी 2016)।

(2) चिकित्सा खर्च

चिकित्सा अग्रिम, चिकित्सा प्रतिपूर्ति का शोधन, अस्पतालों/प्रयोगशालाओं के शोधन के भुगतान तथा शोधन से सम्बन्धित दावे इस कार्य के माध्यम से संसाधित किए गए थे। लाभार्थियों, अस्पताल/प्रयोगशाला, डाक्टर आदि के ब्यौरों की पहुंच प्रशासनिक कार्य से की गई थी। तथापि, भुगतान की जाने वाली राशि मानवीय रूप से संगणित की गई थी। उप मॉड्यूल की समीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- i) सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. ने बीमारी का स्वरूप प्रग्रहीत नहीं किया।
- ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच नहीं थी कि क्या विशेष लाभार्थी के निदान की अवधि किसी पूर्व दावे के साथ परस्पर व्यापित थी। इस प्रकार, इसने दोहरे दावों की जांच नहीं की थी।
- iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच नहीं थी कि क्या किसी विशेष अस्पताल/निदान केन्द्र से सम्बन्धित दावा अस्पताल/निदान केन्द्र की मान्यता की अवधि के दौरान था।
- iv) सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. ने चिकित्सा दावा प्रस्तुतीकरण तारीख को प्रग्रहीत नहीं किया था। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच नहीं थी कि क्या दावा निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत तथा संसाधित किया गया था।

- v) परामर्श की अवधि की कोई जांच नहीं थी। परिणामस्वरूप “तारीख तक” “तारीख से” के पहले की भी दर्ज की जा सकती थी।
- vi) बाह्य स्थान पर लिए गए उपचार के मामले में, “चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे-ए.सी.64एस.” स्क्रीन में यात्रा भत्ता दावा करने के लिए “यात्रा” विकल्प उपलब्ध था। यद्यपि विकल्प का सहारा केवल उन मामलों में लिया जाना चाहिए जहाँ उपचार बाहर से लिया गया है, परन्तु यह देखा गया था कि प्रणाली द्वारा विकल्प उन मामलों में भी स्वीकार किया गया था जहाँ उपचार स्थानीय प्राधिकृत चिकित्सीय अधिकारी (ए.एम.ओ.) से लिया गया था। विकल्प “यात्रा” का सहारा 12,878 मामलों में लिया गया था यद्यपि उपचार स्थानीय रूप ले लिया गया था। इस प्रकार, प्रणाली में उपचार हेतु यात्रा भत्ते की पात्रता की वैधीकरण जांच की कमी थी।
- vii) चयनित ए.एम.ओ. की दवाई के प्रकार के साथ मिलान करने की कोई जांच नहीं थी। उदाहरणार्थ, ए.एम.ओ. के रूप में “आयुर्वेदिक डाक्टर” के विकल्प के लिए प्रणाली ने दवाई प्रकार के रूप में “एलोपैथी” का चयन अनुमत किया।
- viii) एस.डी.एस.सी. ने कर्मचारियों (सेवारत और सेवानिवृत्त) को दिए गए उपचार हेतु अस्पतालों से दावे प्राप्त किए और राशि सीधे अस्पताल को अदा की गई थी। उन मामलों में जहाँ कर्मचारियों ने अपनी हकदारी से अधिक लाभ प्राप्त किए, वहाँ सेवारत कर्मचारियों के मामले में, अधिक राशि या तो वेतन बिल के माध्यम से कर्मचारी से वसूल की गई थी अथवा उनके द्वारा वापस की गई थी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में, रकम उनके द्वारा वापस की गई थी। प्रतिदाय विवरण “विविध प्राप्तियां” स्क्रीन के माध्यम से दर्ज किए गए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि ऐसे प्रतिदाय/वसूलियां का अधिक दावों से मिलान नहीं किया गया था। इसके कारण, राशियां जो पहले ही समायोजित की जा चुकी थीं, का बकाया दिखाया जाना जारी था। सेवारत कर्मचारियों के दावों वाली तालिका ने 7,324 बकाया मामले दर्शाए जबकि 7,112 मामलों में वेतन बिलों के माध्यम से वसूली की गई थी।

डी.ओ.एस. ने उपर्युक्त आपत्तियां स्वीकार कर लीं (जनवरी 2016)।

(3) आपूर्तिकर्ता बिल/विविध बिल

आपूर्तिकर्ता बिल उपकार्य का उद्देश्य आपूर्तिकर्ता अग्रिम/बिल शोधन, साख पत्र खोलना/शोधन, आदि को संसाधित करना तथा बिल बनाना था। विविध बिल उप कार्य

का विविध भुगतानों तथा प्राप्तियों के प्रबन्ध करने के लिए उपयोग किया गया था जो अन्य सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. कार्यों में शामिल नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित देखा:

- i) यह सुनिश्चित करने की कोई जांच नहीं थी कि “बिल की राशि” “क्रय आदेश (पी.ओ.) राशि” से अधिक नहीं थी, और यह प्राप्त माल की मात्रा से मेल खाती है। उत्तर में, डी.ओ.एस. ने बताया (जनवरी 2016) कि अन्तर्निहित जांच दावों का सत्यापन करने के बाद अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए प्रयोक्ता आवश्यकता के आधार पर निकाल दी गई थी। प्रयोक्ता आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए डी.ओ.एस. द्वारा की गई कार्रवाई अधिक भुगतानों के जोखिम से भरी थी।
- ii) स्क्रीन “ए.सी.04एन. - पार्टी चैक तैयार करना” का उपयोग पूर्तिकारों, अन्य पार्टियों, आदि को जारी करने के लिए चैक तैयार करने के लिए किया गया था। कर्मचारियों को भुगतान अन्य स्क्रीन “बैंकों के माध्यम से भुगतान” के माध्यम से संसाधित किए गए थे, जिस मामले में कर्मचारी का खाता संख्या सूचना पत्र में छापा गया था, ब्यौरे वेतन-पर्चियों में दर्शाए गए थे और सुसंगत तालिका में डाटाबेस अद्यतन किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि पूर्तिकारों को भुगतान के स्क्रीन कर्मचारियों के भुगतानों के संसाधन को अनुमत किया। यह गलत था, क्योंकि ऐसे मामलों में, कर्मचारी डाटाबेस भुगतान के बाद अद्यतन नहीं किया जा सकेगा। डी.ओ.एस. ने उत्तर दिया (जनवरी 2016) कि कुछ केन्द्रों ने कर्मचारियों के विभिन्न भुगतानों हेतु भिन्न बैंकों में डालने के लिए पार्टी चैक के लिए कहा। प्रयोक्ता अनुरोध स्वीकार करते समय, डी.ओ.एस. ने यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी नहीं बरती कि डाटाबेस एक समान रूप से अद्यतन किया गया था।
- iii) यद्यपि साख पत्र (एल.सी.) द्वारा किए गए भुगतानों से संबंधित ब्यौरे दर्ज करने के लिए अलग से प्रावधान था, परन्तु उसका उपयोग नहीं किया गया था। इसके स्थान पर, “एस.सी. भुगतान” के रूप में अंकित नोट बनाने के द्वारा, स्क्रीन “ए.सी.82एस.एन. - पूर्तिकार बिल समाशोधन” का उपयोग किया गया था। परिणामस्वरूप, एल.सी. के माध्यम से किए गए भुगतानों के पूर्ण ब्यौरे सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. के माध्यम से उत्पन्न नहीं किए जा सके। डी.ओ.एस. सहमत हो गया (जनवरी 2016) कि वे स्क्रीन का उपयोग नहीं कर रहे थे।

- iv) प्राप्ति बिल स्क्रीन “ए.सी.96एस.” प्राप्तियों से सम्बन्धित ब्यौरे दर्ज करने के लिए उपयोग किया गया था। इस स्क्रीन का प्रचालन करते समय, लेखा लिपिक/अधिकारी इस उद्देश्य को देखने में असमर्थ थे, जिसके लिए प्रेषण किया गया था, यद्यपि यह डाटाबेस में उपलब्ध था और इसलिए, जांच कर सकता था। डी.ओ.एस. ने पुष्टि की (जनवरी 2016) कि स्क्रीन लेआउट प्रयोक्ता इनपुट के आधार पर निर्णीत किए गए थे और भावी इनपुट के आधार पर संशोधन किए जा सकेंगे।

(4) चैक तथा नकदी

यह उपकार्य पार्टी/सेल्फ चैक तैयार करने के लिए बिलों के संसाधन और बनाने, नकदी आहरण, प्राप्ति संग्रहण, रोकउबही तथा चैक रजिस्टर बनाने के लिए उपयोग किया गया था। जारी चैको के ब्यौरों वाली तालिका के विश्लेषण से निम्नलिखित पता चला:

- i) 25 मामलों में चैक राशि दर्ज नहीं की गई थी। इनमें से, 5 मामलों में चैक स्थिति¹⁵ भुनाई गई दर्शाई गई थी। खाली चैकों का बनाना अनुमत करने और आगे चैक स्थिति का अद्यतन अनुमत करने ने अनुप्रयोग नियंत्रण की कमी को दर्शाया और यह दुरुपयोग के जोखिम से भी भरा था। डी.ओ.एस. ने बताया (जनवरी 2016) कि ये नकली चैक थे जो वास्तव में बनाए नहीं गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नकली चैक का भेद करने का कोई प्रावधान नहीं था और ऐसे दृष्टान्तों में भुनाने की तारीख भी दर्शाई गई थी।
- ii) 1,160 मामलों में चैक “रद्द” दर्शाए गए थे जबकि सूचना में “भुनाने की तारीख” अंकित थी। इसने वैधीकरण जांच की कमी दर्शाई। डी.ओ.एस. ने पृष्ठ अन्त सुधार की सम्भावना स्वीकार की (जनवरी 2016)।
- iii) 140 मामलों में, चैक संख्याएँ दोहरी थीं। डी.ओ.एस. ने बताया (जनवरी 2016) कि यह पृष्ठ अन्त सुधारों के कारण थी।
- iv) चैक जारी करने की तारीख पर कोई रोकथाम नहीं थी। इसने लेखाकरण वर्ष की समाप्ति के बाद भी पिछली तारीख में चैक जारी करने का अवसर दिया। डी.ओ.एस. ने आपत्ति स्वीकार कर ली (जनवरी 2016)।
- v) जबकि चैक कर्मचारियों/अन्य पार्टियों को भुगतान हेतु बनाए गए थे परन्तु उद्देश्य जिसके लिए भुगतान किया जाना था, प्रदर्शित नहीं किया गया था

¹⁵ जब चैक बनाया गया यह 0 द्वारा, भुनाने पर 1 द्वारा और रद्द करने पर 2 द्वारा दर्शाया गया था।

और सूचना पत्र पर भी इसे मुद्रित नहीं किया गया था। उसे हाथ से किया गया था।

- vi) सरकारी चैकों में, “₹.....” के अन्तर्गत राशि का उल्लेख करना अनिवार्य है। ये संख्या बिना केन्द्र द्वारा चैक जारी किए गए थे क्योंकि सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. में सुसंगत संख्या भरने का कोई प्रावधान नहीं था। उत्तर में डी.ओ.एस. ने बताया (जनवरी 2016) कि अधिकार क्षेत्र समिति द्वारा आवश्यकता प्रक्षेपित नहीं की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह चैक जारी करने की सरकारी प्रक्रियाओं के विपरीत था।
- vii) क्षेत्र “रेगटाइम” ने तारीख/समय प्रग्रहीत किया जब चैक ब्यौरे सबसे पहले दर्ज किए गए थे। इस क्षेत्र के ऊपर लिखा जा सकता था जब कभी अभिलेख का सम्पादन किया गया था अर्थात् अधिकारी द्वारा चैक के पंजीकरण, नकदी ब्यौरे दर्ज करने के दौरान, आदि जिसके द्वारा लेखापरीक्षा खोज अथवा पूर्ववृत्त का कोई अवसर नहीं छोड़ा गया। डी.ओ.एस. ने आपत्ति स्वीकार कर ली (जनवरी 2016)।

5.1.2.4 क्रय मॉड्यूल

क्रय कार्य के छः उपकार्य हैं यथा, विक्रेता पंजीकरण, मांगपत्र संसाधन, निविदा संसाधन, मांगपत्र सिफारिशें तथा अनुमोदन, खरीद/कार्य आदेश संसाधन और छूट तथा निकासी। सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. में क्रय मॉड्यूल के अतिरिक्त डी.ओ.एस. ने 1 जुलाई 2012 से सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक सरकारी खरीद प्रणाली (ई.जी.पी.एस.) आधारित वेब भी नियोजित किया। डी.ओ.एस. ने ई.पी.जी.एस. के माध्यम से निर्दिष्ट राशि¹⁶ से अधिक मूल्य के मांगपत्रों को संसाधित करने का अपने केन्द्रों/यूनिटों को निर्देश दिए। इस प्रकार सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. का खरीद मॉड्यूल तथा ई.जी.पी.एस. दोनों साथ साथ प्रचालित किए गए थे। ई.जी.पी.एस. की केवल आदेश देने तक की प्रक्रियाएं थीं, जिसके बाद डाटा सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. को स्थानान्तरित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मांगपत्र उत्पादन, निविदा, तुलनात्मक विवरण, बोलीदाताओं का चयन, पूर्व लेखापरीक्षा का अनुमोदन, समितियों के अनुमोदन और आदेश दिए जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया हाथों से फाइल पर की जाती थी और प्रिंट लेने के लिए प्रत्येक चरण पर डाटा सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. में भरा जाता था। क्रय मॉड्यूल में कुछ महत्वपूर्ण जांचों की कमी थी और प्रयोक्ता अनुकूल भी नहीं था। प्रत्येक उपकार्य से सम्बन्धित आपत्तियां नीचे विस्तृत हैं।

¹⁶ अप्रैल 2012 से ₹ 10 लाख से अधिक मूल्य के खरीद मामले और अप्रैल 2015 से ₹ पांच लाख से अधिक मूल्य के खरीद मामले

(1) विक्रेता पंजीकरण

इस कार्य का उद्देश्य सामग्री तथा सेवाओं की पहचान के साथ विक्रेता निर्देशिका बनानी थी और आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों का पंजीकरण करना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि डाटाबेस पर पहले से विद्यमान विक्रेताओं की वृद्धि को रोकने के लिए कोई जांच नहीं थी। निर्देशिका में विक्रेता को जोड़ते समय प्रयोक्ता को पूछताछ मोड के माध्यम से निर्देशिका में ऐसे विक्रेता की विद्यमानता का सत्यापन करना अपेक्षित था। तथापि प्रयोक्ताओं द्वारा यह जांच नहीं की गई थी उसके परिणामस्वरूप एक ही विक्रेता के लिए कई विक्रेता कोड थे। उदाहरण के लिए, विक्रेता “बीटा स्कैन सिस्टम्स” के लिए चार प्रविष्टियां और “क्रोनिकस एक्सरे एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स” के लिए छः प्रविष्टियां थीं। इसके कारण डाटा विसंगति हुई और पूछताछ पर गलत परिणामों का अवसर दिया। डी.ओ.एस. भविष्य में प्रणाली को परिवर्तित करने को सहमत हो गया (जनवरी 2016)।

(2) मांगपत्र संसाधन

यह कार्य ब्यौरों के साथ मांगपत्र मर्चे दर्ज करने के द्वारा मांगपत्र बनाने के लिए उपयोग किया गया था। डाटा एंट्री की समाप्ति पर मांगपत्र संख्याएं उत्पन्न की गई थीं जो खरीद अनुभाग द्वारा पंजीकृत की गई थीं। लेखापरीक्षा निम्नलिखित देखा:

- i) यह सत्यापन करने के लिए कोई जांच नहीं थी कि क्या मांगकर्ता और मांगपत्र अनुमोदनकर्ता अधिकारी उस डिवीजन जिसके लिए मांगपत्र दिया गया, से सम्बन्धित थे। इसने प्रणाली द्वारा मांगपत्रों के अप्राधिकृत अनुमोदन देने का जोखिम प्रस्तुत किया। डी.ओ.एस. ने बताया (जनवरी 2016) कि मांगपत्र तैयार करने के बाद एक प्रिंट लिया गया था और मानवीय रूप से जांच की गई थी तथा मांगकर्ता और मांगपत्र अनुमोदनकर्ता अधिकारी दोनों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तथ्य यह शेष रहा कि प्रणाली में कोई जांच नहीं थी।
- ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच नहीं थी कि मांगी गई मद और समान मद कोड व्यय की समान प्रकृति अर्थात् राजस्व अथवा पूंजीगत से सम्बन्धित था। परिणामस्वरूप, सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. ने राजस्व व्यय के अन्तर्गत परिसम्पत्ति मद की खरीद के लिए निर्मित मांगपत्र स्वीकार किया, जो गलत था। डी.ओ.एस. सहमत हो गया (जनवरी 2016) कि यह मानवीय रूप से किया जाना था।

- iii) पहुँच नियंत्रण भूमिकाएं सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. में स्पष्टतया परिभाषित नहीं की गई थीं। खरीद अनुभाग में खरीद लिपिक की मांगपत्र की विषय वस्तु अर्थात् मद, मात्रा, आदि को सम्पादित करने तक पहुँच थी जो सही नहीं था, क्योंकि मांगपत्र अनुमोदनकर्ता अधिकारी द्वारा मांगपत्रों को अनुमोदित करने के बाद “एडिट” विकल्प को खोले रखना जोखिम से भरा था।
- iv) मांगकर्ता द्वारा मांगपत्र जारी करने के बाद खरीद अनुभाग को मांगपत्र को ‘रजिस्टर’ करना था। यदि खरीद अनुभाग द्वारा पंजीकरण के बाद मांगपत्र में त्रुटि की पहचान की गई, तो एडिटिंग का कोई अवसर नहीं था। उपलब्ध विकल्प केवल “पुनः जारी करना/पुनः निविदा आमंत्रण” था। परिणामस्वरूप, सम्पूर्ण मामले का इतिवृत्त बिना ट्रेल के नष्ट हो गया था।
- v) यद्यपि सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. में मांगपत्रों, जो खरीद आदेशों में कार्यान्वित नहीं हुए थे, की समाप्ति का प्रावधान था, परन्तु यह नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 39,887 ऐसे मामले डाटाबेस में रहे। इसके अलावा, ये चयन करने के लिए प्रयोक्ता के लिए इसे दुर्वह बनाते हुए मांगपत्रों के ड्राप डाउन मीनू में प्रदर्शित किए गए थे। ड्राप डाउन मीनू ने ऐसे मामलों के मांगपत्र संख्याओं को भी प्रदर्शित किया जिनके लिए खरीद आदेश पहले ही जारी किए जा चुके थे। डी.ओ.एस. ने आपत्तियां स्वीकार कर लीं (जनवरी 2016) और बताया कि ई.जी.पी.एस. से सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. को स्थानान्तरित डाटा के संबंध में एक अन्तरापृष्ठ मामला था और भविष्य में इसका समाधान किया जाएगा।

(3) निविदा संसाधन

निविदा संसाधन कार्य में फाइल खोलना, निविदा पूछताछ/अधिसूचना, विज्ञापन, मूल्यवान वस्तुओं का रजिस्टर, तकनीकी/वाणिज्यिक तुलनात्मक विवरण, आदि शामिल थे। लेखापरीक्षा आपत्तियां निम्नवत हैं:

- i) बहुमूल्य वस्तुओं का रजिस्टर स्क्रीन विक्रेताओं से प्राप्त डिमाण्ड ड्राफ्टों के ब्यौरे दर्ज करने के लिए उपयोग किया गया था। स्क्रीन में ड्राफ्ट की स्थिति जैसे “वैधता समाप्त”, “वसूल किया” और “वापस किया”, दर्शाने के लिए प्रावधान था। लेखापरीक्षा ने देखा कि सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. ने डिमाण्ड ड्राफ्टों की तारीखें स्वीकार थीं यद्यपि वे वैधता तारीख के बाद की थीं जो वैधीकरण जांच की कमी दर्शाता है। डी.ओ.एस. सहमत हो गया (जनवरी 2016) कि भविष्य में त्रुटियां दूर की जाएगी।

- ii) यद्यपि तकनीकी रूप से योग्य विक्रेताओं की तुलना करने के लिए तकनीकी तुलनात्मक विवरण स्क्रीन मुहैया किया गया था, तुलनात्मक विवरण तैयार नहीं किया गया था, इसके बदले प्रत्येक विक्रेता के संबंध में अलग तकनीकी रिपोर्ट उत्पन्न की। इसने तुलनात्मक विवरण तैयार करने का उद्देश्य पूरा नहीं किया।
- iii) वाणिज्यिक तुलनात्मक विवरण स्क्रीन विक्रेताओं, जिन्होंने निविदा पूछताछ के प्रति प्रतिक्रिया दी, के उद्धरणों की तुलना के लिए दिया गया है। यह प्रत्येक मामले के विक्रेता कोड और विक्रेता विकल्प के आधार पर वाणिज्यिक तुलनात्मक विवरण तैयार करने और 'श्रेणी' की उत्पत्ति सुगम करता है। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि इन प्रक्रियाओं ने कार्य नहीं किया।
- iv) प्रोग्राम ने सुसंगत तालिका में तकनीक तथा वाणिज्यिक बोलियों के ब्यौरे दोनों को कवर कर अनुप्रस्थ डाटा पॉपुलेशन अनुमत नहीं किया। डी.ओ.एस. सहमत हुआ (जनवरी 2016) कि प्रोग्राम में बग था।
- v) मद बार तुलनात्मक विवरण के मुद्रण के विकल्प ने कार्य नहीं किया। इसने त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया। डी.ओ.एस. सहमत हुआ (जनवरी 2016) कि कार्यक्रम में बग था।
- vi) मांगी गई मर्दे प्रयोक्ता द्वारा वाणिज्यिक तुलनात्मक विवरण स्क्रीन से मिटाई जा सकती थीं। जब ये मिटा दी गई थीं, तब ट्रेल छोड़े बिना तालिका से अभिलेख पूर्णतया मिटा दिए गए थे। अधिकारी द्वारा एक बार दर्ज किए जाने के बाद तकनीकी/वाणिज्यिक तुलनात्मक विवरण में त्रुटियों के सुधार के लिए कोई प्रावधान नहीं था। अधिकारियों को "पुनः जारी करना/पुनः निविदा आमंत्रण" विकल्प का सहारा लेना पड़ता था जिसमें मांगपत्र उत्पादन चरण को लौट गया था और सभी मध्यवर्ती ब्यौरे ट्रेल के बिना नष्ट हो गए थे। डी.ओ.एस. ने आपत्ति स्वीकार कर ली (जनवरी 2016) और बताया कि भविष्य में सुधार किए जाएंगे।
- vii) तुलनात्मक विवरण बनाने और निम्नतम निविदाता का स्वतः चयन करने का प्रावधान यद्यपि उपलब्ध था परन्तु उपयोग नहीं किया जा रहा था। इसके बजाय, तकनीकी तथा वाणिज्यिक विवरण हाथ से बनाए जा रहे थे और डाटाबेस में दर्ज किए जा रहे थे। डी.ओ.एस. ने स्वीकार किया (जनवरी 2016) कि सम्पूर्ण बोली विषय वस्तुओं के अपलोडिंग का कार्य अत्यन्त कठिन कार्य था और यदि डाटा एन्ट्री में कोई त्रुटि हो जाती है, तो मांगपत्र

उत्पादन से लेकर सभी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ती है। इसने दर्शाया कि मॉड्यूल प्रयोक्ता अनुकूल नहीं था।

(4) सिफारिशें तथा अनुमोदन

तुलनात्मक विवरण खरीद को सिफारिश के लिए मांगकर्ता को वापस भेजे जाने थे। खरीद अनुमोदन तारीखें दर्ज करने के लिए सिफारिश तथा अनुमोदन स्क्रीन का उपयोग किया गया था। लेखापरीक्षा निम्नलिखित देखा:

- i) सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. में खरीद मामलों की पूर्व-लेखापरीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। इसके स्थान पर खरीद अनुभाग द्वारा केवल पूर्व-लेखापरीक्षा की सिफारिशें दर्ज की गई थीं।
- ii) प्रणाली में डाटा की एंट्री की तारीख तक घटनाओं के कालक्रम सुनिश्चित करने की कोई जांच नहीं थी। उदाहरण के लिए, प्रणाली ने क्षेत्रों में वर्तमान तारीख के बाद की तारीखें दर्ज करना अनुमत किया। इसके अतिरिक्त “आवश्यकता प्रत्याशा समिति तारीख” से पूर्व “प्रतियोगिता की कमी अनुमोदन तारीख” दर्ज करना सम्भव था जो गलत था क्योंकि आवश्यकता प्रत्याशा अनुमोदन मांगपत्र चरण पर ही लिया जाना चाहिए था/लिया जाना था। इसी प्रकार, प्रणाली ने पूर्व-लेखापरीक्षा निर्बाधन की तारीख स्वीकार की जो वर्तमान तारीख से बाद थी।
- iii) प्रणाली में यह जांच करने का प्रावधान शामिल नहीं था कि क्या किसी फाइल की एक विक्रेता के लिए दर्ज अनुमोदन की तारीखें उसी फाइल के दूसरे विक्रेता के लिए दर्ज तारीखों से मेल खाती हैं।

डी.ओ.एस. ने उपर्युक्त आपत्तियां स्वीकार कर लीं (जनवरी 2016)।

(5) खरीद आदेश निर्गम

खरीद तथा कार्य आदेश निर्गम स्क्रीन खरीद अनुमोदनों के सफलतापूर्वक समापन के बाद डाटा दर्ज करने के लिए उपयोग किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रणाली ने किसी विशेष मद के लिए कुल मात्रा, जिसके लिए आदेश दिया जाना था, की जांच नहीं की। उदाहरण के लिए, 20 की मात्रा के एक मांगपत्र में, सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. ने दो विक्रेताओं को आदेश प्रत्येक 20 की मात्रा के साथ दिया जाना अनुमत किया। प्रणाली ने यह जांच नहीं की कि क्या मद, जिसके लिए आदेश दिया गया था, मांगकर्ता द्वारा अनुमोदित थी। डी.ओ.एस. ने उपर्युक्त आपत्तियां स्वीकार कर लीं (जनवरी 2016)।

5.1.2.5 भण्डार मॉड्यूल

भण्डार मॉड्यूल सामग्री की प्राप्ति, स्टॉक प्रहस्तन, माल सूची नियंत्रण तथा भण्डार का निपटान से सम्बन्ध रखता है। लेखापरीक्षा अवलोकन निम्नवत है:

(1) सामग्री आवक

सामग्री आवक कार्य लौरी/ रेल प्राप्तियों, संग्रहण कक्ष द्वारा सामग्री का संग्रहण, तदानुरूपी भण्डार में सामग्री की प्राप्ति, मांग कर्ता को सामग्री के पहुँचने की सूचना, निरीक्षण और सम्बन्धित डिवीजनों को सामग्री जारी करने की एंट्री दर्ज करने के लिए उपयोग किया गया था। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियां देखी:

- i) सामग्री प्राप्ति ब्योरे कॉम्बो बॉक्स की सहायता से दर्ज किए गए थे, जो प्रेषण संख्याएं प्रदर्शित करता था। तदापि, कॉम्बो बॉक्स ने उन खरीद आदेशों से सम्बन्धित प्रेषण संख्याएं भी दर्शाता था जिनकी मर्दे पूर्व में प्राप्त हो गई थीं। इसी प्रकार, स्टॉक प्रहस्तन कार्य में भी कॉम्बो बॉक्स ने प्रेषणों की सूची प्रदर्शित की जो पहले ही स्टॉक में लिए गए थे। इस प्रकार, डाटा बेस अद्यतन नहीं किया गया था।
- ii) प्राप्त और सामग्री प्राप्ति कार्य में दर्ज सामग्री प्रणाली में तुरंत दर्ज नहीं किया गया, बल्कि केवल मांग कर्ता द्वारा उसका निरीक्षण करने के बाद प्रणाली में दर्ज की गई। स्वीकृत/अस्वीकृत माल की मात्रा मांगकर्ता द्वारा हाथों से दर्ज किया जाता था तथा प्रणाली में इसे जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही भण्डार विंग द्वारा दर्ज किया जाता था। प्रणाली जोखिम से भरी थी और भण्डार में प्राप्त तथा मांग कर्ता द्वारा निरीक्षित सामग्री के डाटा में रिक्तियों का अवसर छोड़ती है।
- iii) भण्डार की एक मद (एस.एच.पी.एस.04) के लिए बनाई गई लम्बित लौरी प्राप्ति रिपोर्ट (एल.आर.) ने दर्शाया कि एल.आर. की 60 मर्दे जुलाई 2001 के बाद से लम्बित थीं। भण्डार की उसी मद के लिए बनाई गई सामग्री निरीक्षण प्राप्ति वाउचर (एम.आई.आर.वी.) लम्बित मद रिपोर्ट ने 2,001 मर्दों का लम्बन दर्शाया। इसने दर्शाया कि डाटा बेस अद्यतन नहीं किया गया था इस प्रकार यह अविश्वनीय हो गया।
- iv) आदेशित मात्रा के प्रति पूर्ण आपूर्ति या आंशिक आपूर्ति सत्यापित करने के लिए कोई अन्तर्निहित जांच नहीं थी। उसे हाथ से दर्ज किया गया था। परिणामस्वरूप, सी.ओ.डब्ल्यू.एस. ने आंशिक आपूर्ति की प्रविष्टियां परिणामस्वरूप, सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. ने आंशिक आपूर्ति की प्रविष्टियां स्वीकार की जबकि पूर्ण आपूर्तियां प्राप्त हुई थी तथा इसका उल्टा भी

हुआ। लेखापरीक्षा ने देखा कि 6,110 मामलों में, यद्यपि पूर्ण आपूर्ति प्राप्त हुई थी, वस्तु प्रणाली ने आंशिक आपूर्ति दर्शाई। इसी प्रकार, 3,685 मामलों में वास्तविक रूप से आंशिक आपूर्ति की प्राप्ति के प्रति पूर्ण आपूर्ति प्रतिबिम्बित की गई थी।

- v) आंशिक आपूर्तियों के मामलों में, जब दूसरी तथा अनुवर्ती आपूर्तियां की गईं, तब अभिलेख संलग्न नहीं किए गए थे परन्तु घटनाओं का कोई इतिवृत न छोड़ते हुए ऊपर-लेखन किया गया था। केवल उस तारीख तक प्राप्त मात्रा उपलब्ध थी।

(2) स्टॉक प्रहस्तन

स्टॉक प्रहस्तन कार्य स्टॉक मदों की प्राप्ति, निर्गम तथा स्थानान्तरण से सम्बन्धित है। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि नए स्टॉक कार्य के ब्योरे दर्ज करने पर स्टॉक कार्ड संख्या के स्वतः उत्पादन हेतु प्रावधान उपलब्ध था परन्तु प्रयोक्ताओं द्वारा इसका उपयोग नहीं किया गया था। उसके स्थान पर, स्टॉक कार्ड संख्याएं हाथ से दर्ज की गई थीं। इसके परिणामस्वरूप 2,478 स्टॉक कार्ड संख्याएं एक बार से अधिक बार घटित हो रही थीं। संख्याएं¹⁷ दो बार, तीन बार और सात बार तक भी दोहराई गई थी।

(3) सामग्री निपटान

यह कार्य स्टॉक मदों के निपटान से सम्बन्धित है। तथापि, बावजूद इसके की भण्डार मॉड्यूल में अप्रयोज्य तथा अप्रचलित मदों के निपटान हेतु प्रावधान था, इसका उपयोग नहीं किया गया था और मानवीय रूप से किया गया था।

5.1.2.6 वित्तीय मॉड्यूल

वित्तीय माण्ड्यूल मानक प्रयोगों में बजट तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता था। यह वचनबद्धता तथा व्यय के लिए ऑनलाइन बजट जांचने के लिए भी उपयोग किया जाता था। इस पैकेज में मुख्य कार्य संशोधित अनुमान, बजट अनुमान, प्रचालन बजट, बजट समेकन, बजट पुनर्विनियोग, संशोधित बजट ब्योरों का अन्तरण, इत्यादि हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि किसी विशेष लाइन मद अथक कार्यकलाप के अन्तर्गत निधियों का आवंटन सुनिश्चित करने के लिए मॉड्यूल में कोई जाँच नहीं था। सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. एम.आई.एस. रिपोर्ट एफ.ए.सी.004 “व्यय तथा वचनबद्धताओं का कार्यकलापवार विवरण” में, यह देखा गया था कि कार्यकलापों में से एक में, यद्यपि

¹⁷ स्टॉक कार्ड संख्या (i) दो बार-1808 मामले, (ii) तीन बार-89 मामले, (iii) चार बार-24 मामले, (iv) पांच बार-139 मामले, (v) 6 बार-73 मामले और (vi) सात बार-125 मामले

बजट आवंटन नहीं था, व्यय किया गया था, परिणामस्वरूप उस कार्यकलाप के अधीन प्रतिकूल शेष हुआ। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. एम.आई.एस. के माध्यम से उत्पादित रिपोर्ट सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. उत्पादित रिपोर्ट से मेल नहीं खाता था। इसने दर्शाया कि सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. ने योजना और गैर-योजना व्यय के मिश्रण की अनुमति दी। व्यय की गति जांचने और वर्ष की विशेष तिमाही के दौरान धीमी अथवा उच्च व्यय के मामलों में प्रबंधन को सावधान करने की कोई प्रणाली भी नहीं थी।

डी.ओ.एस. ने कमियों की पुष्टि की (जनवरी 2016) और बताया कि अधिकार-क्षेत्र विशेषज्ञों से इनपुट के आधार पर इसका समाधान किया जाएगा।

5.1.2.7 असंगत सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. तथा एम.आई.एस. रिपोर्ट

सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. प्रणाली, मानक एम.आई.एस. रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्तर्निहित रिपोर्ट बना सकती थी। सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. के माध्यम से उत्पादित रिपोर्ट की नमूना जांच ने एम.आई.एस. रिपोर्ट से असंगतियां दर्शाईं। प्रबन्धन डाटाबेस से निकाले गए डाटा और सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. के माध्यम से उत्पादित रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। परिणामस्वरूप, जब कभी सूचना की आवश्यकता हुई उसे मानवीय लेखों से निकाला गया था। प्रशासन, वित्त, आदि को कवर कर रहे रिपोर्ट में देखी गई कमियां **परिशिष्ट V** में विस्तृत हैं।

5.1.3 निष्कर्ष

अंतरिक्ष विभाग द्वारा विकसित सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. पैकेज में मूल वैधीकरण जांचों, अनुप्रयोग नियंत्रणों और विषयक सत्यनिष्ठा की कमी थी। पैकेज में कुछ कारोबार नियम भी सन्निहित नहीं किए गए थे। प्रणाली में प्रोग्रामिंग त्रुटियां तथा बग थे। मॉड्यूल के अन्दर और विभिन्न माड्यूलों के बीच डाटा गति भी कमजोर थी। सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. प्रणाली के प्रयोक्ताओं द्वारा एंट्री में रिक्तियां हुई थीं। परिणामस्वरूप, डाटा अपूर्ण, गलत, असंगत था और सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. के माध्यम से उत्पादित एम.आई.एस. रिपोर्ट अविश्वसनीय थी। इसके कारण मानवीय प्रचालनों पर महत्वपूर्ण निर्भरता हुई जिसने कम्प्यूटरीकृत परिवेश का उद्देश्य विफल हो गया।

यह मामला डी.ओ.एस. के संज्ञान में जनवरी 2016 में लाया गया था, डी.ओ.एस. ने बहिर्निर्गम सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया तथा कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों को सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. वेब इंटरफेस प्रणाली (सी.ओ.आई.एन.एस.), जिसका विकास अभी हो रहा है, में समाधान किया जा रहा है। तथापि, विस्तृत उत्तर मार्च 2016 तक प्रतीक्षित था।

5.2 टेलीमेडिसिन कार्यक्रम का कार्यान्वयन

अंतरिक्ष विभाग ₹ 30.18 करोड़ व्यय करने के बाद भी ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में रोगियों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपग्रह संचार का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित नहीं कर सका। 389 स्थापित नेटवर्कों में केवल 150 कार्यरत थे। इसके अलावा, लाभार्थी अस्पतालों का चयन अनियमित था, देश के सुदूर एवं आंतरिक क्षेत्रों हेतु उपग्रह क्षमता अपर्याप्त थी और ₹ 14.12 करोड़ मूल्य के के.ए. बैंड भू टर्मिनल उपयोग में नहीं लाए जा सके।

5.2.1 परिचय

अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) ने टेलीमेडिसिन कार्यक्रम की शुरुआत (नवम्बर 2001) भौगोलिक रूप से देश के दूर, सुदूर एवं आंतरिक भागों में निवास कर रही ग्राम्य जनसंख्या को विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से की। इस कार्यक्रम ने इनसैट/जीसैट उपग्रहों पर ट्रांसपॉंडरस् के सैटेलाइट बैंडविड्थ का प्रयोग करते हुए सुदूर/ग्रामीण अस्पतालों को शहरी इलाकों में स्थित विशेष अस्पतालों से जोड़ना चाहा। इस सुविधा के साथ, चिकित्सा छवियों और ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों के अभिलेखों को विशेष अस्पतालों में डाक्टरों को प्रेषित किए जा सकते थे, जो दो तरह ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सीधे प्रसारण माध्यम से रोगियों को निदान और उपचार प्रदान कर सकते थे।

अंतरिक्ष आयोग ने टेलीमेडिसिन कार्यक्रम पर नीति पत्र को स्वीकार (अगस्त 2002) किया। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन दो चरणों में किया जाना था। इस कार्यक्रम (नवम्बर 2001 से मार्च 2003) के प्रायोगिक (चरण-I) के अन्तर्गत नौ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों¹⁸ में सीमित 18 सुदूर रोगी एंड को नौ विशेषज्ञता अस्पतालों से जोड़ा जाना था (विवरण **परिशिष्ट-VI** में)। प्रायोगिक परियोजना के पूरा होने के पश्चात्, संबंधित राज्य सरकारों को संबंधित अस्पतालों के केन्द्रों के संचालन को अपने हाथ में लेना तथा चलाना था। चरण-II (अप्रैल 2003 से मार्च 2007) के अन्तर्गत, टेलीमेडिसिन नेटवर्कों को संबंधित राज्य सरकार, क्षेत्रीय समन्वय निकायों द्वारा अपनी हिस्सेदारी/भागीदारी के संबंध में की गई प्रतिबद्धताओं के आधार पर विस्तार किया जाना था।

¹⁸ अंडमान तथा निकोबार द्वीप, आंध्रप्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, ओडिशा और त्रिपुरा।

प्रायोगिक चरण के पूरा होने के पश्चात्, डी.ओ.एस. ने अंतरिक्ष आयोग को टेलीमेडिसिन कार्यक्रम के लिए उपलब्धियों तथा नीतिगत ढांचे का संक्षिप्त विवरण दिया (मई 2003)। डी.ओ.एस. के प्रस्ताव के आधार पर, अंतरिक्ष आयोग ने निश्चित जिले/अन्य अस्पतालों में टेलीमेडिसिन सुविधाओं की स्थापना की स्वीकृति (जून 2003) प्रदान की:

- (i) सुदूर क्षेत्रों जैसे उत्तर पूर्वी भारत तथा जम्मू व कश्मीर;
- (ii) कुछ राज्यों के आंतरिक/पहाड़ी/सुदूर/अविकसित क्षेत्रों (उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, बिहार, झारखण्ड तथा उत्तरप्रदेश);
- (iii) द्वीप तथा संघ क्षेत्र; और
- (iv) अन्य मुख्य भू-भाग वाले राज्यों में केवल प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उद्देश्य हेतु दो से तीन चयनित अस्पताल।

टेलीमेडिसिन कार्यक्रम का कार्यान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एम.एच.एफ.डब्ल्यू.) तथा संबंधित राज्य सरकार एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) द्वारा किया जाना था। स्वास्थ्य सेवा एक राजकीय विषय होने के कारण टेलीमेडिसिन संबंध प्रदान करने के लिए आवश्यक रोगी एंड, जिला अस्पतालों/ट्रस्ट अस्पतालों साथ ही साथ विशेष अस्पतालों की पहचान/चयन राज्य सरकारों में निहित थी और संबंधित राज्य सरकार अस्पतालों, एन.जी.ओ. इत्यादि द्वारा इस तरह की सेवाएँ प्रदान करने हेतु देश के विभिन्न भागों में इसके उपयोग का अनुसरण किया जाना था। राज्य सरकारों तथा विशेषज्ञता अस्पतालों द्वारा उनके बुनियादी ढांचे, मानवशक्ति और सुविधा समर्थन हेतु धन आवंटित किया जाना था। इस कार्यक्रम में डी.ओ.एस. की भूमिका प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में उपग्रह प्रौद्योगिकी आधारित दूर-संबंध के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा सूत्रपात करने तक ही सीमित था।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत टेलीमेडिसिन नेटवर्क को रोगी एंडस, विशेषज्ञता अस्पतालों, मोबाइल वैन पर साथ ही साथ निगरानी उद्देश्यों हेतु लगाए गए टेलीमेडिसिन नोडस् के माध्यम से स्थापित किया जाना था। डी.ओ.एस. ने जुलाई 2010 तक 389¹⁹ टेलीमेडिसिन नोडस् स्थापित किए जैसा तालिका 13 में दिखाया गया है।

¹⁹ 302 रोगी एंड नोडस्, 64 विशेषज्ञता अस्पतालों, 18 मोबाइल वैन, 5 मोनीटरिंग नोडस् को मिलाकर

तालिका 13 : टेलीमेडिसिन नोड का वितरण

क्षेत्र	स्थापित नोड
मुख्य भू-भाग राज्य	275
सुदूर क्षेत्र	62
आंतरिक क्षेत्र	21
द्वीप राज्य और संघ क्षेत्र	26
उप योग	384
निगरानी नोड	5
योग	389

टेलीमेडिसिन नोड्स का राज्यवार वितरण *परिशिष्ट-VII* में दिया गया है। जुलाई 2010 के बाद नोड्स में आगे कोई विस्तार नहीं हुआ; फिर भी डी.ओ.एस. ने प्रचालित नोड्स के वार्षिक रखरखाव पर खर्च करना जारी रखा। मार्च 2016 तक, डी.ओ.एस. ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ₹ 30.18 करोड़ व्यय किया।

5.2.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में टेलीमेडिसिन नेटवर्क की स्थापना और मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान उपग्रह क्षमता के आवंटन से संबंधित अभिलेखों की जाँच की गई। इन मामलों पर लेखापरीक्षा अवलोकनों की चर्चा अगले पैराग्राफों में की गई है।

5.2.2.1 उपग्रह क्षमता हेतु योजना

डी.ओ.एस. के उपग्रह कार्यक्रम कार्यालय ने सुदूर क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को चिकित्सा विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए लगभग 36 एम.एच.जैड. प्रत्येक वाले 10 ट्रांसपोंडरस् (360 एम.एच.जैड.) सहित एक स्वास्थ्य उपग्रह को चालू करने का प्रस्ताव दिया (2001)। डी.ओ.एस. ने के.ए. बैंड²⁰ में 1,200 एम.एच.जैड. उपग्रह क्षमता सहित एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह (जीसैट-4) को शुरू करने का निर्णय (सितम्बर 2002) लिया। अप्रैल 2005 में उपग्रह के प्रक्षेपण की योजना थी, परन्तु इसमें विलम्ब हुआ एवं उपग्रह प्रक्षेपण का प्रयास प्रक्षेपण वाहन जी.एस.एल.वी. डी3 का उपयोग करते हुए अप्रैल 2010 में किया गया। इसके अलावा, ₹ 14.12 करोड़ की लागत पर 40 के.ए. बैंड ग्राउण्ड टर्मिनलों की स्थापना (अप्रैल 2010) जीसैट-4 से सिगनलों को प्राप्त करने के लिए की गई थी।

²⁰ के.ए. बैंड आवृत्ति परिसर 26.5-40 जी.एच.जैड में एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। यह स्पेक्ट्रम अंतरिक्ष मिशन से उच्च प्रकार के वैज्ञानिक आंकड़ों के ट्रांसमिशन की गति बढ़ाने में प्रयुक्त होता है।

तथापि, जी.एस.एल.वी. डी3 की उड़ान सफल नहीं थी और इसलिए जीसैट-4 ग्रहपथ में नहीं रखा जा सका। इसी बीच, डी.ओ.एस. ने इसके अन्य उपग्रहों अर्थात् इनसैट 3ए, जीसैट 3 तथा इनसैट 4ए के माध्यम से उपग्रह क्षमता की व्यवस्था की। डी.ओ.एस. ने टेलीमेडिसिन कार्यक्रम के लिए क्षमता के आवंटन हेतु इसके अन्य उपग्रहों का प्रयोग जारी रखा। तथापि, ₹ 14.12 करोड़ की लागत से निर्मित के.ए. बैंड भू टर्मिनल अन्य कहीं उपयोग में नहीं आ सके।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि डी.ओ.एस. ने राज्यों से इनपुट प्राप्त किए बिना 360 एम.एच.जैड. के उपग्रह क्षमता का आकलन किया। आकलन क्षमता के विरुद्ध 2004 से 2015 की पूर्ण अवधि के दौरान अधिकतम प्रयोक्ता आवश्यकता केवल 56.5 एम.एच.जैड. अर्थात् लगभग 1.5 ट्रांसपॉंडर थी (जैसा कि पैरा 5.2.2.5 में वर्णित है)। इस प्रकार, के.ए. बैंड टर्मिनल, जिसके टेलीमेडिसिन अनुप्रयोगों हेतु उपयोग करना योजित था, उपयोग में नहीं लिया जा सका।

5.2.2.2 अपर्याप्त टेलीमेडिसिन कनेक्टिविटी

अंतरिक्ष आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रार्थनाओं के अनुसार देश के सुदूर व आंतरिक क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सुविधा की स्थापना को मंजूरी दी (जून 2003)। सुदूर एवं आंतरिक क्षेत्रों में नेटवर्कों की स्थापना की स्थिति को तालिका 14 में दर्शाया गया है।

तालिका 14 : नेटवर्कों की स्थापना की स्थिति

क्षेत्र/राज्य	राज्य सरकारों की प्रार्थना के अनुसार स्थापित किए जाने वाले नोड	वास्तव में स्थापित किए गए नोड	कमी (%)	स्थापित किए गए निजी नोड	कुल स्थापित नोड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(5)
सुदूर क्षेत्र					
उत्तर पूर्वी भारत	94	30	68	2	32
जम्मू एवं कश्मीर	20	12	40	0	12
सशस्त्र (उत्तर भारत जम्मू एवं कश्मीर)	बल सूचना उपलब्ध नहीं	18	-	-	18
योग		60		2	62

क्षेत्र/राज्य	राज्य सरकारों की प्रार्थना के अनुसार स्थापित किए जाने वाले नोड	वास्तव में स्थापित किए गए नोड	कमी (%)	स्थापित किए गए निजी नोड	कुल स्थापित नोड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(5)
आंतरिक क्षेत्र					
उत्तराखण्ड	13	2	85	2	4
हिमाचल प्रदेश	27	1	96	1	2
ओडिशा	32	9	72	1	10
झारखण्ड	30	0	100	1	1
उत्तर प्रदेश	70	1	99	2	3
बिहार	सूचना उपलब्ध नहीं	0	-	1	1
कुल		13		8	21

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि डी.ओ.एस. सुदूर एवं आंतरिक क्षेत्रों में पर्याप्त कनेक्टिविटी प्रदान करने में असमर्थ था। द्वीपों एवं संघ क्षेत्रों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं थी। डी.ओ.एस. ने बताया (मार्च 2016) कि राज्यों ने आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के साथ परियोजनाओं को सुदृढ़ नहीं किया था। उत्तर ने आधारभूत संरचना के मुद्दों के सम्बोधन के लिए प्रबंध संरचना की कमी की पुष्टि की।

5.2.2.3 मुख्य भू-भाग वाले राज्यों को अनियमित कनेक्टिविटी

अंतरिक्ष आयोग ने केवल प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के उद्देश्य हेतु मुख्य भू-भाग वाले राज्यों में दो या तीन चयनित अस्पतालों में टेलीमेडिसिन सुविधाओं की स्थापना की मंजूरी (जून 2003) दी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इसके विरुद्ध डी.ओ.एस. ने बड़े पैमाने पर मुख्य भू-भाग वाले राज्यों में टेलीमेडिसिन नेटवर्क स्थापित किए तथा अनियमित व्यय किए जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- (i) ज्यादा ग्रामीण आबादी तथा गरीबी वाले राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश (तीन नोड), बिहार (एक नोड) एवं पर्वतीय राज्यों जैसे उत्तराखण्ड (चार नोड), हिमाचल प्रदेश (दो नोड) तथा झारखण्ड (एक नोड) का सुदूर राज्य जो मुश्किल से टेलीमेडिसिन नेटवर्क के साथ जुड़े हुए थे, की तुलना में अधिकांश संख्या में नोड्स (275) मुख्य भू-भाग वाले राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में स्थापित किए गए थे।

इस बिन्दु को स्वीकार करते हुए डी.ओ.एस. ने कहा (मार्च 2016) कि ऐसे मामलों में जहाँ राज्यों ने उनके अपने खर्च पर उपग्रह आधारित विकल्प का प्रयोग करने का निर्णय लिया, डी.ओ.एस. ने कम प्राथमिकता उपयुक्त उपग्रह स्ट्रॉन्टों को प्रदान कर राज्यों को प्रोत्साहन दिया। अतः डी.ओ.एस. ने कम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दुर्लभ एवं मूल्यवान उपग्रह स्ट्रॉन्टों का आवंटन किया।

- (ii) अंतरिक्ष आयोग ने आन्ध्र प्रदेश में केवल दो से तीन नोड की स्थापना की मंजूरी प्रदान की थी। यद्यपि, डी.ओ.एस. ने सात अस्पतालों में टेलीमेडिसिन नोड स्थापित किए। डी.ओ.एस. कोष से ₹ 18.00 लाख की लागत पर अतिरिक्त चार नोड को कनेक्टिविटी प्रदान करना अनियमित था।

डी.ओ.एस. ने कहा (मार्च 2016) कि आन्ध्र प्रदेश में टेलीमेडिसिन नोड्स को डी.ओ.एस. की निर्धारित अनुमोदित प्रक्रिया के साथ कार्यान्वित किया गया था। तथापि, तथ्य शेष रहा कि अतिरिक्त चार नोड को कनेक्टिविटी प्रदान करना अंतरिक्ष आयोग के निर्देशों के विरुद्ध था।

- (iii) अंतरिक्ष आयोग ने आदर्श मॉडल के रूप में केवल कर्नाटक राज्य में राज्यव्यापी नेटवर्क के लिए संचार उपकरण, मौलिक चिकित्सा उपकरण, इत्यादि प्रदान करना स्वीकार किया था। तथापि, डी.ओ.एस. ने अपने कोष से ₹ 6.35 करोड़ की लागत पर टेलीमेडिसिन कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल (30 नोड) तथा राजस्थान (40 नोड) राज्यों को कवर किया।

डी.ओ.एस. ने कहा (मार्च 2016) कि टेलीमेडिसिन नोड्स को डी.ओ.एस. की निर्धारित अनुमोदित प्रक्रिया के साथ कार्यान्वित किया गया था। डी.ओ.एस. ने आगे और कहा कि राजस्थान में टेलीमेडिसिन नोड राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धनराशि से कार्यान्वित किया गया था। डी.ओ.एस. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अतिरिक्त नोड को कनेक्टिविटी प्रदान करना अंतरिक्ष आयोग के निर्देशों के विरुद्ध था। आगे, राजस्थान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन में हार्डवेयर तथा उपकरण के लिए डी.ओ.एस. की वित्तीय जवाबदेही स्पष्ट रूप से अनुबंधित थी।

- (iv) अंतरिक्ष आयोग की स्वीकृति के अनुसरण में, केरल में चार अस्पताल जोड़े (नवम्बर 2002) गए तथा डी.ओ.एस. ने ₹ 75 लाख की लागत पर टेलीमेडिसिन सिस्टम मुहैया किया। तत्पश्चात्, डी.ओ.एस. ने ₹ 2.02 करोड़ की लागत पर 16 टर्मिनलों को सभी जिला अस्पतालों से जोड़ने के लिए स्थापित (जून 2004) किया, जो अनियमित था।

डी.ओ.एस. ने कहा (मार्च 2016) कि टेलीमेडिसिन सिस्टम को डी.ओ.एस. की निर्धारित अनुमोदित प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया था और इस मामले की सूचना अंतरिक्ष आयोग को दी गई थी। तथापि, विचलन के लिए अंतरिक्ष आयोग का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

- (v) इसरो/डी.ओ.एस. ने ₹ 5.94 करोड़ की लागत पर 31 जिला अस्पतालों, 6 मोबाइल इकाइयों और 6 मेडिकल कॉलेजों को केन्द्र के साथ एक विशिष्ट एंड से जोड़ते हुए टेलीमेडिसिन नेटवर्क स्थापित करने हेतु राजस्थान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर (दिसम्बर 2005) किया। इसरो/डी.ओ.एस. द्वारा अतिरिक्त 35 अस्पतालों को (अस्पतालों की स्वीकृत संख्या के अलावा) ₹ 4.33 करोड़ की लागत पर टेलीमेडिसिन सिस्टम प्रदान कराए गए, जो अनियमित था।

डी.ओ.एस. ने कहा (मार्च 2016) कि अतिरिक्त अस्पतालों में टेलीमेडिसिन सुविधा की स्थापना राज्य से धनराशि प्राप्त कर की गई थी। तथापि, राजस्थान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन में हार्डवेयर तथा उपकरण के लिए डी.ओ.एस. की वित्तीय जवाबदेही स्पष्ट रूप से अनुबंधित थी।

5.2.2.4 अस्पतालों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादन करना

जैसा कि पैरा 5.2.1 में चर्चा की गई है, टेलीमेडिसिन नोड्स स्थापित करने के लिए अस्पतालों का निर्धारण करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व था। प्रयोग परियोजना की समाप्ति के बाद, राज्य सरकारों को संबंधित अस्पतालों में टेलीमेडिसिन केन्द्रों को चलाना था। इस अनुसार, डी.ओ.एस. को भागीदार अस्पतालों के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्थापित किए गए 384 टेलीमेडिसिन नोड (पाँच निगरानी नोड के अलावा) में से डी.ओ.एस. ने 154 नोड (40 प्रतिशत) के संबंध में समझौता ज्ञापन का निष्पादन नहीं किया, जिसका विवरण तालिका 15 में दिया गया है।

तालिका 15 : विभिन्न एजेंसियों के साथ निष्पादित एम.ओ.यू. की स्थिति

विवरण	स्थापित नोड्स		कुल
	एम.ओ.यू. के साथ	एम.ओ.यू. के बिना (प्रतिशत)	
1) निजी/ट्रस्ट अस्पतालों में पेशेंट एंड	29	19 (40%)	48
2) सरकारी अस्पतालों में पेशेंट एंड	168	86 (34%)	254
कुल पेशेंट एंड	197	105 (35%)	302
3) विशेषज्ञता अस्पतालों	26	38 (60%)	64
4) मोबाइल वैन	7	11 (61%)	18
कुल	230	154 (40%)	384

डी.ओ.एस. ने कहा (मार्च 2016) कि लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित 154 अस्पतालों में से 115 अस्पतालों के समझौता ज्ञापन उपलब्ध थे तथा शेष 39 अस्पतालों के समझौता ज्ञापन का पता नहीं लगाया जा सका। तथापि डी.ओ.एस. लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित किए जाने हेतु समझौता ज्ञापनों को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा।

5.2.2.5 टेलीमेडिसिन नोड्स की निष्क्रियता

डी.ओ.एस. ने टेलीमेडिसिन नेटवर्क स्थापित करने के लिए विभिन्न उपग्रहों से उपग्रह क्षमता का आवंटन किया। स्थापित किए गए टेलीमेडिसिन नोड तथा विभिन्न उपग्रहों से आवंटित उपग्रह क्षमता का विवरण तालिका 16 में दिया गया है।

तालिका 16 : टेलीमेडिसिन नोड की स्थापना

महीना/वर्ष	नोड	उपग्रह	उपग्रह क्षमता एम.एच.जैड. में
जनवरी 2004	70	इनसैट 3ए	15.5
जनवरी 2005	300	जीसैट 3	36
अक्टूबर 2009	14	इनसैट 4ए	5
कुल	384		56.5

उपर्युक्त 384 नोड के अलावा, पाँच निगरानी नोड स्थापित किए गए थे। जीसैट 3 को सितंबर 2010 में बंद कर दिया गया था, जिसके बाद टेलीमेडिसिन के लिए उपग्रह क्षमता को पुनर्गठित किया गया था, जैसा कि तालिका 17 में दिखाया गया है।

तालिका 17 : जीसैट 3 के बंद होने के बाद टेलीमेडिसिन नोड की स्थिति

महीना/वर्ष	नोड	सहायक उपग्रह	एम.एच.जैड. में उपग्रह क्षमता	टिप्पणियाँ
अक्टूबर 2009	384	इनसैट 3ए, जीसैट-3 तथा इनसैट 4ए	56.5	जीसैट-3 के बंद होने के समय स्थापित क्षमता
सितम्बर 2010	-300	जीसैट-3	-36	जीसैट 3 के बंद होने के कारण नोड के निष्क्रियकरण।
अक्टूबर 2010	38	इनसैट 3सी	9	इनसैट 3सी में नोड का पुनर्सक्रियकरण
जनवरी 2011	47	इनसैट 3ए	9	इनसैट 3ए में नोड का पुनर्सक्रियकरण
जुलाई 2012	190	जीसैट 12	36	-
मार्च 2013	-38	इनसैट 3सी	-9	जीसैट 12 पर क्षमता आवंटित करने का निर्णय लिया गया था।
जून 2013	-117	इनसैट 3ए	-24.5	जीसैट 12 पर क्षमता आवंटित करने के लिए निर्णय लिया गया था।
जून 2013	117	जीसैट 12	36	इनसैट 3ए पर आवंटित 117 नोड्स जीसैट 12 पर
	321	कुल	41	

जीसैट 3 (सितम्बर 2010) के बंद होने पर, 384 नोडस् में से 300 नोडस् निष्क्रिय कर दिए गए थे। तत्पश्चात, अक्टूबर 2010 से जून 2013 की अवधि के दौरान, 321 नोडस् पुनः सक्रिय किए गए थे। शेष 68 टेलीमेडिसिन नोडस् की स्थिति ज्ञात नहीं थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि 41 एम.एच.जैड. की उपग्रह क्षमता 321 नोडस् के लिए उपलब्ध थी, केवल 150 टेलीमेडिसिन नोडस् क्रियाशील (अगस्त 2013) थे। शेष 171 टेलीमेडिसिन नोडस् मार्च 2016 तक क्रियाशील नहीं थे एवं, इसलिए, बेकार थे। अगस्त 2013 से मार्च 2016 के दौरान निष्क्रिय रखी गई 21.84 एम.एच.जैड. की उपग्रह क्षमता का बाजार मूल्य ₹ पांच करोड़ प्रति इकाई (36 एम.एच.जैड.) प्रति वर्ष की दर से ₹ 8.09 करोड़ था।

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि कुछ प्रयोक्ता डी.ओ.एस. द्वारा मुहैया कराए गए टेलीमेडिसिन कनेक्टिविटी के प्रयोग को जारी रखने के इच्छुक नहीं थे। सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली ने यह कहकर कि परियोजना की तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो गई, तीन स्वास्थ्य समुदाय केन्द्रों²¹ और दो मोबाइल वैनो में टेलीमेडिसिन

²¹ हरियाणा में गोहाना, सोनीपत तथा राजस्थान में केथुन में

कनेक्टिविटी बंद (जनवरी 2010) कर दी थी। टेलीमेडिसिन कनेक्टिविटी ₹ 38 लाख का लागत पर मुहैया कराया गया था। इसी तरह, राजस्थान राज्य सरकार ने अपने राज्य के स्वामित्व वाले स्थलीय नेटवर्क के माध्यम से टेलीमेडिसिन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और टेलीमेडिसिन कार्यक्रम को, जहां ₹ 5.10 करोड़ की लागत पर 38 टेलीमेडिसिन नोड्स स्थापित किए गए थे, छोड़ना (मार्च 2013) चाहा। डी.ओ.एस. ने इन अप्रयुक्त और निष्क्रिय नोड्स को अन्य प्रयोक्ताओं को स्थान्तरित नहीं किया जबकि अन्य 33 प्रयोक्ताओं के अनुरोध थे।

इस प्रकार, इन नोड्स की गैर-उपयोग निष्क्रियता तथा इसे उपलब्ध प्रयोक्ताओं को पुनः आवंटित करने में डी.ओ.एस. की विफलता के परिणामस्वरूप इन नोड्स का उपयोग नहीं हुआ।

डी.ओ.एस. ने कहा (मार्च 2016) कि सामाजिक अनुप्रयोगों हेतु अलग से रखी गई क्षमता का अप्रत्यक्ष मूल्य है और बाजार मूल्य को लागू करना यथोचित नहीं हो सकता। तथ्य यह रहा कि लंबित अनुरोधों के बावजूद उपग्रह क्षमता को अन्य प्रयोक्ताओं को मुहैया नहीं कराया गया।

5.2.2.6 कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए अनियमित व्यय

लेखापरीक्षा में पाए गए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए अनियमित व्यय के उदाहरण नीचे सूचीबद्ध की गई हैं:

- (i) अंतरिक्ष आयोग (जून 2003) ने डी.ओ.एस. के बजट से उपकरणों जैसे बहु-सम्मेलन इकाई और इंटरनेट प्रोटोकॉल फोन, इंटरनेट बैंडविड्थ लागत, हब मैनिंग लागत मुहैया कराने की मंजूरी नहीं दी थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि इस निर्देश के विरुद्ध अंडमान व निकोबार द्वीप में ₹ 47 लाख का व्यय किया गया था।

डी.ओ.एस. ने बताया (मार्च 2016) कि नेटवर्क का संस्थापन डी.ओ.एस. के अनुमोदन से किया गया है। तथापि नेटवर्क के यह उपकरण अंतरिक्ष आयोग के निर्देशों के विरुद्ध दिए गए थे।

- (ii) बाह्य निकायों के लिए किए गए कार्य के लिए डी.ओ.एस. द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार, डी.ओ.एस. को प्रयोक्ताओं से अग्रिम धनराशि एकत्र करना, उसे इसके जमा शीर्ष में जमा करना तथा खाते के जमा शीर्ष से व्यय करना आवश्यक था। इसके स्थान पर, डी.ओ.एस. ने टेलीमेडिसिन कार्यक्रम के लिए डी.ओ.एस. बजट से व्यय करते हुए अपनी वाणिज्यिक शाखा, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एंट्रिक्स) को राज्य सरकारों से धन एकत्र करने का अनुदेश दिया। लेखापरीक्षा जाँच में मालूम हुआ कि एंट्रिक्स

को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से ₹ 1.62 करोड़ तथा महाराष्ट्र राज्य सरकार से ₹ 2.60 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, जिसे सरकारी खाते में जमा नहीं कराया गया था एवं एंट्रिक्स के पास ही रहा।

इन बिन्दुओं को स्वीकार करते हुए, डी.ओ.एस. ने कहा (मार्च 2016) कि एंट्रिक्स से धन की लेनदेन के विस्तृत ब्यौरे की मांग की गई थी।

- (iii) अंतरिक्ष आयोग (जून 2003) ने टेलीमेडिसिन कार्यक्रम के अन्तर्गत मोबाइल वैन मुहैया कराने की मंजूरी नहीं दी थी। इस निर्देश के विरुद्ध, डी.ओ.एस. ने ₹ 2.51 करोड़ की लागत पर 18 मोबाइल टेलीमेडिसिन इकाईयाँ स्थापित की। इसमें से, ₹ 47.50 लाख की लागत के दो टेलीमेडिसिन बसें दो कॉर्पोरेट अस्पतालों अर्थात् विद्वल अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान, बंगलौर, शंकर नेत्रालय, चेन्नई को मुहैया (मई 2003 / जुलाई 2004) कराई गई, जिससे अनुचित लाभ दिया गया। शंकर नेत्रालय, चेन्नई को स्पेक्ट्रम विश्लेषक और मल्टी कास्टिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों को भी मुहैया कराए गए थे।

इस स्थिति को स्वीकार करते हुए डी.ओ.एस. ने कहा (मार्च 2016) कि मोबाइल वैन के वितरण के संबंध में इसरो ने उन अस्पतालों, जिसने इस परियोजना में अपनी रुचि व्यक्त की थी, बिना किसी आंचलिक प्राथमिकता के सहायता प्रदान की।

5.2.2.7 वार्षिक रखरखाव मुहैया कराने पर परिहार्य व्यय

राज्य सरकारों और निजी/ट्रस्ट अस्पतालों के साथ हुए समझौता ज्ञापन की शर्तों में, डी.ओ.एस. द्वारा मुहैया कराए गए संचार उपकरण और चिकित्सा उपकरणों के वार्षिक रखरखाव की जिम्मेदारी उपकरणों की वारंटी के एक वर्ष के बाद राज्य सरकारों/निजी/ट्रस्ट/विशेषज्ञता अस्पतालों की थी। तथापि, डी.ओ.एस. ने 100 नोड्स²² के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) पर हस्ताक्षर किया और 2010-16 की अवधि के दौरान ए.एम.सी. पर ₹ चार करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए डी.ओ.एस. ने कहा (मार्च 2016) कि हालांकि समझौता ज्ञापन के अनुसार ए.एम.सी. राज्यों की जिम्मेदारी थी, इसे

²² ₹ 1.75 करोड़ की लागत पर 100 नोड्स के ए.एम.सी. को 2013 में प्रदान किया गया तथा 100 कम्प्यूटरों को भी प्रतिस्थापित किया गया था। इसके अलावा, डी.ओ.एस. ने ₹ 11.50 लाख की राशि अमृता चिकित्सा विज्ञान संस्थान (ए.आई.एम.एस.), कोच्चि को उपकरणों की मरम्मत/प्रतिस्थापन तथा लागू सभी कर्तव्यों और अतिरिक्त करों के लिए लगभग ₹ 10 लाख के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की।

कार्यान्वित करना व्यावहारिक नहीं था। तथ्य शेष रहा कि डी.ओ.एस. ने अपने समझौता ज्ञापन के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

5.2.2.8 वीसैट टर्मिनलों की खरीद में अपव्यय

2005 से पहले, डी.ओ.एस. ने ₹ 5 लाख की लागत से वीसैट सिस्टम के एक संस्करण का उपयोग किया। वास्तविक समय के आधार पर डाटा उपलब्ध कराने में सक्षम वीसैट सिस्टम का एक नया संस्करण ₹ 1.50 लाख की लागत पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बेंगलूर (बी.ई.एल.) के साथ उपलब्ध (2005) था। चूँकि, पुराना संस्करण ₹ 3.50 लाख ज्यादा महंगा था, डी.ओ.एस. ने बी.ई.एल. से वीसैट सिस्टम के नए संस्करण की खरीद का निर्णय (2005) लिया।

तथापि लेखापरीक्षा में देखा गया कि डी.ओ.एस. ने अन्य विक्रेता से 40 की संख्या में ₹ दो करोड़ की लागत के वीसैट सिस्टम के पुराना संस्करण की खरीद (मार्च 2005) की, जिनका उपयोग नहीं किया जा सका। इसके विपरीत, 40 सिस्टमों के लिए सिस्टम के नए संस्करण की लागत केवल ₹ 60 लाख ही होती। अतः डी.ओ.एस. द्वारा पुराने सिस्टमों की खरीद पर किया गया परिहार्य व्यय ₹ 1.40 करोड़ (₹ दो करोड़ - ₹ 60 लाख) था।

डी.ओ.एस. ने कहा (मार्च 2016) कि समूहों में कनेक्टिविटी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पुराने वीसैट सिस्टमों की जरूरत थी, जो वर्ष 2004-05 की समय सीमा के दौरान पुराने सिस्टम पर आधारित थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि डी.ओ.एस. ने स्वयं 2005 में वीसैट सिस्टम के नए संस्करण की खरीद का निर्णय लिया था क्योंकि पुराना संस्करण ज्यादा महंगा था।

5.2.3 निष्कर्ष

उपग्रह आधारित एप्लीकेशन परियोजनाओं में डी.ओ.एस. का अधिदेश प्रयोक्ता की आवश्यकताओं और प्रयोक्ता तक इसके स्थानान्तरण के अनुरूप उपग्रह आधारित एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन था।

डी.ओ.एस. ने अनुमानित आवश्यकता से ज्यादा क्षमता वाले एक उपग्रह की योजना बनाई जो ₹ 14.12 करोड़ की लागत के बैंड भू टर्मिनल की निष्क्रियता में परिणित हुई। डी.ओ.एस. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ₹ 30.18 करोड़ का व्यय करने के बाद भी एक लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका। मार्च 2016 तक स्थापित 389 नेटवर्कों में से केवल 150 क्रियाशील थे। इस कार्यक्रम के लिए उत्कृष्ट विशेषज्ञता/निजी अस्पतालों का चयन मनमाने ढंग से किया गया था। डी.ओ.एस. ने अस्पतालों का चयन राज्य सरकार को शामिल किए बिना प्रत्यक्ष

रूप से किया। सुदूर तथा आंतरिक क्षेत्रों ले लिए कनेक्टिविटी अपर्याप्त थी। इसके विपरीत, डी.ओ.एस. ने अंतरिक्ष आयोग के निर्देश के विरुद्ध मुख्य भू-भाग वाले क्षेत्र में अधिक संख्या में नोड्स की स्थापना की। डी.ओ.एस. ने टेलीमेडिसिन नोड्स और वीसैट सिस्टम की खरीद पर परिहार्य व्यय किया।

5.3 प्रोपेलैंट टैंकों हेतु सामग्री पर अपव्यय

अंतरिक्ष विभाग ने प्रक्षेपण यान के प्रोपेलैंट टैंक में विफलता का कारण पाई गई सामग्री को चरणबद्ध तरीके से निकालने हेतु कोई निर्धारित समयबद्ध कार्य योजना नहीं बनायी। जिसका परिणाम हुआ कि एक प्रोपेलैंट टैंक की लागत और 65 टन सामग्री, जो भण्डार में रही जिसे अंत में निषिद्ध किया गया, में ₹ 3.49 करोड़ का अपव्यय हुआ ।


अंतरिक्ष विभाग के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अन्तर्गत वालीमाला (तिरुवंतपुरम्म) एवं बेंगलुरु में स्थित एक इकाई तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (एल.पी.एस.सी.) अंतरिक्ष यान एवं प्रक्षेपण यान के लिए पृथ्वी भंडार योग्य और क्राइजेनिक इंजनों और उससे संबंधित उपकरणों, प्रणोदन प्रणाली, प्रोपेलैंट टैंक इत्यादि विकसित करती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक अन्य इकाई, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, तिरुवंतपुरम्म (वी.एस.एस.सी.) प्रक्षेपण यान तकनीक के अनुसंधान से जुड़ी हुई है।

इसरो भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान (जी.एस.एल.वी.) एवं ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पी.एस.एल.वी.) दोनों के प्रोपेलैंट टैंक के निर्माण हेतु एल्युमिनियम अलाय के रूप में AFNOR 7020 नामक पदार्थ का इस्तेमाल कर रही थी। 1995-96 के दौरान, AFNOR 7020 सामग्री से तैयार वाटर टैंक एवं प्रोपेलैंट टैंक की विफलता सामने आयी । उसी दौरान वी.एस.एस.सी. के पदार्थ एवं धातुकर्म समूह के वैज्ञानिकों द्वारा एक पत्र प्रकाशित (जून 1996) किया गया, जिसमें यह दर्शाया गया कि भारतीय प्रक्षेपण यान कार्यक्रमों में टैंकों के निर्माण हेतु AA 2219 पदार्थ का उपयोग किया जाना प्रस्तावित था । पत्रिका में यह भी उल्लेखित था कि यह पदार्थ भारत में “वर्तमान में औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी रूप में तैयार किया जा रहा है”।

इसरो द्वारा वर्ष 2002 में इन विफलताओं का विश्लेषण करने हेतु एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विफलता का कारण ज्यादा खिंचाव से दरार पड़ना था और यह सिफारिश की गई कि AA 2219 में बदलाव किया जाय। समिति ने AFNOR 7020 का उपयोग परिवर्तनकाल में किये

जाने की भी सिफारिश की। तथापि, उस दौरान स्थानान्तरण हेतु कोई समय सीमा नहीं बताई गयी।

तथापि, वी.एस.एस.सी. ने भारतीय एयरोनोटिकल लिमिटेड, बेंगलुरु से जी.एस.एल.वी. के लिए हल्के अलाय से निर्मित संरचना और टैंकों के साथ चार प्रोपेलेंट टैंक की आपूर्ति एवं निर्माण की संविदा (मार्च 2007) की। एल.पी.एस.सी. प्रोपेलेंट टैंक एवं वाटर टैंक के विकास के लिए संविदा प्रबंधक था। टैंकों के निर्माण में AFNOR 7020 पदार्थ का उपयोग किया जाना



भू-स्थैतिक प्रक्षेपण यान जी.एस.एल.वी. एम.के. III

था, जिसकी आपूर्ति वी.एस.एस.सी. द्वारा की जानी थी। टैंक जुलाई 2009 से जनवरी 2011 के बीच दिए जाने थे। इनमें से AFNOR 7020 सामग्री का उपयोग कर ₹ 1.14 करोड़ की लागत से बनी एक टैंक दी जा चुकी थी। एल.पी.एस.सी. के पास स्टॉक में 65 टन AFNOR 7020 सामग्री भी थी जिसकी कीमत ₹ तीन करोड़ थी।

जी.एस.एल.वी. एवं पी.एस.एल.वी. प्रक्षेपण यान के टैंकों के प्राप्ति से संबंधित स्थिति पर चर्चा के दौरान प्रक्षेपण यान उप समिति ने यह निर्णय (जून 2010) लिया कि AFNOR 7020 सामग्री को उपयोग में न लाया जाय एवं टैंको के निर्माण हेतु AA 2219 पदार्थ का उपयोग किया जाय।

इस निर्णय के आधार पर एल.पी.एस.सी. ने जी.एस.एल.वी. टैंक और AFNOR 7020 सामग्री का शेष स्टॉक बाहर निकाल दिया। बेकार पड़े सामग्री का मूल्य ₹ 65 लाख था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि यद्यपि राष्ट्रीय समिति ने AFNOR 7020 को वर्ष 2002 में ही चरणबद्ध तरीके से बाहर करने की सिफारिश की थी परन्तु डी.ओ.एस. ने इस कार्य में आठ वर्षों की देरी की। इस सामग्री को बाहर निकालने के लिए कोई निर्धारित समय एवं कार्य-योजना नहीं बनाई गयी थी। वास्तव में डी.ओ.एस. ने परिवर्तनकाल (2008) के दौरान सात पी.एस.एल.वी. टैंकों के निर्माण हेतु अतिरिक्त मात्रा में AFNOR 7020 सामग्री की खरीद की थी। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि डी.ओ.एस. को यह भी ज्ञात था कि अन्य अंतरिक्ष एजेंसियाँ जैसे एरिआन (फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी) ने इसी कारण से AFNOR 7020 सामग्री को चरणबद्ध तरीके से

बाहर निकाल दिया था। आगे, जी.एस.एल.वी.-डी 5 का प्रक्षेपण (अगस्त 2013) प्रोपेलेंट टैंक में लीकेज के कारण रोक दिया गया था, जो AFNOR 7020 सामग्री से तैयार की गई थी, जो दर्शाता है कि चरणबद्ध तरीके से सामग्री को बाहर करने में हुए विलम्ब से डी.ओ.एस. पर नकारात्मक असर पड़ा है।

इस तरह, डी.ओ.एस. ने AFNOR 7020 को बाहर करने में एक सुनिश्चित समय आधारित कदम नहीं उठाया जिसके कारण सामग्री के निषिद्ध होने से ₹ 3.49 करोड़²³ का अपव्यय हुआ।

यह ज्ञात कराए जाने पर, डी.ओ.एस. ने (मार्च 2016) कहा कि यद्यपि AFNOR 7020 को परिवर्तन करने की सामान्य सिफारिश थी, तथापि 21 पी.एस.एल.वी. मिशन के दृढ़ एवं सफल निष्पादन पर विचार करते हुए इसके उपयोग को जारी रखने का निर्णय व्यावहारिक था।

जवाब को इस तथ्य के प्रकाश में देखना चाहिए कि एल.पी.एस.सी. (जनवरी 2015) ने पहले यह स्वीकार किया था कि यद्यपि AFNOR 7020 सामग्री 21 पी.एस.एल.वी. यान में उपयोग हुई थी, उपयोग के दौरान उसमें ज्यादा खिंचाव के कारण दरार पड़ गए थे।

इस तरह डी.ओ.एस. द्वारा चरणबद्ध तरीके से सामग्री को बाहर करने हेतु निर्धारित समय पर आधारित कार्य योजना तैयार करने में विफलता के फलस्वरूप 65 टन (11 प्रोपेलेंट टैंक²⁴ तैयार करने के लिए काफी) की अत्यधिक मात्रा में सामग्री स्टॉक में जमा हुआ एवं अपव्यय हुआ।

5.4 उपकरण के विलंबित अधिष्ठापन के कारण हुई हानि

सीमित क्रियाशील आयु वाले उपग्रह में एक आरूढ़ प्रणाली की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन में विलंब के लिए अन्तरिक्ष विभाग ने परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति को माफ कर दिया और उसके कारण ठेकेदार को ₹ 1.16 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया। इसके अतिरिक्त, विलंब के परिणामस्वरूप इसकी क्रियाशील आयु का आनुपातिक रूप से कम उपयोग हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 204 (xiv) (ए) एवं (बी) के अनुसार, संविदा के शर्त, क्षेत्र एवं विशिष्ट विवरण सहित, एक बार तय हो जाने के बाद

²³ ₹ 1.14 करोड़ (निषिद्ध किए गए टैंक का मूल्य) + ₹ 3.0 करोड़ (भंडारित माल का मूल्य) - ₹ 0.65 करोड़ (रद्दी हुए सामग्री का वसूली मूल्य)

²⁴ एक प्रोपेलेंट टैंक के निर्माण में लगभग 5.5 टन AFNOR 7020 की आवश्यकता पड़ती है।

वास्तविक रूप में भिन्न नहीं होने चाहिए। जहाँ कहीं भी किसी संविदा के किसी भी शर्तों अथवा परिस्थितियों में भौतिक भिन्नता अपरिहार्य हो जाती है तो उसमें शामिल वित्तीय प्रभाव की परीक्षा की जानी चाहिए तथा लेखाबद्ध किया जाना चाहिए एवं शर्तों में बदलाव करने से पहले पुनरीक्षित वित्तीय वचनबद्धता मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

इसरो उपग्रह केंद्र, बंगलुरु (आई.एस.ए.सी.), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)²⁵/अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) की एक संघटक इकाई, ने यूरो 28,50,000 की कुल लागत से जी.पी.एस. रेडियो प्रच्छादन प्रणाली (आर.ओ.एस.ए.) के विनिर्माण, एकीकरण परीक्षण एवं वितरण हेतु थैल्स एलिनिया स्पेस, इटली (ठेकेदार) के साथ एक करार (फरवरी 2010) किया। उपकरण को मेघा-ट्रोपिक्स, जलवायु अनुसंधान एवं परिष्कृत भविष्यवाणी मॉडल्स में वैज्ञानिकों की सहायता हेतु वैज्ञानिक आँकड़ा प्रदान करने के लिए एक इंडो-फ्रांस संयुक्त उपग्रह मिशन पर अधिष्ठापित किया जाना था। आर.ओ.एस.ए. उपकरण का मुख्य कार्य वायुमंडलीय तापमान एवं आर्द्रता प्रोफाइल को निर्धारित करना था जो वायुमंडल की व्याख्या एवं मॉडलिंग के लिए आवश्यक था।

निर्धारित कार्य करने पर भुगतान चार किशतों में जारी किया जाना था। संविदा मूल्य के पाँच प्रतिशत की अंतिम किशत प्रणाली के अधिष्ठापन पर अथवा आर.ओ.एस.ए. के सुपरिदिगी के आठ माह के भीतर, जो भी पहले हो देय था।

संविदा के खंड 11 के अनुसार, आर.ओ.एस.ए. प्रोटो फ्लाइट मॉडल (पी.एफ.एम.) की आपूर्ति एवं उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ ही प्रणाली का कक्षा में अधिष्ठापन क्रमशः दिसंबर 2010 एवं अगस्त 2011 तक पूर्ण कर लिया जाना था। इसके अलावा, संविदा के खंड 23 के अनुसार, 'अप्रत्याशित घटना' के मामले को छोड़कर, अगर ठेकेदार अपेक्षित समय के भीतर प्रणाली की आपूर्ति में असफल हो जाए तो विलंब का प्रति कैलेंडर सप्ताह संविदा मूल्य का 0.5 प्रतिशत, अधिकतम 5 प्रतिशत, तक का परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति आई.एस.ए.सी. द्वारा वसूली योग्य था।

आपूर्ति के अपेक्षित समय के आस-पास, ठेकेदार ने सूचित (दिसम्बर 2010) किया कि उसके कार्यस्थल पर आंतरिक बाढ़ के कारण आर.ओ.एस.ए. का असेम्बलिंग एवं परीक्षण विलम्ब हो गया। ठेकेदार ने जलप्लावित 'पिकलिंग लाईन' को 10 जनवरी 2011 तक बहाल कर लेने का आश्वासन दिया तथा 'अप्रत्याशित घटना' के अंतर्गत आपूर्ति अवधि के विस्तार के लिए अनुरोध किया। आई.एस.ए.सी. ने समय के विस्तार हेतु ठेकेदार के आवेदन को इस कारण से स्वीकार नहीं किया कि ठेकेदार ने दिसम्बर 2010 तक उपकरण का असेम्बलिंग भी पूर्ण नहीं किया था।

²⁵ इसरो, अंतरिक्ष विभाग की अनुसंधान एवं विकास इकाई है।

आर.ओ.एस.ए. अंततः आई.एस.ए.सी. द्वारा जून 2011 में प्राप्त किया गया। उपग्रह इसरो द्वारा प्रक्षेपित (अक्टूबर 2011) किया गया। आर.ओ.एस.ए. का कक्षा में अधिष्ठापन, जिसे आपूर्ति के बाद आठ माह के भीतर पूर्ण किया जाना था, को ठेकेदार द्वारा अक्टूबर 2012 में आपूर्ति की तिथि से 16 माह बाद पूर्ण किया गया। आर.ओ.एस.ए. के वैज्ञानिक आँकड़ों को ठेकेदार द्वारा कक्षा में अधिष्ठापन पूरा करने के बाद 16 अक्टूबर 2012 से इसरो द्वारा वैज्ञानिक समुदाय को उपलब्ध कराया गया।

फिर भी, परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति आरोपित करने के बजाए आई.एस.ए.सी. ने परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाए बिना तथा 'अप्रत्याशित घटना' पर हुई देरी का हवाला देकर पाँच प्रतिशत का अंतिम चौथी किस्त जारी करते हुए एवं कहते हुए कि ठेकेदार ने अंतरिक्ष यान के पूर्व-प्रक्षेपण तथा प्रक्षेपणोपरांत अधिष्ठापन के दौरान परीक्षण गतिविधियों में समर्थन किया था, आर.ओ.एस.ए. की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन अवधि को क्रमशः जून 2011 एवं अक्टूबर 2012 तक विस्तार करने हेतु एक प्रस्ताव डी.ओ.एस. को प्रस्तुत (मार्च 2013) किया।

तदनुसार, डी.ओ.एस. ने आपूर्ति कार्यक्रम के विस्तार की मंजूरी (मई 2013) दी तथा ₹ 1.16 करोड़ के समतुल्य यूरो 1,42,500 का परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति को माफ (अगस्त 2013) भी कर दिया। आई.एस.ए.सी. ने ठेकेदार को ₹ 18.37²⁶ करोड़ का कुल भुगतान जारी किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपग्रह के प्रक्षेपण से आर.ओ.एस.ए. प्रणाली के अधिष्ठापन में एक वर्ष की देरी का परिणाम उपग्रह में आरूढ़ उपकरण के निष्क्रिय रहने के रूप में हुआ क्योंकि जलवायु अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक आँकड़े अक्टूबर 2011 से अक्टूबर 2012 की अवधि के बीच मुहैया नहीं कराया गया था। आर.ओ.एस.ए. पेलोड एवं मेघा-ट्रोपिक्स उपग्रह की क्रियाशील आयु क्रमशः पाँच वर्ष तथा न्यूनतम तीन वर्ष थी। प्रणाली के अधिष्ठापन हेतु अपेक्षित अवधि से परे आठ महीने की देरी के परिणाम इसके क्रियात्मक आयु का अनुपातिक रूप में कम उपयोग हुआ, जिसे वित्तीय मूल्य के संदर्भ में व्यक्त किया जाए तो ₹ 2.45 करोड़²⁷ की सीमा तक होगा।

²⁶ ₹ 5.13 करोड़ (मार्च 2010) + ₹ 2.59 करोड़ (सितम्बर 2010) + ₹ 9.53 करोड़ (सितम्बर 2011) + ₹ 1.12 करोड़ (जुलाई 2013)

²⁷ $18.37/60 \times 8$ जो कि पाँच वर्ष के क्रियात्मक आयु पर आठ माह के लिए ₹ 18.37 करोड़ की लागत वाले आर.ओ.एस.ए. प्रणाली का अनुपातिक मूल्य है।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि डी.ओ.एस./आई.एस.ए.सी. ने ठेकेदार के कारण हुई देरी के लिए परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति माफ करते समय उपकरण के गैर-उपयोग के कारण हुए इस संभावित हानि के बारे में विचार नहीं किया था। बजाए इसके, प्रक्षेपण पश्चात सहायता में ठेकेदार के असहयोग के डर से डी.ओ.एस. ने परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति, जिसकी वसूली के लिए संविदात्मक रूप से यह सशक्त था, को लागू न करके ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया। यह जी.एफ.आर. के प्रावधानों का भी उल्लंघन था।

डी.ओ.एस. ने कहा (फरवरी 2016) कि आर.ओ.एस.ए. से आँकड़े मेघा-ट्रोपिक्स में आरूढ़ उपकरण को चालू किये जाने के दिन से ही वैज्ञानिक समुदाय को उपलब्ध थे। डी.ओ.एस. ने आगे कहा कि ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए कक्षा में अधिष्ठापन में विस्तारित सहायता को विचार करके तथा भविष्य के सहयोग को ध्यान में रखते हुए परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति को माफ कर दिया गया था।

डी.ओ.एस. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आँकड़े 16 अक्टूबर 2012 से उपलब्ध कराए गए थे। इसके अलावा, मूल रूप से संविदा के अनुसार आपूर्ति के आठ माह के भीतर आरूढ़ अधिष्ठापन होना था जिसे हासिल नहीं किया गया। उपकरण की देरी से आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का परिणाम उपग्रह के प्रक्षेपण से एक वर्ष तक आँकड़े की अनुपलब्धता के रूप में हुआ।

इस प्रकार आर.ओ.एस.ए. की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन में विलम्ब के लिए परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति को माफ करने का परिणाम ठेकेदार को ₹ 1.16 करोड़ तक के अनुचित लाभ के रूप में हुआ। इसके अतिरिक्त, सीमित क्रियात्मक आयु वाले प्रणाली की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन में विलम्ब का परिणाम इसकी क्रियाशील आयु का अनुपातिक रूप से कम उपयोग के रूप में हुआ।

5.5 परामर्शी सेवाओं पर निष्फल व्यय

अंतरिक्ष विभाग ने फर्म के चयन में यथोचित परिश्रम किए बिना नई दिल्ली में भवन निर्माण के लिए स्थापत्य संबंधी एवं अन्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक फर्म की नियुक्ति की। जब फर्म वैधानिक प्राधिकरण के प्रारंभिक डिजाइन अपेक्षाओं को पूरा न कर सका, तब अंतरिक्ष विभाग ने संविदा रद्द कर दी एवं आन्तरिक रूप से कार्य करने का निर्णय लिया। फलस्वरूप, फर्म को भुगतान किया गया ₹ 1.04 करोड़ निष्फल साबित हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 (जी.एफ.आर.) के नियम 168 से 175 सेवाओं की खरीद हेतु सलाहकार के चयन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है। नियमों में विहित हैं कि संक्षिप्त सूचीबद्ध सलाहकारों को तकनीकी एवं वित्तीय बोलियों हेतु आमंत्रित किया जाना चाहिए तथा बोलियों के यथोचित मूल्यांकन एवं श्रेणीकरण के पश्चात सफल बोलीकर्ता का चयन किया जाना चाहिए। जी.एफ.आर. के नियम 159(1) में अनुबंधित है कि सामान्यतया प्रदान की गई अथवा आपूर्ति की गई सेवाओं हेतु भुगतान केवल सेवाओं के दिये जाने अथवा आपूर्ति किए जाने के बाद ही की जानी चाहिए।

शहरी विकास मंत्रालय ने डी.ओ.एस./भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को नई दिल्ली के सादीक नगर में डी.ओ.एस. के महत्वपूर्ण कार्यालयों²⁸ के लिए अंतरिक्ष सदन की स्थापना हेतु 3,750 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन (मार्च 2006) किया। डी.ओ.एस. ने पाँच फर्मों को भवन के स्थापत्य संबंधी कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए संक्षिप्त-सूचीबद्ध किया तथा उन्हें स्थापत्य संबंधी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित (जुलाई 2006) किया। पाँच संक्षिप्त-सूचीबद्ध फर्मों द्वारा प्रस्तुत की गई रेखा-चित्र के मूल्यांकन (दिसंबर 2006) के दौरान डी.ओ.एस. ने आंतरिक रूप से विस्तृत वास्तु-संबंधी डिजाइन तैयार करने का निर्णय लिया। इस तरह, प्रस्तुत की गई किसी भी रेखा-चित्र पर विचार नहीं किया गया।

तत्पश्चात, डी.ओ.एस. ने पूर्ण डिजाइन, आंकलन तथा परियोजना प्रबंधन कार्य को वाह्यस्त्रोतों से लेने का निर्णय (अप्रैल 2007) लिया तथा पाँच संक्षिप्त सूचीबद्ध फर्मों में से एक, एस.टी.यू.पी. कंसलटेंट लिमिटेड, बेंगलुरु, (सलाहकार) जिसने वास्तु संबंधी प्रतियोगिता हेतु अपनी रेखा-चित्र प्रस्तुत की थी, का चयन किया। समझौता वार्ता के बाद, डी.ओ.एस. ने योजना बनाने, डिजाइन तैयार करने तथा कार्यचालन रेखा-चित्र

²⁸ शाखा सचिवालय, रिमोट सेंसिंग, आपदा प्रबंधन प्रणाली, ग्रामीण संसाधन केन्द्र, टेलीमेडिसिन, टेली-शिक्षा, आदि के लिए प्रयोगशालाएं

संहित विस्तृत आंकलन प्रस्तुत करने, इत्यादि हेतु सलाहकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर (सितंबर 2007) किया। कार्यक्षेत्र में स्थापत्य कला, डिज़ाइन, डिज़ाइन एवं योजना पर स्थानीय निकायों²⁹ से वैधानिक सहमति प्राप्त करना, विस्तृत आंकलन तैयार करना, कार्य के निष्पादन के दौरान साइट का समय-समय पर दौरा करना एवं समापन और अधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करना शामिल था। इस प्रकार, सलाहकार को संपूर्ण कार्य निष्पादन में पूर्णतया डी.ओ.एस. को सहायता प्रदान करना था।

डी.ओ.एस. को उस कार्य, जिसके लिए सलाहकार द्वारा सेवा प्रदान की जा रही थीं, के पूर्ण-समाविष्ट समापन मूल्य के 4.25 प्रतिशत के दर पर सलाहकार को भुगतान करना था। भुगतान विभिन्न गतिविधियों के समापन पर जैसे, चरणों में रेखा-चित्र तैयार करने तथा स्थानीय निकायों को प्रस्तुत करने के लिए 45 प्रतिशत³⁰ का भुगतान किया जाना था, पाँच प्रतिशत वैधानिक प्राधिकारणों से मंजूरी प्राप्त करने पर, 25 प्रतिशत संरचनात्मक/विद्युतीय/सार्वजनिक स्वास्थ्य/जल आपूर्ति रेखा-चित्र की तैयारी पर, 10 प्रतिशत कार्य की प्रगति के दौरान, पाँच प्रतिशत स्थानीय निकायों से विद्युत/जल आपूर्ति कनेक्शनों हेतु मंजूरी प्राप्त करने पर तथा 10 प्रतिशत कार्य के पूरा होने के बाद विमुक्त की जानी थी।

आगे, समझौते के अनुसार, निर्धारित समय सीमा के भीतर एवं संतोषजनक ढंग से कार्य को पूरा करने में सलाहकार के असफल होने पर, डी.ओ.एस. प्रतिपूर्ति के रूप में अधिकतम कुल देय राशि का केवल 10 प्रतिशत वसूल कर सकेगा।

सलाहकार ने प्रारम्भिक योजना संबंधित गतिविधियों को पूरा किया एवं दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) को प्रस्ताव (दिसंबर 2007) प्रस्तुत किया। अन्य सभी एजेंसियों द्वारा सहमति ले लेने के पश्चात, प्रस्ताव दिल्ली नगर कला आयोग (डी.यू.ए.सी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। डी.यू.ए.सी. ने प्रस्ताव को समीक्षा (जुलाई 2010) की, परंतु यह देखते हुए कि भवन का ढांचा पर्यावरण के अनुकूल नहीं था, मंजूरी प्रदान नहीं की और वास्तुकार को एक वैकल्पिक प्रस्ताव/ढांचा तैयार करने का सुझाव दिया।

सलाहकार ने डी.ओ.एस. को सूचित (अक्टूबर 2010) किया कि जब तक मूल डिज़ाइन से अत्यधिक भिन्न एक पूर्णरूपेण नई संकल्पना तैयार नहीं की जाती, डी.यू.ए.सी. द्वारा प्रस्ताव पर विचार करने की संभावना नहीं थी। सलाहकार ने यह भी सूचित किया कि यदि वे उस डिज़ाइन का संशोधन करते हैं, तो उन्हें अब तक

²⁹ दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.), दिल्ली विकास प्राधिकरण, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली, शहरी कला आयोग और एम.सी.डी. द्वारा अंतिम मंजूरी।

³⁰ अवधारणात्मक रेखाचित्र की तैयारी पर 10 प्रतिशत; प्रारंभिक रेखाचित्र एवं ब्लॉक अनुमानों की तैयारी पर 10 प्रतिशत; स्थानीय प्राधिकारियों को रेखाचित्र के प्रस्तुतीकरण पर 5 प्रतिशत और निविदा रेखाचित्र, विस्तृत अनुमानों और मात्रा की अनुसूची के तैयारी पर 20 प्रतिशत।

किए गए कार्य तथा उनके द्वारा तैयार किए गए नए प्रस्ताव के लिए प्रतिपूर्ति दी जानी होगी।

इस बीच, डी.ओ.एस. ने डी.यू.ए.सी. के निष्कर्षों सहित प्रस्ताव की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन (अगस्त 2010) किया तथा सिफारिश (नवम्बर 2010) की कि भवन का डिज़ाइन नए सिरे से इसके सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफिस (सी.ई.पी.ओ.)³¹ द्वारा आंतरिक रूप से तैयार की जाए और सलाहकार के साथ किया गया समझौता समाप्त किया जाए।

तदनुसार, डी.ओ.एस. ने सलाहकार के साथ हुए समझौते को समाप्त (नवम्बर 2010) कर दिया। सी.ई.पी.ओ. द्वारा भवन-निर्माण की योजना नए सिरे से तैयार की गई तथा संशोधित योजना एम.सी.डी. को (अक्टूबर 2011) में प्रस्तुत की गई। डी.ओ.एस. ने सलाहकार को कार्य-योजना की सुपुर्दगी तथा रेखा-चित्र तैयार करने में किए गए आंशिक कार्य के लिए सलाहकार को कुल देय राशि का 10 प्रतिशत, ₹ 18.45 लाख प्रतिपूर्ति समायोजन के पश्चात कुल ₹ 1.04 करोड़ (जनवरी 2008 से मार्च 2010) का भुगतान किया। पारिश्रमिक की गणना अनुमोदित अनुमानित ₹ 43.41 करोड़ के कुल कार्य लागत के आधार पर की गई थी, जो इस समझौते के अंतर्गत कुल देय परामर्शी प्रभार का 50 प्रतिशत³² से अधिक था।

नामांकन द्वारा सलाहकार के चयन तथा स्थानीय निकायों से वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने में असमर्थता के परिणाम में सलाहकार को भुगतान किए गए ₹ 1.04 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

डी.ओ.एस. ने कहा (फरवरी 2016) की सलाहकार का चयन किया गया क्योंकि यह डी.ओ.एस. के मान्यता प्राप्त सलाहकारों में से एक था। डी.ओ.एस. ने आगे कहा कि सलाहकारों को नियुक्त करने के सामान्य प्रक्रिया वस्तुओं की खरीद हेतु प्रक्रिया से भिन्न थी तथा यह भी कहा कि किसी डिज़ाइन के विकास में शामिल चरणों में भुगतान की प्रक्रिया संविदा में शामिल थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि डी.ओ.एस. ने उक्त कार्य हेतु सलाहकार के चयन के लिए एक स्थापत्य संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन किया था, लेकिन बाद में भाग लेने वाले फर्मों के द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तावों का समुचित मूल्यांकन तथा श्रेणीकरण किए बिना सलाहकार को नियुक्त कर लिया।

³¹ सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन के लिए नया नामकरण

³² कुल देय परामर्शी प्रभार ₹ 43.41 करोड़ का 4.25 प्रतिशत अर्थात् ₹ 1.84 करोड़ था। ₹ 1.04 करोड़ का भुगतान इस राशि के 50 प्रतिशत से अधिक है।

इस प्रकार, नामांकन द्वारा सलाहकार के चयन तथा स्थानीय निकायों से वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने में असमर्थता के परिणाम में सलाहकार को भुगतान किए गए ₹ 1.04 करोड़ के निष्फल व्यय हुआ।

5.6 निर्माण कार्य के भुगतान पर श्रम कल्याण उपकर की गैर वसूली

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवंतपुरम सिविल कार्य के कार्यान्वयन के लिए ठेकेदारों को किए गए भुगतान से ₹ 71.23 लाख तक वैधानिक श्रम कल्याण उपकर की कटौती करने में असफल रहा।

भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3(1) के अनुसार, समय-समय पर सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए दर से, जो कि नियोक्ता द्वारा खर्च किए गए निर्माण लागत के दो प्रतिशत से अधिक न हो परन्तु एक प्रतिशत से कम न हो, उपकर वसूल एवं एकत्रित किया जाना चाहिए; तथा एकत्रित किया गया श्रम कल्याण उपकर राज्य सरकार के द्वारा गठित किए गए भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को भेजा जाना चाहिए।

अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु, केरल सरकार केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का अनुसरण करती है। केंद्र सरकार ने नियोक्ता द्वारा खर्च किए गए निर्माण की लागत का एक प्रतिशत की दर से उपकर निर्धारित किया था।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की इकाई, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, तिरुवनंतपुरम (वी.एस.एस.सी.) के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि वी.एस.एस.सी. ने जनवरी 2011 एवं नवंबर 2014 के बीच ₹ 71.23 करोड़ के सिविल कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कार्यान्वित किए। मगर ठेकेदारों को भुगतान करते समय सम्पूर्ण कार्य का एक प्रतिशत, ₹ 71.23 लाख का श्रम कल्याण उपकर नहीं वसूल किया गया।

वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सिविल निर्माण कार्य से संबंधित भुगतान पर श्रम कल्याण उपकर की गैर-वसूली के परिणाम श्रमिकों के कल्याण कार्य हेतु ₹ 71.23 लाख श्रम कल्याण उपकर का संग्रह न होना तथा राज्य सरकार को श्रम कल्याण उपकर के क्षति के रूप में हुआ।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए डी.ओ.एस. (फरवरी 2016) ने कहा कि वी.एस.एस.सी. वर्तमान में श्रमिक कल्याण उपकर की वसूली एवं प्रेषण कर रहा है। यह तथ्य बना रहा कि पूर्व अवधि में किए गए भुगतान से उपकर की वसूली नहीं की गई थी।

अध्याय - VI

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

6.1 विलवणीकरण संयंत्र की गैर-स्थापना और अपव्यय

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई ने लक्षद्वीप के छः द्वीपों के तकनीकी-आर्थिक स्थिति का विस्तारपूर्वक सर्वेक्षण किये बिना और साथ ही इतने बड़े पैमाने पर परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वहां के संसाधनों का मूल्यांकन किए बिना विलवणीकरण संयंत्र की स्थापना पर परियोजना का दायित्व लिया। परिणाम स्वरूप योजना की गई छः संयंत्रों में से सिर्फ दो ही संयंत्रों की स्थापना हुई। शेष अन्य चार संयंत्रों में से ₹ 4.32 करोड़ की लागत से स्थापित एक संयंत्र की स्थापना हुई, परन्तु साइट संबंधित समस्याओं के कारण गैर कार्यात्मक रहे, जिसके परिणामतः अपव्यय हुआ। एन.आई.ओ.टी. ने परियोजना पर ₹ 37.54 करोड़ व्यय किया। ₹ 69.28 करोड़ की राशि एन.आई.ओ.टी. के पास व्यर्थ रही।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.) के अन्तर्गत राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई (एन.आई.ओ.टी.) तकनीक का विकास करने और सागर के संसाधनों के सतत उपयोग हेतु उनके अनुप्रयोगों तथा समुद्रों में कार्य करने वाले संगठनों की समस्याओं के समाधान और तकनीकी सुविधा प्रदान करने के कार्यों में संलग्न एक स्वायत्त संगठन है।

एन.आई.ओ.टी. ने लक्षद्वीप के कावरती पर प्रतिदिन एक लाख लीटर जल क्षमता के निम्न तापमान तापीय विलवणीकरण (एल.टी.टी.डी.) तकनीक, जो लवण जल को पेयजल में बदल देती है, पर आधारित संयंत्र की स्थापना (मई 2005) की। इस संयंत्र द्वारा निर्मित जल स्थानीय लोगों द्वारा स्वीकार किया गया था। अन्य द्वीपों पर निवास कर रहे लोगों को स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति के उद्देश्य से लक्षद्वीप प्रशासन (एल.ए.) ने अन्य आठ द्वीपों पर वैसे ही संयंत्र लगाने का निर्णय लिया। एन.आई.ओ.टी. ने ₹ 4.70 करोड़ और ₹ 3.90 करोड़ लागत से क्रमशः प्रतिदिन तीन लाख लीटर और 1.5 लाख लीटर क्षमता वाले एल.टी.टी.डी. संयंत्र से संबंधित परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत (दिसम्बर 2005) किया। पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय (एम.डी.डब्ल्यू.एस.) द्वारा इस परियोजना को वित्तपोषित किया जाना था।

योजना आयोग ने आठ द्वीपों³³ पर आठ संयंत्रों की स्थापना हेतु सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान (मार्च 2006) की। तथापि, लक्षद्वीप प्रशासन ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान छः द्वीपों³⁴ पर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय (जून 2006) लिया। एन.आई.ओ.टी. ने लक्षद्वीप प्रशासन के साथ एल.टी.टी.डी. संयंत्र को लगाने और शुरू करने हेतु समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर (अगस्त 2006) किया। परियोजना के प्रारंभ होने के 24 महीने के अंदर संयंत्र को शुरू किया जाना था। एल.ए. ने एन.आई.ओ.टी. को संयंत्र की स्थापना हेतु ₹ 26.60 करोड़ की राशि दी (सितंबर 2006)। एल.ए. ने एन.आई.ओ.टी. को विभिन्न द्वीपों पर बैथिमीट्रीक³⁵ सर्वे के लिए ₹ 73.79 लाख भी दिए (अक्टूबर 2006) थे। हालांकि एन.आई.ओ.टी. ने उस समय सर्वे नहीं किया।

एन.आई.ओ.टी. ने निविदा आमंत्रित करके कार्य की शुरुआत की (अक्टूबर 2006) लेकिन बोलीकर्ताओं द्वारा परियोजना राशि से ज्यादा राशि बोलने के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया। फलस्वरूप, अनुमानित परियोजना लागत में ₹ 60 करोड़ (मार्च 2007) और आगे ₹ 85 करोड़ (नवंबर 2007) की बढ़ोत्तरी हुई। योजना आयोग ने परिवर्तित मूल्य को अनुमोदित नहीं किया तथा वस्तुवार मूल्य के विवरण देने का आग्रह किया (जुलाई 2007/अक्टूबर 2007/नवंबर 2007)। एल.ए. ने छः द्वीपों में दो चरणों अर्थात् प्रथम चरण में अगाती, मिनीकाय और एंडरोट तथा दूसरे चरण में अमिनि, किटलेन और चेटलेट में संयंत्र कार्यान्वयन करने का निर्णय (जनवरी 2008) लिया। ₹ 9.88 करोड़ प्रति संयंत्र के लागत से प्रस्तावित सभी संयंत्रों की क्षमता भी एक लाख लीटर प्रतिदिन तक कम कर दी गयी। योजना आयोग द्वारा परिवर्तित परियोजना को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित (मार्च 2008) किया गया। परियोजना के प्रारंभ होने (अगस्त 2008) से एक साल के भीतर संयंत्रों को शुरू किया जाना था।

³³ अगाती, मिनीकाय, एंडरोट, अमीनी, किटलेन और चेटलेट, केडमेट तथा कलपेई

³⁴ अगाती, मिनीकाय और एंडरोट प्रथम चरण में और अमिनी, किटलेन तथा चेटलेट द्वितीय चरण में तथा प्रथम चार संयंत्रों में प्रतिदिन तीन लाख लीटर की क्षमता तथा अंतिम दो संयंत्रों में प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर की क्षमता।

³⁵ बैथिमीट्री जल घटकों के भूतलों का अध्ययन है।

परियोजना के दौरान, एन.आई.ओ.टी. ने लक्षद्वीप प्रशासन को सूचना (नवम्बर 2008) दी कि श्रमशक्ति के अभाव के कारण निर्धारित कार्य पूरा नहीं किया जा सका और यह भी कहा कि एन.आई.ओ.टी. का अधिदेश यह नहीं था कि वह सम्पूर्ण कार्य को पूरा करें। इसके बदले, वेंडर के साथ कार्य करने की सहमति दी जिसे प्रथम चरण के अंत में दस्तावेज और डिजाइन के रूप में तकनीक स्थानांतरित की जाएगी। तत्पश्चात्, एन.आई.ओ.टी. ने द्वीप का विस्तृत सर्वेक्षण किया (फरवरी 2009)।

एन.आई.ओ.टी. तीनों संयंत्रों को एक साल (अगस्त 2009) में शुरू नहीं कर पाया जैसा परिकल्पित था। मिनिकोय और अगाती संयंत्रों की शुरुआत क्रमशः अप्रैल 2011 और जुलाई 2011 में हुई जिनकी कुल लागत ₹ 26.86 करोड़ रुपये थी। अंडोरट्ट में स्थित संयंत्र वहां की जटिल स्थिति और क्रियान्वयन के कार्यप्रणाली एवं डिजाइन में अपेक्षित परिवर्तन के कारण शुरू नहीं हुआ। ₹ 4.32 करोड़ खर्च करने के बाद एन.आई.ओ.टी. ने अंडोरट्ट के कार्य को दूसरे चरण में किसी अन्य स्थान पर स्थगित करने का निर्णय लिया।

द्वितीय चरण (अमीनी, किटलान तथा चेटलेट द्वीप)

एल.ए. ने दूसरे चरण के अन्तर्गत तीन संयंत्रों की शुरुआत के लिए ₹ 32.68 करोड़ दिए (जुलाई 2009)। फिर से बोलीकर्ता द्वारा अधिक मूल्य बोलने के कारण एन.आई.ओ.टी. ने एल.ए. के सामने ₹ 125 करोड़³⁶ के परिवर्तित लागत का प्रस्ताव रखा। एल.ए. ने (जुलाई 2012) में ₹ 99 करोड़ की परिवर्तित परियोजना लागत को मंजूरी दी।

इसी बीच एन.आई.ओ.टी. ने न्यूनतम बोलीकर्ता किलोस्कर कंस्ट्रक्शन एवं इंजीनियर्स लिमिटेड (के.सी.ई.एल.) को ₹ 40.66 करोड़ की संविदा (सितंबर 2011) दी और पहली किश्त के रूप में ₹ 4.80 करोड़ दिए (दिसंबर 2011)। तथापि, के.सी.ई.एल. ने ₹ 55 करोड़ वृद्धि लागत के रूप में मांगा। अंततः एन.आई.ओ.टी. ने के.सी.ई.एल. के साथ संविदा रद्द (मई 2013) कर दी और फर्म द्वारा बैंक गारंटी के ₹ 14.40 करोड़ का नकदीकरण करवा लिया।

³⁶ इसमें परियोजना लागत ₹ 96 करोड़ और परियोजना प्रबंधन शुल्क भी शामिल था ।

एल.ए. ने एम.डी.डब्ल्यू.एस. के समक्ष परियोजना के निष्पादन हेतु ₹ 181.27 करोड़ की मंजूरी हेतु परिवर्तित प्रस्ताव जो एन.आई.ओ.टी. के द्वारा दिए गए अनुमानों पर आधारित था, जमा किया (नवंबर 2013)। हालांकि, मंत्रालय ने प्रस्ताव के तकनीकी-आर्थिक पहलुओं की जाँच के लिए एक तकनीकी समिति का गठन (दिसम्बर 2014) किया। समिति ने ₹ 280 करोड़ की परियोजना लागत की सिफारिश (जून 2015) की। प्रस्ताव फरवरी 2016 तक विचाराधीन था।

एन.आई.ओ.टी. ने लक्षद्वीप प्रशासन से ₹ 59.28 करोड़³⁷ की धनराशि प्राप्त की तथा उस पर ₹ 33.14 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। इसके अतिरिक्त, एन.आई.ओ.टी. के पास के.सी.ई.एल. से बैंक गारंटी के नकदीकरण के ₹ 14.40 करोड़ भी थे। एन.आई.ओ.टी. ने इस परियोजना पर ₹ 37.54 करोड़³⁸ का व्यय किया। ₹ 69.28 करोड़ की शेष राशि एन.आई.ओ.टी. के पास बेकार पड़ी रही।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एन.आई.ओ.टी. ने इस परियोजना के प्रति प्रतिबद्ध होने के पूर्व न तो स्थानों का विस्तृत सर्वेक्षण किया और न तकनीकी-आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण किया। आगे, एन.आई.ओ.टी. ने बड़े पैमाने पर आठ स्थानों पर विलवणीकरण संयंत्रों को शुरू करने हेतु प्रतिबद्ध किया था जबकि इसका अधिदेश तकनीकी सेवाएँ मुहैया कराने तक ही सीमित था। एन.आई.ओ.टी. अपने मानवशक्ति की स्थिति का आकलन करने में भी असफल रहा कि क्या इस तरह के व्यापक कार्य को प्रभावी ढंग और कुशलता से पर्यवेक्षित किया जा सकता है। परियोजना की योजना बनाने में कमी से, काम के दायरे के साथ ही इस परियोजना की लागत में लगातार संशोधन, परियोजना निष्पादन में विलम्ब और एंड्रोट द्वीप पर गैर कार्यात्मक संयंत्र पर ₹ 4.32 करोड़ का अपव्यय हुआ।


एम.ओ.ई.एस. ने कहा (फरवरी 2016) कि विलवणीकरण संयंत्रों को जटिल स्थानीय परिस्थितियों, द्वीपों की दूरी तथा मंजूरी हेतु प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुसरण में कमी के कारण समय पर शुरू नहीं किया जा सका।

³⁷ ₹ 26.60 करोड़ + ₹ 32.68 करोड़

³⁸ ₹ 10.36 करोड़ (मीनीकॉय द्वीप) + ₹ 16.50 करोड़ (अगाती द्वीप) + ₹ 4.32 करोड़ (एंड्रोट द्वीप) + ₹ 6.36 करोड़ अन्य के लिए और छः चयनित द्वीपों पर प्रथम माइलस्टोन के क्रियान्वयन के लिए।

एम.ओ.ई.एस. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एन.आई.ओ.टी. द्वारा परियोजना की योजना में कमी, कार्य के क्षेत्र एवं लागत में बार-बार संशोधन तथा परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के कारण छः में से चार द्वीपों पर निवास कर रहे लोगों को स्वच्छ पेय जल मुहैया कराने का उद्देश्य छः वर्षों से ज्यादा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी अप्राप्य रहा।

नई दिल्ली
दिनांक: 04 मई 2016




(मनीष कुमार)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 05 मई 2016



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1 (पैराग्राफ 1.6 के सन्दर्भ में)

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान सम्बंधित है	मार्च 2015 तक देय बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
परमाणु उर्जा विभाग	1991-08	116	527.33
	2008-13	332	2,698.83
	2013-14	714	5,735.09
योग		1,162	8,961.25
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	विवरण उपलब्ध नहीं		
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	विवरण उपलब्ध नहीं		
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान विभाग	विवरण उपलब्ध नहीं		
अंतरिक्ष विभाग	1976-08	116	799.93
	2008-13	111	409.14
	2013-14	62	256.64
योग		289	1,465.71
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1983-08	416	2,844.56
	2008-13	192	2,074.45
	2013-14	116	651.14
योग		724	5,570.15
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	1981-08	5,495	24,288.69
	2008-13	655	21,861.94
	2013-14	प्राप्त नहीं हुआ	प्राप्त नहीं हुआ
योग		6,150	46,150.63
नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय	2005-08	9	31.94
	2008-13	301	20,785.77
	2013-14	423	64,213.24
योग		733	85,030.95
जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय	1986-08	33	196.15
	2008-13	205	2,624.84
	2013-14	11	7,385.99
योग		249	10,206.98
कुल योग		9,307	1,57,385.67

परिशिष्ट - II (पैराग्राफ 1.8 के सन्दर्भ में)

वर्ष 2014-15 के दौरान अपलिखित की गयी हानियां और न वसूल होने वाली देयताओं का विवरण

(राशि ₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	अपलिखित की गयी हानियां और न वसूल होने वाली देयताओं के कारण									
	प्रणाली की असफलता		उपेक्षा/धोखेबाजी इत्यादि		अन्य कारण		वसूली का माफ़ करना		एक्स-ग्रेसिया अदायगी	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
परमाणु उर्जा विभाग	-	-	-	-	27	6.17	-	-	-	-
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	उपलब्ध नहीं									
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	उपलब्ध नहीं									
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान विभाग	उपलब्ध नहीं									
अंतरिक्ष विभाग	-	-	-	-	20	14.85	1	0.07	1	1.00
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	शून्य									
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	उपलब्ध नहीं									
नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय	शून्य									
जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय	उपलब्ध नहीं									
योग	-	-	-	-	47	21.02	1	0.07	1	1.00

परिशिष्ट - III (पैराग्राफ 1.10 के सन्दर्भ में)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से मार्च 2015 को समाप्त वर्ष तक वांछित कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) की दिसम्बर 2015 में संक्षिप्त स्थिति - ए.टी.एन. जो मंत्रालयों/विभागों से पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	शीर्षक	ए.टी.एन. की प्रस्तुति में देरी (महीनों में)
परमाणु ऊर्जा विभाग			
1) 2012-13 का 13	10.1	₹ 3.32 करोड़ का परिहार्य व्यय	37
2) 2013 का 22	2.2	स्थापना की अधिसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के बिना यंत्र की खरीद में जल्दबाजी	24
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय			
3) 2014 का 27	5.1	राष्ट्रीय डाटा प्लव परियोजना	10
4) 2014 का 27	5.2	ग्रेच्यूटी का अनियमित भुगतान	10
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय			
5) 2013 का 21	पृथक एकल	भारत में प्रतिपूरक वनरोपण	24

परिशिष्ट - IV (पैराग्राफ 1.10 के सन्दर्भ में)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से मार्च 2015 को समाप्त वर्ष तक वांछित कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) की दिसम्बर 2015 में संक्षिप्त स्थिति - ए.टी.एन. जिनपर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ दी जा चुकी हैं, परन्तु संशोधित ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	शीर्षक	ए.टी.एन. की प्रस्तुति में देरी (महीनों में)
परमाणु ऊर्जा विभाग			
1) 2001 का 5	5.4	निष्फल व्यय (संख्या 5.19 से 5.22)	7
2) 2001 का 5	5.5	लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली (संख्या 5.23 से 5.25)	25
3) 2002 का 5	9.1	उपेक्षा के कारण परिहार्य व्यय	25
4) 2014 का 27	2.1	उपकरण का अनुपयोग	5
जैवप्रौद्योगिकी विभाग			
5) 2003 का 5	3.1	डी.बी.टी. की समीक्षा	5
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग			
6) 2005 का 5	5.1	जी.टी.एस. द्विशताब्दी उत्सव पर निष्फल व्यय	7
7) 2006 का 1	3	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का कार्य प्रचालन	1
8) 2007 का 13 (पी.ए.)	5.3	डी.एस.टी. में आंतरिक नियंत्रण	15
9) 2008 का सी.ए. 3	5.1	निष्फल व्यय	7
10) 2008 का सी.ए. 3	5.2	सेवा का अनियमित विस्तार	7
11) 2008-09 का सी.ए. 16	5.3	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ की गतिविधियाँ	6
12) 2013 का 22	5.2	परिवहन भत्ते का अस्वीकार्य भुगतान	7
13) 2014 का 27	3.1	विधिक शुल्क का कपटपूर्ण भुगतान	4
14) 2014 का 27	3.2	उपकरणों का प्रतिष्ठापन न करना	4
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग			
15) 1996 का 6	5.8	उपभोग नहीं हुई विद्युत के लिए अतिरिक्त व्यय	1
16) 1998 का 5	2.1	सी.एस.आई.आर. की कार्यबल लेखापरीक्षा समीक्षा	6
17) 1998 का 5	2.4	दोषपूर्ण समझौते की वजह से हानि	1
18) 1999 का 5	4.4	दोषपूर्ण डिजाइन के कारण अतिरिक्त व्यय	1
19) 2001 का 5	3.2	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान	1
20) 2003 का 5	2.1	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की समीक्षा	2

21) 2005 का 5	6.1	निष्फल व्यय	104
22) 2005 का 5	10.2	किण्वन प्रणाली की गैर-स्थापना	1
23) 2007 का 2 (टी.ए.)	13.1	सेवाकर की गैर वसूली	1
24) 2013 का 22	4.1	जीनोमिक्स एवं एकीकृत जीवविज्ञान द्वारा 'जीनोमिक्स अनुप्रयोग केन्द्र' की स्थापन हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी	1
25) 2013 का 29	पृथक एकल	दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नेटवर्क परियोजनाओं पर प्रतिवेदन	10
अंतरिक्ष विभाग			
26) 2011-12 का सी.ए. 16	19.1	लाइनक ट्यूब के विकास पर निष्क्रिय निवेश	1
27) 2012-13 का 4	पृथक एकल	देवास के साथ हाईब्रिड उपग्रह डिजिटल मल्टीमीडिया प्रसारण सेवा अनुबंध	6
28) 2012-13 का 13	11.1	मांग शुल्क का परिहार्य भुगतान	1
29) 2013 का 22	3.1	एडुसैट उपयोगिता कार्यक्रम	1
30) 2013 का 22	3.3	असुरक्षित परिवहन तथा सामग्री को देरी से कराए बीमा के कारण हानि	6
31) 2014 का 22	पृथक एकल	अंतरिक्ष विभाग द्वारा डी.टी.एच. सेवा हेतु उपग्रह क्षमता का प्रबंधन	1
32) 2014 का 27	4.1	एस.आर.ई.2-मिशन की प्राप्ति में असाधारण विलम्ब	6
33) 2014 का 27	4.2	उपग्रह क्षमता के आवंटन में हानि	1
34) 2014 का 27	4.4	घटकों के क्रय में निष्फल व्यय	1
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय			
35) 2007 का 2 (टी.ए.)	5.1	निष्फल व्यय	36
36) 2008 का सी.ए. 3	7.1	लेखाकरण एवं कार्मिक प्रबंधन गतिविधियों के आधुनिकीकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति न होना	34
37) 2008-09 का सी.ए. 16	7.1	बिना मांग के आवासीय मकानों एवं छात्रावास इकाईयों का निर्माण	5
38) 2013 का 22	8.1	पेंशन योजना की अनियमित शुरुआत तथा धनराशि का परिवर्तन	15
पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय			
39) 2001 का 3बी	1.0	जल प्रदूषण से संबंधित पर्यावरण विधि का क्रियान्वयन	27
40) 2008-09 का सी.ए. 16	6.1	ग्राम वृक्षरोपण परियोजना की असफलता	8
41) 2013 का 22	6.1	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गैर प्राधिकृत पदों का बारम्बार सृजन तथा उन्नयन	7
42) 2014 का 27	6.3	कार्यालय स्थान के किराए पर अपव्यय	6

परिशिष्ट - V (पैराग्राफ 5.1.2.7 के सन्दर्भ में)

अंतरिक्ष विभाग के सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. पैकेज की एम.आई.एस. प्रतिवेदनों में अवलोकित कमियां

प्रतिवेदन	प्रतिवेदन संख्या	लेखापरीक्षा अवलोकन
आकस्मिक अग्रिम रजिस्टर	ए.सी.54आर.एन.आर.	सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. द्वारा जनित प्रतिवेदन ने 1,043 बकाया मामले दर्शाए जबकि मानवीय दस्तावेजों के अनुसार केवल 8 बकाया थे। डी.ओ.एस. ने जनवरी 2016 में बताया कि क्षेत्र विशेषज्ञों की सलाह अनुसार परिवर्तन दिए जाएंगे।
रकम अग्रिम रजिस्टर	ए.सी.62आर.एन.आर.	सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. द्वारा जनित प्रतिवेदन ने 2002 से 2013 के दौरान 11 प्रविष्टियां दिखाई। लेखापरीक्षा जांच ने दर्शाया कि वास्तव में 41 रकमधारी थे। सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. द्वारा जनित प्रतिवेदन ने उन स्टाफ सदस्यों के नाम भी दर्शाए जो अब सेवा में नहीं थे तथा उनके भी जो रकमधारी नहीं थे। डी.ओ.एस. ने जनवरी 2016 में बताया कि क्षेत्र विशेषज्ञों की सलाह अनुसार परिवर्तन दिए जाएंगे।
बाल देखभाल अवकाश-अवकाश लेखा	पी.जी.जी.ई.03	प्रतिवेदन ने अवकाश के वे भाग जो रद्द किए जा चुके थे, लिए हुए दिखाए।
वर्ग परिवर्तन योग्यता-चयन योजना	पी.जी.डी.पी.09	वर्ग परिवर्तन योग्यता चयन योजना (सी.सी.एम.एस.एस.) में जनवरी 2008 से सितम्बर 2015 के दौरान पदोन्नत कर्मचारियों की सूची दर्शाने वाली प्रतिवेदन ने दिखाया कि कोई अभिलेख नहीं थे। यद्यपि डाटाबेस से यह स्पष्ट था कि ऐसे मामले थे जहां कर्मचारियों को सी.सी.एम.एस.एस. में उपरोक्त अवधि में पदोन्नत किया गया था। उदाहरणतः दो लोग सी.सी.एम.एस.एस. में जुलाई 2011 व जनवरी 2009 में क्रमशः तकनीकी अधिकारी-सी व तकनीशियन-ए के रूप में पदोन्नत किए गए थे।
संगठन छोड़ देने वाले कर्मचारियों की सूची दर्शाने वाला प्रतिवेदन	पी.जी.जी.ई.25	संगठन छोड़ देने वाले कर्मचारियों की योग्यताएं प्रतिवेदन में गलत दिखाई गई थी। विभाग ने स्वीकार किया कि प्रतिवेदन ने गलत योग्यताएं दिखाई थी।
समीक्षा विश्लेषण (पदोन्नतों/गैर-पदोन्नतों का योग्यता आधार पर बंटवारा)	पी.जी.डी.पी.08	एस.सी.आई./ई.एन.जी. - एस.डी. से एस.सी. आई./ई.एन.जी.-एस.ई. पर जाने वाले कर्मचारियों के बारे में दो वर्गों - पदोन्नत तथा टाल दिए गए की 1 जुलाई 2015 को प्रतिवेदन ने शून्य प्रतिवेदन दर्शाया जो तथ्यतः सही नहीं था जैसा मानवीय प्रतिलेखों से देखा गया।
प्रशासनिक कर्मचारियों की समीक्षा से सम्बंधित आंकड़ों पर प्रतिवेदन	पी.जी.डी.पी.04	इस सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. एम.आई.एस. प्रतिवेदन का उद्देश्य, अर्थात सूचना जो इस प्रतिवेदन से जनित हुई, को पढ़ा नहीं जा सका। यह देखा गया कि प्रतिवेदन किसी भी चयनित दिनांक हेतु एक शून्य प्रतिवेदन जनित कर रहा था।

समीक्षा विश्लेषण	पी.जी.डी.पी.07	लेखापरीक्षा में योग्यता (बी ई/बी टेक) तथा दोबारा 1 जुलाई 2015 को निवास के पैमाने चयन कर इस प्रतिवेदन को जनित किया गया। लेखापरीक्षा में इन प्रतिवेदनों द्वारा जनित सूचनाओं को पढ़ा नहीं जा सका। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।
वैज्ञानिक/तकनीकी कर्मचारियों की समीक्षा से सम्बंधित आंकड़े	पी.जी.डी.पी.01 तथा पी.जी.डी.पी.03	लेखापरीक्षा ने 1 जनवरी 2015 एवं 1 जुलाई 2015 की स्थिति पर दो प्रतिवेदन जनित किए। 1 जनवरी 2015 अवधि की पी.जी.डी.पी.01 प्रतिवेदन के अध्ययन ने दर्शाया कि दो वरिष्ठ टेक-ए कर्मचारी समीक्षा हेतु योग्य थे और दोनों की समीक्षा की गई। प्रतिवेदन का डाटा दिखाता है कि एक मामले को टाल दिया गया था। प्रतिवेदन दूसरे कर्मचारी की स्थिति को नहीं दर्शाती है। इसी प्रकार, एक वरिष्ठ तकनीकी सहायक ए योग्य था और उसकी समीक्षा की गई। इस समीक्षा का परिणाम बिलकुल भी नहीं दर्शाया गया। आगे, 1 जुलाई 2015 की अवधि के प्रतिवेदन में पाँच तकनीशियन - डी को योग्य और समीक्षित दिखाया गया था परन्तु केवल चार लोगों के लिए परिणाम दर्शाया गया था। इसी प्रकार, एक वरिष्ठ तकनीकी परिचारक ए, जिसे योग्य और समीक्षित दिखाया गया था, का परिणाम प्रतिवेदन में मुद्रित नहीं किया गया था। इस सीमा तक, प्रतिवेदन में कमी थी।
साख पत्र स्थिति प्रतिवेदन	एफ.ए.सी.011	विदेशी क्रय आदेशों के लिए भुगतान साख पत्रों द्वारा किये जाते हैं। ऐसा देखा गया कि अप्रैल-मई 2015 की अवधि के दौरान ही चार साख पत्र खोले गए थे। तथापि, अप्रैल-दिसंबर 2015 अवधि के प्रतिवेदन ने सन्देश "दिए गए इनपुट संचय पर कोई अभिलेख नहीं हैं" दर्शाया।
परियोजना लागत के सन्दर्भ में परियोजना रेखा वस्तु अनुसार व्यय स्थिति	एफ.ए.सी.006	परियोजना नाम के चयन हेतु कॉम्बो डिब्बा पहले ही बंद हो चुकी परियोजनाओं के नाम दिखा रहा था। परियोजनाएं पी.एस.एल.वी. तथा जी.एस.एल.वी., एस.डी.एस.सी., एस.एच.ए.आर. में वर्तमान में सक्रिय थे। तथापि, इन परियोजनाओं के प्रतिवेदन भी सन्देश "दिए गए इनपुट संचय पर कोई अभिलेख नहीं हैं" दर्शा रहे थे।
वित्त मोड्यूल	एफ.ए.पी.एस.01 एफ.ए.पी.एस.02 एफ.ए.पी.एस.03 एफ.ए.पी.एस.04 एफ.ए.पी.एस.05	जब इन प्रतिवेदनों का चयन किया गया तो प्रतिवेदन जनित करने के बजाय गलती सन्देश प्रदर्शित हुआ। डी.ओ.एस. ने इसकी पुष्टि की (जनवरी 2016)।

परिशिष्ट - VI (पैराग्राफ 5.2.1 के सन्दर्भ में)

18 सुदूर रोगी एंड अस्पतालों (चरण-I) की सूची

अस्पताल का नाम	
1)	इसरो अस्पताल - श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश
2)	अरगोंडा अपोलो अस्पताल - चित्तूर, आंध्र प्रदेश
3)	त्रिपुरा सुंदरी जिला अस्पताल - उदयपुर, त्रिपुरा
4)	चमराजनगर जिला अस्पताल - कर्नाटक
5)	विवेकानंद स्मारक अस्पताल -सरगुर-मैसूर-कर्नाटक
6)	जी.बी. पन्त अस्पताल - पोर्ट ब्लेयर- अंडमान एवं निकोबार द्वीप
7)	कार निकोबार जिला अस्पताल - अंडमान एवं निकोबार द्वीप
8)	लेह जिला अस्पताल - जम्मू एवं कश्मीर
9)	इंदिरा गाँधी जिला अस्पताल - कवरत्ती -लक्षद्वीप
10)	राजकीय स्वास्थ्य केंद्र - पम्पा/ जिला अस्पताल - पट्टानथित्ता - केरल
11)	गुवाहाटी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल - असम
12)	कटक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल - ओडिशा
13)	बेहरामपुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल - ओडिशा
14)	बुरला चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल - ओडिशा
15)	कठुआ जिला अस्पताल - जम्मू एवं कश्मीर
16)	जम्मू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल - जम्मू एवं कश्मीर
17)	शेर - ए - कश्मीरी चिकित्सा विज्ञान संस्थान - जम्मू एवं कश्मीर
18)	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल - श्रीनगर - जम्मू एवं कश्मीर

परिशिष्ट - VII (पैराग्राफ 5.2.1 के सन्दर्भ में)

टेलीमेडिसिन कार्यक्रम में टेलीमेडिसिन नोड का राज्यवार वितरण

राज्य/नेटवर्क	सचल	रोगी एंड निजी	रोगी एंड सरकारी	कुल रोगी एंड	विशेषज्ञ एंड	कुल नोड	चरण-I (2001-03)	चरण-II (2003-07)	चरण-II के बाद (2007-10)
1) आंध्र प्रदेश	2	7	5	12	4	18	2	8	8
2) अरुणाचल प्रदेश	-	1	3	4	-	4	-	4	-
3) असम	-	1	6	7	3	10	1	2	7
4) बिहार	-	1	0	1	-	1	-	1	-
5) छत्तीसगढ़	-	-	15	15	1	16	-	16	-
6) गोवा	-	1	0	1	-	1	-	-	1
7) गुजरात	1	1	5	6	3	10	-	1	9
8) हरियाणा	-	-	2	2	-	2	-	-	2
9) हिमाचल प्रदेश	-	1	1	2	-	2	-	1	1
10) जम्मू एवं कश्मीर	-	-	9	9	3	12	5	1	6
11) झारखण्ड	-	1	0	1	-	1	-	1	-
12) कर्नाटक	2	8	27	35	14	51	3	23	25
13) केरल	2	5	18	23	5	30	3	22	5
14) मध्य प्रदेश	1	1	14	15	2	18	-	1	17
15) महाराष्ट्र	-	4	33	37	4	41	-	4	37
16) मणिपुर	-	-	1	1	-	1	-	1	-
17) मेघालय	-	-	3	3	1	4	-	1	3
18) मिजोरम	-	-	4	4	-	4	-	4	-
19) नागालैंड	-	-	2	2	-	2	-	2	-
20) ओडिशा	-	1	8	9	1	10	3	-	7
21) पंजाब	-	-	6	6	1	7	-	4	3
22) राजस्थान	-	-	38	38	2	40	-	16	24
23) सिक्किम	-	-	2	2	-	2	-	1	1
24) तमिल नाडू	8	10	1	11	9	28	2	4	22
25) त्रिपुरा	-	-	5	5	-	5	1	3	1
26) उत्तराखण्ड	1	1	2	3	-	4	-	1	3
27) उत्तर प्रदेश	-	2	0	2	1	3	1	-	2
28) पश्चिम बंगाल	1	2	4	6	3	10	1	-	9
29) अंडमान एवं निकोबार द्वीप	-	-	12	12	1	13	2	2	9
30) दिऊ, दमन, सिलवासा	-	-	3	3	-	3	-	-	3

राज्य/नेटवर्क	सचल	रोगी एंड निजी	रोगी एंड सरकारी	कुल रोगी एंड	विशेषज्ञ एंड	कुल नोड	चरण-I (2001-03)	चरण-II (2003-07)	चरण-II के बाद (2007-10)
31) लक्षद्वीप	-	-	5	5	-	5	1	4	-
32) नई दिल्ली	-	-	0	0	3	3	2	-	1
33) पोंडिचेरी	-	-	4	4	1	5	-	5	-
34) केंद्र सरकार अस्पताल	-	-	16	16	2	18	-	13	5
योग	18	48	254	302	64	384	27	146	211
35) निगरानी नोड	-	-	-	-	-	5	-	3	2
कुल योग	18	48	254	302	64	389	27	149	213

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in